त्रयोदश माला, खंड 27, अंक 18

बुधवार, 7 अगस्त, 2002
16 श्रावण, 1924 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 27 में अंक 11 से 21 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3 54
Date 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

# सम्पादक मण्डल


गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक


(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

*[त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]*

**अंक 18, बुधवार, 7 अगस्त, 2002/16 श्रावण, 1924 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | 1–2 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 341 | 2–4 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 342 से 360 | 4–44 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3514 से 3676 और 3678 से 3682 | 45–234 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

## लोक सभा

**बुधवार, 7 अगस्त, 2002/16 श्रावण, 1924 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

*...(व्यवधान)*

*(इस समय श्री नरेश पुगलिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपकी बात सुनूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सुरेश रामराव जाधव** (परभनी): उपाध्यक्ष जी, अमरनाथ यात्रियों को मारा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप इस मामले को 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** 'शून्य काल' के दौरान आप यह मामला उठा सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** 'शून्य काल' के दौरान आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब प्रश्न काल शुरू होगा। प्रश्न सं. 34 । श्री रतनलाल कटारिया।

*...(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.02 बजे**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

#### दूरसंचार सुविधाएं

***341. श्री +रतन लाल कटारिया:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

जी, हां। सीमावर्ती सर्किलों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और प्राइवेट आपरेटरों द्वारा दूरसंचार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार, सीमावर्ती सर्किलों में कुल मिलाकर 1,47,00,653 सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) (129,99,779, स्थिर लाइनें, 1700874 सेल्युलर लाइनें) कार्यरत हैं।

30.6.2002 की स्थिति के अनुसार सीमावर्ती सर्किलों में समग्र प्रतीक्षा सूची 7,89,130 की है जिसे मार्च, 2003 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटा दिये जाने की संभावना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति इस प्रकार है:

(1) सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी एक्सचेंज पहले से ही इलेक्ट्रानिक हैं।

(2) बेहतर एसटीडी सुविधा प्रदान करने के लिए सभी एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से विश्वसनीय माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

(3) जहां कहीं अपेक्षित है वहां स्विचन क्षमता का विस्तार किया जा रहा है।

(4) जिन स्थानों पर मांग है वहां वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विश्वसनीय माध्यम पर आधारित नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

(5) दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में उपग्रह आधारित फोन प्रदान किये जा रहे हैं।

(6) सीमावर्ती दूरसंचार सर्किलों में इंटरनेट नोड उपलब्ध हैं और निकटतम नोड से स्थानीय काल के आधार पर इंटरनेट अभिगम्यता की सुविधा प्रदान की गई है।

(7) जम्मू एवं कश्मीर तथा उन अधिकांश उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर, जहां सुरक्षा कारणों से सेल्युलर मोबाइल सेवा की अनुमति नहीं है, सीमावर्ती सर्किलों में सेल्युलर मोबाइल सेवाएं कार्यरत हैं। सेल्युलर मोबाइल आपरेटरों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 10 कि.मी. के मध्यवर्ती जोन में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। यह शर्त पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवा (पी एम आर टी एस) और उपग्रह सेवा द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन (जीएमपीसीएस) पर भी लागू होती है।

**श्री रतन लाल कटारिया:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग पर इंटरनेट सेवा, आसूचना नेटवर्क, पी.सी.ओ., आई.एस.डी.एन. की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* नए कनेक्शन्स के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ...*(व्यवधान)* कितनी उपलब्धि रही है? ...*(व्यवधान)*

सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ खोले गए हैं? ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया पहले अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको प्रश्न काल के बाद बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### नाभिकीय औषध एककों के सुरक्षा मानदंड

***342. श्री सुरेश कुरूप:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के 35 नाभिकीय औषध एककों में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) द्वारा गत दो वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षण से पता चला है कि इन सभी एककों में सुरक्षा मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) ने अपने नियमित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, देश के विभिन्न भागों में स्थित 35 नाभिकीय चिकित्सा केन्द्रों में नियामक निरीक्षण किए, इन सुविधाओं की समग्र सुरक्षा संबंधी स्थिति संतोषजनक थी, तथापि, इन निरीक्षणों के दौरान कई संस्थानों में सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों के कुछेक मामले सामने आए, इनमें, विकिरणसक्रिय सामग्रियों का भंडारण ठीक से न किया जाना, प्रक्रियात्मक कमियां, खराब कार्य-पद्धतियां और सुविधाओं के ले-आउट में कमियां, आदि शामिल थीं, जोकि खतरनाक अथवा घातक नहीं हैं बल्कि अस्वास्थ्यकर और परिहार्य हैं।

(ग) इन निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने नियामक प्रतिबंध लागू करने से पहले, दोषी संस्थापनाओं के मालिकों को ''कारण बताओ नोटिस'' जारी किए, इन प्रतिबंधों में, कार्यपद्धतियों को अलग-अलग अवधियों के लिए रोकना और एक मामले में पद्धति को अनिश्चित अवधि के लिए बंद करना शामिल था, इन संस्थापनाओं को काम दोबारा शुरू करने की

अनुमति तभी दी गई जब अपेक्षित उपचारी उपाय क्रियान्वित कर दिए गए थे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने, प्रत्येक संस्थापना को, उसमें पाई गई कमियों के बारे में बताते हुए रिपोर्टें भेजी थीं, उल्लंघनों संबंधी सूचना के बारे में चर्चा, नाभिकीय चिकित्सा संबंधी व्यावसायिक लोगों द्वारा आयोजित सम्मेलनों और कार्यशालाओं में की जाएगी ताकि उनमें सामान्य जागरूकता लाई जा सके। इससे, देशभर के नाभिकीय चिकित्सा यूनिटों में सुरक्षा संबंधी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

*[हिन्दी]*

## लघु उद्योग

***343. डा. अशोक पटेल:**
**श्री रामपाल सिंह:**

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोजगार के अवसर पैदा करने और लघु उद्योगों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए इनका सुदृढ़ीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) लघु औद्योगिक (एस एस आई) क्षेत्र का संवर्धन एवं विकास करना, सरकार की जागरूक नीति रही है। जबकि, लघु उद्योगों का विकास करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, तथापि केन्द्र सरकार इस संबंध में, उनके प्रयासों में सहायता और अनुपूरण करती है। सरकार ने इस क्षेत्र के आगे और सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए, 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है, जो बढ़ी हुई राजस्व देय एवं क्रेडिट सहायता, बेहतर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। पैकेज का उद्देश्य इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू एवं विश्वव्यापो दोनों तौर पर बढ़ाना है, जिसकी परिणति उच्चतर वृद्धि और वृहत्त रोजगार अवसरों में होती है। नीति पैकेज में विभिन्न योजनाएं और नीति पहले शामिल हैं, जैसे संयुक्त ऋणों की सीमा को 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक बढ़ाना, राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अंतर्गत परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक बढ़ाना, क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का आरंभ, आई एस ओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने हेतु उद्यमों को 75,000 रुपये अनुदान देने की योजना को 10वीं योजना में जारी रखा जाना, उत्पाद शुल्क की सीमा में 50 लाख रु. से 1 करोड़ रु. तक विस्तार, लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय (उद्योग संबंधी) उद्यमों हेतु निवेश सीमा में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक विस्तार, चालू एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई आई डी) योजना को उत्तरोत्तर देश के सभी क्षेत्रों को कवर करना, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत पारिवारिक आय पात्रता सीमा को 24,000 से 40,000 रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ाना, आदि। सरकार द्वारा, क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए किए गए अन्य उपायों में, वार्षिक परियोजना की कुल बिक्री के कम से कम 20 प्रतिशत की संगणना के आधार पर कार्यशील पूंजी की सीमा को 4 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये करना, समपार्श्विकता मुक्त संयुक्त ऋणों की सीमा को 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक करना, रुग्णता की परिभाषा तथा मानदंडों में संशोधन और रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड इत्यादि का शुरू किया जाना शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

## अंधता के मामले

***344. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
**श्री पी.डी. एलानगोवन:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सन् 2000 तक अंधता के मामलों का प्रतिशत 1.4 से घटकर 0.3 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उपरोक्त लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) से (घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1976 में

शुरू किया गया जिसका लक्ष्य दृष्टिहीनता की व्याप्तता को 1.4 प्रतिशत से घटा कर 0.3 प्रतिशत करना है। वर्ष 1986-87 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दृष्टिहीनता की व्याप्तता 1.38 प्रतिशत (1971-74) से थोड़ी बढ़कर 1.49 प्रतिशत हो गई है। मोतियाबिन्द को दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण माना गया है और 80 प्रतिशत दृष्टिहीनता इसके कारण होती है।

निधियों का अपर्याप्त आबंटन, जिसके परिणामस्वरूप मोतियाबिन्द सर्जरी का कम निष्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र सर्जनों की अपर्याप्त संख्या और नेत्र रक्षा सुविधाएं इसकी व्याप्तता में वृद्धि का प्रमुख कारण रही हैं।

मोतियाबिन्द के कारण होने वाली दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1994-95 से विश्व बैंक से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मांगे गए थे। परियोजना के प्रमुख परिणाम सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में 337 नई नेत्र परिचर्या सुविधाओं की स्थापना, आधुनिक इन्ट्रा ओकूलर लेन्स प्रत्यारोपण में एक हजार नेत्र सर्जनों का प्रशिक्षण और प्रति लाख जनसंख्या पर मोतियाबिन्द सर्जरी की दर 150 से बढ़कर 370 आपरेशन होना था। हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि वर्ष 2001-02 में दृष्टिहीनता की व्याप्तता 1.49 प्रतिशत से कम होकर 1.1 प्रतिशत हो गया है और मोतियाबिन्द के कारण होने वाली दृष्टिहीनता 80 प्रतिशत से घटकर 62.6 प्रतिशत हो गई।

मोतियाबिन्द, अपवर्तक त्रुटियों, ग्लूकोमा, बाल्यावस्था और कार्नियल दृष्टिहीनता और अन्य को रोकने और नियंत्रित करने के लिए दसवीं योजना (2002-07) हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है। यह योजना राष्ट्रीय सर्वेक्षण और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विजन 2020: दृष्टि अधिकार की पहल के अंतर्गत समर्थित कार्यनीतियों पर आधारित है। आशा की जाती है कि दृष्टिहीनता की व्याप्तता वर्ष 2020 तक घटकर 0.3 प्रतिशत रह जाएगी।

## रेड-क्रॉस के प्रतीक चिह्न का उपयोग

***345. श्री बालकृष्ण चौहान:**
**श्री रघुराज सिंह शाक्य:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेड-क्रॉस सोसाइटी ने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं, चिकित्सकों और फार्मासिस्टों द्वारा उसके प्रतीक-चिह्न का अनधिकृत उपयोग किये जाने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेड-क्रास सोसाइटी के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था द्वारा इस प्रतीत-चिह्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और गत तीन वर्षों के दौरान इसके दुरुपयोग के कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(घ) इसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) से (घ) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा 'रेडक्रास प्रतीक चिह्न' के अनधिकृत रूप से उपयोग के संबंध में सरकार को लिखा है।

चूंकि इस मुद्दे पर जिनेवा सम्मेलन, 1949 और जिनेवा सम्मेलन अधिनियम, 1960 के प्रावधानों की जानकारी को बड़े स्तर पर प्रचारित करने तथा इस प्रतीक चिह्न के महत्व के बारे में भी जानकारी देने की आवश्यकता है, इसलिए भारतीय रेडक्रास सोसायटी को निदेश दिया जा रहा है कि वे यह मामला अपनी राज्य शाखाओं के साथ उठाएं।

*[हिन्दी]*

## 'फ्लुरोसिस' के मामले

***346. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के सभी महानगरों में फ्लुरोसिस के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों की पहचान की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) से (घ) सूचना के अनुसार देश में महानगरों सहित फ्लुरोसिस के रोगियों की संख्या के बारे में कोई विशिष्ट अनुमान नहीं है। तथापि, पेय जल में फ्लोरीन मात्रा के आधार पर देश के 19 राज्यों के 196 जिलों में फ्लुरोसिस की समस्या है।

फ्लुरोसिस को केवल स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था से रोका जा सकता है। स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए ग्रामीण पेय जल तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के संबंध में सम्पोषणीय मुद्दों पर तीव्रीकृत ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पूरित करती हैं। राजीव गांधी पेय जल मिशन राज्यों में फ्लुरोसिस स्थानिकमारिता पर आंकड़े एकत्र करता है। राजीव गांधी पेय जल मिशन के साथ यूनीसेफ ने पेय जल में फ्लोराइड के अनुमानों के लिए विभिन्न राज्यों को ऑयन-मीटरों की आपूर्ति की है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान फ्लुरोसिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और देश में फ्लुरोसिस के फैलने से रोकने के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरों और चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

### चिकित्सकों की उपलब्धता

***347. श्री मानसिंह पटेल:**
**श्री ए. वेंकटेश नायक:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत में प्रति हजार आबादी पर कितने चिकित्सक उपलब्ध हैं;

(ख) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया जाता है; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार एलोपैथिक डाक्टरों की उपलब्धता प्रति हजार जनसंख्या पर 0.54 है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के पंजीकृत चिकित्सकों की उपलब्धता को देखते हुए जो कि प्रति हजार जनसंख्या पर 0.7 है, डाक्टरों की कुल उपलब्धता प्रति हजार जनसंख्या पर अन्य विकासशील देशों के समान ही बैठती है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय 1002 रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनेक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से सहायता प्राप्त करके स्वास्थ्य क्षेत्र में जन स्वास्थ्य निवेशों के लिए संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से भी कुछ राज्यों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के योगदान को बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई है।

### एस्ट्रो-टर्फ वाले हॉकी के मैदान

***348. श्री जयभान सिंह पवैया:**
**श्री शिवराजसिंह चौहान:**

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में एस्ट्रो-टर्फ वाले हॉकी के मैदानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में एस्ट्रो-टर्फ वाले हॉकी के मैदानों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्षों में राज्यों में एस्ट्रो-टर्फ वाले और अधिक मैदान विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती):** (क) वर्तमान में देश में उपलब्ध एस्ट्रो-टर्फ वाले हाकी के मैदानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) देश में एस्ट्रो-टर्फ वाले हाकी के और अधिक मैदानों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) ''खेल'' राज्य का विषय है तथा संबंधित राज्यों में सिंथेटिक हाकी सतहों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का सृजन करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। फिर भी, इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों आदि से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर, ''सिंथेटिक खेल सतहों को बिछाने के लिए अनुदानों'' की योजना के अंतर्गत, निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन समतुल्य हिस्से के आधार पर सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) आदि को पिछले 3 वर्षों के दौरान, उपर्युक्त योजना के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | जारी की गई राशि (लाख रु. में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
| 1. | पंजाब | 150.00 | 100.00 | 60.00 |
| 2. | हरियाणा | - | 100.00 | - |
| 3. | मध्य प्रदेश | - | - | 144.955 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 50.00 | - | - |
| 5. | दिल्ली (भारतीय खेल प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका) | 150.00 | - | 180.045 |
| 6. | चंडीगढ़ | 50.00 | - | - |
| | कुल | 400.00 | 200.00 | 385.00 |

*विवरण*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | पुलिस स्टेडियम, सिकंदराबाद |
| 2. | चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) | हाकी स्टेडियम, सेक्टर-42, चण्डीगढ़ |
| 3. | दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | 1. मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम-2 सतह<br>2. शिवाजी स्टेडियम |
| 4. | गुजरात | भारतीय खेल प्राधिकरण, पश्चिमी केन्द्र, गांधी नगर |
| 5. | जम्मू व कश्मीर | के.के. हुकू हाकी स्टेडियम, जम्मू |
| 6. | झारखण्ड | शहीद बिरसा मुण्डा स्टेडियम, रांची |
| 7. | कर्नाटक | राज्य हाकी स्टेडियम, भा.खे.प्रा. दक्षिणी केन्द्र, बंगलौर |
| 8. | मध्य प्रदेश | 1. ऐश बाग हाकी स्टेडियम, भोपाल<br>2. रेलवे स्टेडियम, ग्वालियर |
| 9. | महाराष्ट्र | 1. बाम्बे हाकी एसोसिएशन, चर्च गेट, बाम्बे<br>2. बालवाड़ी खेल परिसर, पुणे |
| 10. | मणिपुर | खुमान लम्पक खेल परिसर, इम्फाल |
| 11. | पंजाब | 1. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना<br>2. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 3. बर्लटन पार्क, जालंधर |
| | | 4. भा.खे.प्रा., एन.एस.एन.आई.एस., पटियाला |
| | | 5. एस.टी.सी., बादल |
| 12. | तमिलनाडु | राधाकृष्णन स्टेडियम, चैन्नई |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 1. गुरु गोविंद सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ |
| | | 2. मेजर ध्यान चंद एस्ट्रो-टर्फ स्टेडियम, रामपुर |
| | | 3. अम्बेडकर स्टेडियम, वाराणसी |
| 14. | पश्चिमी बंगाल | भा.खे.प्रा., पश्चिमी केन्द्र, कोलकाता |

*[अनुवाद]*

## मातृ-शिशु मृत्यु दर

***349. श्री विलास मुत्तेमवार:**
**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान देश में मातृ-शिशु मृत्यु दर स्थिर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) से (घ) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार शिशु मृत्यु दर जो 1998 के दौरान 72, 1999 के दौरान 70 थी 2000 में घटकर 68 रह गई है। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 1997 में 408 और 1998 में प्रति 100000 जीवित जन्मों पर 408 था। इसके बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के राज्य-वार आंकड़े क्रमशः विवरण I और II में हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई नकद और सामग्रीगत सहायता का ब्यौरा विवरण-III में है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी जिलों में बाल और मातृ मृत्यु दर और रुग्णता दर में सुधार करने के कार्यकलाप कार्यान्वित किये जा रहे हैं। बच्चों के लिए किए जाने वाले कार्यकलापों में वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के विरुद्ध रोगप्रतिरक्षण, अतिसार के कारण मौतों की रोकथाम, तीव्र श्वसनीय संक्रमणों पर नियंत्रण, विटामिन-ए की कमी और लौह की कमी से उत्पन्न रक्ताल्पता के विरुद्ध रोगनिरोधन, अनिवार्य नवजात परिचर्या, केवल स्तनपान को बढ़ावा देना और पूरक खान-पान संबंधी उपयुक्त पद्धतियां शामिल हैं।

माताओं के लिए कार्यकलापों में अनिवार्य प्रसूति परिचर्या, आपाती प्रसूति परिचर्या, पंचायतों के माध्यम से रेफरल परिवहन की व्यवस्था और प्रथम रेफरल एककों में औषधों एवं उपस्करों की व्यवस्था, अतिरिक्त सहायक अर्ध-धात्रियों, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों, संवेदनाहरण विज्ञानियों जैसे संविदात्मक स्टाफ की व्यवस्था शामिल है। चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान करने 166 जिलों में दाइयों के प्रशिक्षण और 172 जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन और प्रतिकूल स्वास्थ्य सूचकों वाले 151 जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहुंच बाह्य योजना जैसी सेवाओं की पहुंच बाह्यता में सुधार करने के लिए स्कीमों के लिए भी निधियां प्रदान की जा रही हैं।

*विवरण I*

शिशु मृत्यु दर

| क्र.सं. | राज्य | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 65 | 66 | 66 |
| 2. | असम | 75 | 76 | 76 |
| 3. | बिहार | 62 | 63 | 67 |
| 4. | गुजरात | 62 | 63 | 64 |
| 5. | हरियाणा | 67 | 68 | 70 |
| 6. | कर्नाटक | 57 | 58 | 58 |
| 7. | केरल | 14 | 14 | 16 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 88 | 90 | 98 |
| 9. | महाराष्ट्र | 48 | 48 | 49 |
| 10. | उड़ीसा | 96 | 97 | 98 |
| 11. | पंजाब | 52 | 53 | 54 |
| 12. | राजस्थान | 79 | 81 | 83 |
| 13. | तमिलनाडु | 51 | 52 | 53 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 83 | 84 | 85 |
| 15. | प. बंगाल | 51 | 52 | 53 |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश | 44 | 43 | 44 |
| 17. | छत्तीसगढ़ | 79 | 78 | 94 |
| 18. | दिल्ली | 32 | 31 | 36 |
| 19. | गोवा | 23 | 21 | 23 |
| 20. | हिमाचल प्रदेश | 60 | 71 | 62 |
| 21. | जम्मू कश्मीर | 50 | 52 | 45 |
| 22. | झारखण्ड | 70 | 71 | 62 |
| 23. | मणिपुर | 23 | 25 | 25 |
| 24. | मेघालय | 58 | 56 | 52 |
| 25. | मिजोरम | 21 | 19 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 26. | नागालैंड | एन.ए. | एन.ए. | एन.ए. |
| 27. | सिक्किम | 49 | 49 | 52 |
| 28. | त्रिपुरा | 41 | 42 | 49 |
| 29. | उत्तरांचल | 50 | 52 | 58 |
| 30. | अं. और नि. द्वीप | 23 | 25 | 30 |
| 31. | चण्डीगढ़ | 28 | 28 | 32 |
| 32. | दादरा और नागर हवेली | 58 | 56 | 61 |
| 33. | दमण औ दीव | 48 | 35 | 51 |
| 34. | लक्षद्वीप | 27 | 32 | 26 |
| 35. | पांडिचेरी | 23 | 22 | 21 |
| | अखिल भारत | 68 | 70 | 72 |

एन.ए. - अनुपलब्ध

*जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर।

स्रोत: भारत के महारजिस्ट्रार।

### *विवरण II*

*मातृ मृत्यु दर*

*भारत और बड़े राज्य*

| बड़े राज्य | एम एम आर (1997) | एम एम आर (1998) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| भारत | 408 | 407 |
| आंध्र प्रदेश | 154 | 159 |
| असम | 401 | 409 |
| बिहार | 451 | 452 |
| गुजरात | 29 | 28 |
| हरियाणा | 105 | 103 |
| कर्नाटक | 195 | 195 |
| केरल | 195 | 198 |
| मध्य प्रदेश | 498 | 498 |
| महाराष्ट्र | 135 | 135 |
| उड़ीसा | 361 | 367 |
| पंजाब | 196 | 199 |
| राजस्थान | 677 | 670 |
| तमिलनाडु | 76 | 79 |
| उत्तर प्रदेश | 707 | 707 |
| प. बंगाल | 264 | 266 |

स्रोत: भारत के महारजिस्ट्रार 1997, 1998

### विवरण III

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्रीगत एवं नकद सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपए)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य | 1999-2000 | | | 2000-01 | | | 2001-02 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सामग्री | नकद | कुल | सामग्री | नकद | कुल | सामग्री | नकद | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2280.24 | 1961.98 | 4242.22 | 2488.26 | 1662.15 | 4150.41 | 2555.30 | 2026.72 | 4582.02 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 98.79 | 155.24 | 254.03 | 121.45 | 175.72 | 297.16 | 154.98 | 135.26 | 290.25 |
| 3. | असम | 1297.92 | 727.83 | 2025.75 | 1632.12 | 474.86 | 2106.98 | 1308.94 | 1196.53 | 2505.47 |
| 4. | बिहार | 4704.37 | 1385.88 | 6090.25 | 5469.56 | 2711.64 | 8181.20 | 4867.76 | 1676.45 | 6544.21 |
| 5. | झारखण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 449.35 | 449.35 |
| 6. | गोवा | 43.71 | 41.11 | 84.82 | 107.67 | 10.40 | 118.07 | 45.66 | 22.08 | 67.74 |
| 7. | गुजरात | 1805.25 | 726.28 | 2531.53 | 2260.26 | 983.39 | 3243.65 | 1936.03 | 7437.26 | 9373.29 |
| 8. | हरियाणा | 691.63 | 895.38 | 1587.01 | 1028.44 | 1664.30 | 2692.74 | 880.23 | 1224.25 | 2104.48 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 216.87 | 312.48 | 529.35 | 327.66 | 427.02 | 754.68 | 289.97 | 276.80 | 566.77 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 388.82 | 346.54 | 735.36 | 466.42 | 555.39 | 1021.81 | 442.00 | 341.30 | 783.30 |
| 11. | कर्नाटक | 1587.55 | 537.68 | 2125.13 | 2077.70 | 1671.15 | 3748.85 | 2055.00 | 1187.66 | 3242.66 |
| 12. | केरल | 908.23 | 764.87 | 1673.10 | 1301.07 | 1217.74 | 2518.81 | 907.88 | 768.03 | 1675.91 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 3633.27 | 1836.42 | 5469.69 | 3708.37 | 3553.34 | 7261.71 | 2656.67 | 1317.96 | 3974.63 |
| 14. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 844.07 | 844.07 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3273.53 | 1403.87 | 4677.40 | 3464.77 | 1256.71 | 4721.48 | 3331.47 | 1926.91 | 5258.38 |
| 16. | मणिपुर | 138.44 | 500.98 | 639.42 | 95.08 | 421.71 | 516.79 | 194.66 | 660.86 | 855.52 |
| 17. | मेघालय | 148.52 | 107.84 | 256.36 | 125.79 | 65.64 | 191.43 | 193.93 | 128.28 | 322.21 |
| 18. | मिजोरम | 43.53 | 563.80 | 607.33 | 55.75 | 729.58 | 785.33 | 67.31 | 727.70 | 795.01 |
| 19. | नागालैंड | 96.48 | 145.78 | 242.26 | 77.58 | 146.96 | 224.54 | 133.01 | 116.51 | 249.52 |
| 20. | उड़ीसा | 1387.12 | 1132.50 | 2519.62 | 1205.60 | 1524.79 | 2730.39 | 1655.66 | 1869.77 | 3525.43 |
| 21. | पंजाब | 861.70 | 426.26 | 1287.96 | 852.84 | 686.25 | 1539.09 | 928.38 | 616.63 | 1545.01 |
| 22. | राजस्थान | 2537.67 | 1255.65 | 3793.32 | 2877.31 | 2313.58 | 5190.89 | 2532.43 | 2958.59 | 5491.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | सिक्किम | 48.34 | 51.60 | 99.94 | 31.29 | 43.07 | 74.36 | 58.36 | 57.30 | 115.66 |
| 24. | तमिलनाडु | 1563.99 | 1475.36 | 3039.35 | 1095.89 | 2373.39 | 3469.28 | 2002.78 | 541.25 | 2544.03 |
| 25. | त्रिपुरा | 151.71 | 255.43 | 407.14 | 176.34 | 166.18 | 342.52 | 192.67 | 466.87 | 639.54 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 7558.30 | 3990.12 | 11548.42 | 8595.57 | 4654.45 | 13250.02 | 9567.68 | 6946.00 | 16513.68 |
| 27. | उत्तरांचल | — | 0.00 | 0.00 | — | 208.59 | 208.59 | 0.00 | 416.98 | 416.98 |
| 28. | प. बंगाल | 2576.80 | 1455.89 | 4032.69 | 2459.93 | 2073.46 | 4533.39 | 3118.51 | 1931.32 | 5049.83 |
| 29. | अं. और नि. द्वीप | 25.52 | 33.57 | 59.09 | 18.29 | 31.04 | 49.33 | 18.02 | 35.26 | 53.28 |
| 30. | चंडीगढ़ | 21.38 | 43.07 | 64.45 | 38.37 | 117.61 | 155.98 | 26.81 | 23.20 | 50.01 |
| 31. | दादरा और नागर हवेली | 10.43 | 26.43 | 36.86 | 11.41 | 3.88 | 15.29 | 13.15 | 14.02 | 27.17 |
| 32. | दमण और दीव | 8.35 | 32.05 | 40.40 | 5.44 | 4.87 | 10.31 | 8.18 | 8.66 | 16.84 |
| 33. | दिल्ली | 354.68 | 127.31 | 481.99 | 458.10 | 311.22 | 769.32 | 367.17 | 297.60 | 664.77 |
| 34. | लक्षद्वीप | 6.81 | 28.72 | 35.53 | 3.90 | 21.44 | 25.34 | 10.56 | 11.42 | 21.98 |
| 35. | पांडिचेरी | 25.36 | 49.28 | 74.64 | 28.43 | 21.79 | 50.22 | 29.13 | 21.58 | 50.71 |

**सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग की अन्य एशियाई देशों के साथ प्रतिस्पर्धा**

***350. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर उद्योग को अन्य एशियाई देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) और (ख) विश्व अर्थव्यवस्था का विश्वव्यापीकरण होने के कारण प्रतिस्पर्धा व्यवसाय का एक अभिन्न अंग बन गई है जिसमें हार्डवेयर क्षेत्र भी शामिल है। जिन एशियाई देशों से भारतीय हार्डवेयर उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, वे इस प्रकार हैं: चीन, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर तथा ताइवान।

(ग) और (घ) हार्डवेयर क्षेत्र को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*हार्डवेयर क्षेत्र के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय*

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी योजना अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25-35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

* कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया था, जो अब भी जारी है।

11. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

12. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

13. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

14. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

15. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्कम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्त्ताओं और आईएसओ-9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है. यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं:

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।

- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

16. धारा 80-1ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

17. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

18. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

19. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

20. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

21. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

22. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

## दोष-दर

***351. श्री रामजी मांझी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और देश के अन्य भागों में टेलीफोन एक्सचेंजों में दोष-दर क्या है;

(ख) क्या दिल्ली के 100 एक्सचेंजों में यह दर 19.5 प्रतिमाह है जो कि बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दोष-दर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) और (ख) दिल्ली और देश के अन्य भागों के टेलीफोन एक्सचेंजों की मार्च, 2002 की औसत दोष-दर के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं, जो दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर में लगभग 19.5 और देश के अन्य भागों में इससे कम है।

(ग) और (घ) अधिक दोष-दर के कारण और दोष-दर कम करने हेतु किए गए उपायों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

### विवरण-I

*31.3.2002 की स्थिति के अनुसार दोष दर-*
*महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड*

| क्र.सं. | इकाई | दोष दर |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 19.4 |
| 2. | मुम्बई | 8.29 |

*31.3.2002 की स्थिति के अनुसार दोष-दर-*
*भारत संचार निगम मिलेटड*

| क्र.सं. | इकाई | दोष दर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंडमान व निकोबार | 11.6 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 9.9 |
| 3. | असम | 12.2 |
| 4. | बिहार | 11.1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 12.4 |
| 6. | गुजरात | 13.7 |
| 7. | हरियाणा | 13.9 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 10.9 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 19.9 |
| 10. | झारखंड | 10.7 |
| 11. | कर्नाटक | 11.4 |
| 12. | केरल | 11.7 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 10.5 |
| 14. | महाराष्ट्र | 10.5 |
| 15. | पूर्वोत्तर-1 | 11.3 |
| 16. | पूर्वोत्तर-2 | 9.1 |
| 17. | उड़ीसा | 11.8 |
| 18. | पंजाब | 14.6 |
| 19. | राजस्थान | 15.6 |
| 20. | तमिलनाडु | 8.1 |
| 21. | उत्तरांचल | 12.7 |
| 22. | उत्तर प्रदेश पूर्व | 11.3 |
| 23. | उत्तर प्रदेश पश्चिम | 11.5 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 9.4 |
| 25. | कोलकाता | 12.8 |
| 26. | चैन्नई | 12.9 |
| | सम्पूर्ण भारत | 11.6 |

### विवरण-II

तुलनात्मक रूप से एमटीएनएल, दिल्ली में अधिक दोष-दर के कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

* दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), निजी सेवा प्रदाताओं (पीएसपी), आदि जैसी विभिन्न सिविल एजेन्सियों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही खुदाई कार्यों से भूमिगत केबलों को भारी क्षति होती है।
* पोलों पर वितरण प्वाइन्ट (डीपी) लगाने और उसके बाद इन वितरण प्वाइन्टों से ड्रॉप वायर लेकर कनैक्शन देने की प्रथा।
* उपयुक्त उपकरणों के बिना ड्रॉप वायर प्रयोग करने की प्रथा।
* एक ही स्थान पर अत्यधिक पीलर लगाने और पाइपों के जरिए इन्हें एक दूसरे से जोड़ने की प्रथा।
* भूमिगत केबलों की ज्यादा लंबाई विशेषकर उन बाहरी क्षेत्रों में जहां केबल की लम्बाई 10 से 15 कि.मी. होती है।

एमटीएनएल, दिल्ली ने दोष-दर कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* पेपर कोर भूमिगत केबलों को जेली फिल्ड केबलों/ऑप्टीकल फाइबर केबलों द्वारा चरणबद्ध रूप से बदला जा रहा है।
* ज्यादा आर.एस.यू./आर.एल.यू. (रिमोट स्विचिंग/लाइन यूनिट) की योजना बना कर उपभोक्ता लूप लेंग्थ कम की जा रही है।

* बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए उपभोक्ता एक्सेस नेटवर्क में फिक्स्ड वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) तथा डिजिटल लाइन कन्संट्रेटर (डीएलसी) प्रणाली शुरू की जा रही है।

* एमटीएनएल, दिल्ली में कॉर्डेक्ट प्रणाली प्रचालित की गई है।

* आसानी से सम्पर्क रखने तथा परीक्षण स्टाफ द्वारा तीव्रगति से दोष-दूर करने के लिए लाइन स्टाफ को पेजर उपलब्ध करवाए गए हैं।

* कम्प्यूटरीकृत दोष रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है जिससे बुकिंग, परीक्षण तथा संबंधित लाइन स्टाफ को दोष संबंधी सूचना शीघ्र भेजने में सहायता मिलती है।

* वरिष्ठ अधिकारी प्रति दिन दोष दरों की मानीटरिंग करते हैं।

* जोड़ों (ज्वाइन्ट), ब्लॉक वायरिंग, मौजूदा डी पी की सीलिंग वाले पुराने ड्रॉप वायरों को बदलकर आउटडोर नेटवर्क को बहाल करने और आन्तरिक 5 पेयर डी.पी. लगाने का कार्य कर लिया गया है।

* जहां कहीं 2 पेयर या इससे अधिक पेयरों की मांग होती है वहां पर 5 पेयर केबलों के माध्यम से उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जाती है।

यही उपाय अखिल भारतीय स्तर पर भी किए गए हैं। बाह्य संयंत्रों को बहाल करने, खम्भे रहित क्षेत्र बनाने और दूरस्थ उपभोक्ता इकाइयों तक तथा डिजिटल लाइन कन्संट्रेटरों तक आप्टिक फाइबर केबल का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि यथा संभव सीमा तक उपभोक्ता के निकटतम स्थानों को जोड़ा जा सके। एक्सचेंज क्षेत्रों में एक अंक तक दोष-दर लाने के लिए व्यवस्थित रूप से एक कार्यक्रम बनाया गया है और बहुत गंभीरता से इस कार्यक्रम की मानीटरिंग की जा रही है।

## विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा

***352. श्रीमती श्यामा सिंह:**
**डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में श्रीलंका की यात्रा की है और वहां के नेताओं के साथ अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुद्दे-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका क्या निष्कर्ष निकला है;

(घ) क्या लिट्टे प्रमुख के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला):** (क) जी हां।

(ख) से (ङ) विदेश मंत्री 11-12 जुलाई, 2002 को श्रीलंका की यात्रा पर गए। उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ विविध मसलों पर चर्चा की। उन्होंने श्रीलंका की राष्ट्रपति से भी भेंट की।

बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने श्रीलंका की एकता, सम्प्रभुता तथा क्षेत्रीय अखण्डता एवं श्रीलंका के सभी वर्गों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शान्तिपूर्ण बातचीत के जरिए समाधान के माध्यम से पुनःशान्ति बहाल करने की भारत की वचनबद्धता को दोहराया है। उन्होंने श्रीलंका की सरकार द्वारा शान्ति प्रक्रिया के लिए उठाये गये उपायों में भारत के समर्थन की पुनः पुष्टि की।

दोनों पक्ष इस बात से सहमत हुए कि सार्वभौम आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है जिसे किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है चाहे वह राजनीतिक हो, जातीय हो, धार्मिक हो, सामाजिक अथवा आर्थिक हो और उन्होंने इस महाविपदा को समाप्त करने के लिए सभी सार्वभौम पहलकदमियों में समर्थन देने की अपनी-अपनी वचनबद्धता पर बल दिया।

आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में विदेश मंत्रियों ने 4-5 जुलाई, 2002 को कोलम्बो में सम्पन्न वरिष्ठ अधिकारियों की हाल की बैठक में मुक्त व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत चाय, कपड़े तथा सीमेंट से संबंधित बकाया मसलों के शीघ्र समाधान में हुई प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुक्त व्यापार व्यवस्था से बाहर आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मौजूदा व्यापक संभावना का उपयोग करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में श्रीलंका की सरकार को सहायता देती है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने यह घोषणा की कि (1) श्रीलंका को दिए गए 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की दूसरी और तीसरी किस्त के लिए पहले से अनुमत्त उदार शर्तें

पहली किस्त की उपयोग में न लायी गई राशि पर भी लागू होंगी अर्थात निश्चित लिबोर पर 15 वर्ष की अदायगी की अवधि जिसमें 5 वर्ष की माफी अवधि भी शामिल है; (2) कोलम्बो में भारतीय कैंसर केन्द्र की स्थापना के लिए 7.5 मिलियन अमरीकी डालर का भारत सरकार का योगदान; (3) रेल क्षेत्र में पुनर्संरचना के लिए सहायता देने के सुझाव की जांच करने के लिए विदेश मंत्री सहमत हुए।

जून, 1995 में लिट्टे नेता श्री वी. प्रभाकरण के प्रत्यर्पण के लिए श्रीलंका की सरकार को औपचारिक अनुरोध किया गया था। इस मसले पर समय-समय पर श्रीलंका की सरकार के साथ चर्चा होती रही है और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया गया है। श्रीलंका की सरकार ने अवगत कराया है कि इस अनुरोध पर उचित विचार हो रहा है तथा यदि प्रत्यर्पण के लिए सहमति होती है तो श्रीलंका में मुकदमे तथा कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा।

## आयुर्वेदिक औषधियां

***353. श्री चन्द्र विजय सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व भर में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती स्वीकार्यता के दृष्टिगत सरकार के पास इनका क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/डिजिटल पुस्तकालय आदि स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) और (ख) सरकार 14 आयुर्वेदिक ग्रंथों में निहित लगभग 35,000 योगों को सम्मिलित करते हुए एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टी.के.डी.एल.) की स्थापना कर रही है। 35,000 योगों वाली ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का कार्य दिसंबर, 2002 तक पूरा कर लिया जायेगा।

गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय पहले से ही अस्तित्व में है। राजस्थान सरकार एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव कर रही है। 10वीं योजना विषयक कार्य समूह ने उत्कृष्टता वाले केन्द्रों का सर्जन करने के लिए सहायता अनुदान संबंधी योजना की अनुशंसा की।

यह विभाग केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् के माध्यम से अंतर्वर्ती रूप से अनुसंधान करा रहा है। बहिर्वर्ती योजनांतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं की सहायता भी की जा रही है।

## मेडिकल/डेंटल कालेजों में प्रवेश

***354. श्री प्रबोध पण्डा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि देश के मेडिकल और डेंटल कालेजों में प्रवेश के मामलों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने अनियमितताएं करने वाले कालेजों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद ने कुछ मेडिकल और डेंटल कालेजों में अनियमित प्रवेशों के बारे में सूचित किया है। जिन मेडिकल और डेंटल कालेजों में अनियमित प्रवेश दिए गए हैं उनके ब्यौरे लोक सभा के पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं।

(ग) संबंधित व्यावसायिक परिषदें अनियमित प्रवेश देने वाले कालेजों के विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करती हैं। सरकार व्यावसायिक परिषदों की सिफारिशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करती है।

### *विवरण*

*उन मेडिकल और डेंटल कालेजों के नाम जिनमें अनियमित प्रवेश दिए जाने की सूचना दी गई है*

**मेडिकल कालेज**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर | 1999-2000 के दौरान 28 अधिक दाखिले |
| 2. | गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू | 1996-97 से 2001-02 के दौरान 21 अधिक दाखिले |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | रंगराया मेडिकल कालेज, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश | 2001-02 के दौरान 50 अधिक दाखिले |
| 4. | किलपोक मेडिकल कालेज, चेन्नई | 1996-97 के दौरान 10 अधिक दाखिले |
| 5. | बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | 50 छात्रों की अनुमोदित प्रवेश क्षमता के मुकाबले कालेज, 105 छात्रों को दाखिला दे रहा था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने आधारभूत ढांचे में कुल कमियों को देखते हुए 2002-03 सत्र से कालेज की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश की है। |
| 6. | संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद | सरकार की पूर्वानुमति के बिना 2001-02 में 50 दाखिले किए गए। मामला न्यायालय में चल रहा है। |

क्र.स संख्या 6 पर उल्लिखित कालेज को छोड़कर सभी अन्य कालेज सरकारी कालेज हैं।

**डेंटल कालेज**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, पटना | ये सभी कालेज दाखिले के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। |
| 2. | बी.आर. अम्बेडकर डेंटल कालेज, पटना | |
| 3. | दरभंगा डेंटल कालेज, पटना | |
| 4. | मिथिला माइनारिटी डेंटल कालेज, दरभंगा | |
| 5. | सरजंग डेंटल कालेज, दरभंगा | |
| 6. | डा. एस.एम. नकवी इमाम डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, बेहेरा | |

क्र.स संख्या 3-6 पर उल्लिखित कालेजों को शैक्षिक सत्र 2001-02 से दाखिले करने की अनुमति नहीं दी गई है।

### मुक्त-व्यापार समझौता

***355. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने कितने दक्षेस देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से निवेश आगमन में वृद्धि हुई है और आर्थिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान के साथ भी इस प्रकार का कोई समझौता करने की बात की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला):** (क) इस समय सार्क सदस्य देशों में से केवल श्रीलंका के साथ ही भारत का मुक्त व्यापार करार है।

(ख) और (ग) जी हां।

श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करार 15 दिसम्बर, 2001 को प्रभावी हुआ था। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार वर्ष 1999-2000 में 2354 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-2001 में 3108 करोड़ रुपए हो गया। भारत के निर्यात में 33.90% यानि 2896 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

मुक्त व्यापार करार के आरम्भ होने के पश्चाव, निवेश प्रवाह के लिहाज से 12 परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। भारत के श्रीलंका में निवेशों के वर्तमान अनुमोदन 242 मिलियन अमरीकी डालर के हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं। पाकिस्तान के साथ मुक्त व्यापार करार करने की किसी बातचीत का इस समय प्रस्ताव नहीं है।

## रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण

***356. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में रक्त-बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने रक्त-बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु कौन-कौन सी योजनाओं का वित्तपोषण किया है;

(ग) इस कार्य के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य-वार कितने रक्त-बैंकों को सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी निधियां आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) और (ख) रक्त की निरापद और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने कई कार्यकलाप शुरू किए हैं। सरकारी क्षेत्र में सभी रक्त बैंकों और स्वैच्छिक व धर्मार्थ क्षेत्र में कुछ रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण उन कार्यकलापों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलाप है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता की एक स्कीम के अधीन रक्त बैंक उपकरणों, उपभोज्य वस्तुओं, रसायन और रिएजेन्टों की खरीद के लिए और तकनीशियन (तकनीशियनों) के वेतन और आकस्मिक व्ययों की अदायगी के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-चरण-1 (1992-99) 815 रक्त बैंकों का जिला स्तर के रक्त बैंकों, प्रमुख रक्त बैंकों, रक्त घटक पृथक्करण सुविधाओं अथवा जोनल रक्त जांच केन्द्रों के रूप में आधुनिकीकरण करने में सफल रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-2 (1999-2004) में विभिन्न रूपों में 179 अतिरिक्त रक्त बैंकों अर्थात् जिला स्तर रक्त बैंकों, प्रमुख रक्त बैंकों, रक्त घटक पृथक्करण यूनिटों और अत्याधुनिक रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण पर कार्रवाई चल रही है। इस स्कीम के अधीन रक्त बैंकों के लिए देय सहायता की रूपरेखा इस प्रकार है:

| रक्त बैंक | उपभोज्य (रुपए लाख में) | तकनीशियन का वेतन (रुपए लाख में) | आकस्मिक व्यय (रुपए लाख में) | कुल (रुपए लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| जिला | 1.25 | 0.78 | - | 2.03 |
| प्रमुख | 3.00 | 0.78 | - | 3.78 |
| बी.सी.एस.एफ. | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 |
| जैड.बी.टी.सी. | 0.30 | 1.56 | - | 1.86 |

(ग) से (ङ) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के लिए राज्य-वार रक्त बैंकों को किए गए धन आबंटन विवरण में दिए गए हैं।

### *विवरण*

(रुपए लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सहायता प्राप्त रक्त बैंकों की संख्या (2001-02) | जारी की गई राशि (2001-02) | प्रस्तावित राशि (2002-03) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अं. और निको. द्वीप | 4 | 14.84 | 18.00 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 77 | 213.08 | 323.54 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 6 | 13.76 | 24.19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | असम | 23 | 62.64 | 80.46 |
| 5. | बिहार | 59 | 126.21 | 175.00 |
| 6. | झारखण्ड | 21 | 45.57 | 23.00 |
| 7. | चंडीगढ़ | 5 | 38.09 | 28.45 |
| 8. | दादरा और नागर हवेली | 1 | 2.03 | 3.90 |
| 9. | दमण और दीव | 1 | 2.03 | 2.99 |
| 10. | दिल्ली | 8 | 64.55 | 50.02 |
| 11. | गोवा | 6 | 28.26 | 28.26 |
| 12. | गुजरात | 65 | 183.65 | 141.28 |
| 13. | अहमदाबाद एमसी | 10 | 45.44 | 50.57 |
| 14. | हरियाणा | 24 | 78.90 | 81.95 |
| 15. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 40.63 | 55.70 |
| 16. | जम्मू-कश्मीर | 18 | 55.58 | 57.50 |
| 17. | कर्नाटक | 64 | 183.63 | 222.85 |
| 18. | केरल | 46 | 173.47 | 175.21 |
| 19. | लक्षद्वीप | 1 | 2.03 | 2.03 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 65 | 164.54 | 204.61 |
| 21. | छत्तीसगढ़ | 11 | 39.01 | 42.50 |
| 22. | महाराष्ट्र | 84 | 284.95 | अभी अंतिम रूप दिया जाना है |
| 23. | मुम्बई एमसी | 24 | 99.55 | 101.97 |
| 24. | मणिपुर | 05 | 18.62 | 47.55 |
| 25. | मेघालय | 5 | 17.78 | 17.70 |
| 26. | मिजोरम | 5 | 17.11 | 14.00 |
| 27. | नागालैंड | 12 | 41.26 | 30.76 |
| 28. | उड़ीसा | 51 | 119.56 | 120.70 |
| 29. | पांडिचेरी | 4 | 17.37 | 21.90 |
| 30. | पंजाब | 42 | 100.09 | 96.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | राजस्थान | 27 | 84.25 | 129.77 |
| 32. | सिक्किम | 03 | 7.67 | 9.80 |
| 33. | तमिलनाडु | 93 | 235.65 | 232.28 |
| 34. | चेन्नई एमसी | 27 | 100.00 | 93.92 |
| 35. | त्रिपुरा | 8 | 31.71 | 32.51 |
| 36. | उत्तर प्रदेश | 84 | 262.52 | 297.65 |
| 37. | उत्तरांचल | 14 | 20.00 | 61.04 |
| 38. | पश्चिमी बंगाल | 90 | 237.71 | 260.00 |
| | कुल | 105 | 3273.74 | 3359.71 |

**टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण**

***357. श्री चन्द्र नाथ सिंह:**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** (क) और (ख) जी हां, दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। नेटवर्क में टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, सभी प्रकार के इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को नेटवर्क से हटा दिया गया है, भले ही उनकी मिआद पूरी हो गई हो या नहीं। इन एक्सचेंजों को अत्याधुनिक डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदला गया है।

सभी ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज अत्याधुनिक डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एन एम एस), ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टेक्स) के रख-रखाव और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए शुरू की गई है। इंटेलिजेंट नेटवर्क (आई एन) सेवाएं शुरू की गई हैं जिनमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:

1. नि:शुल्क फोन (एफ पी एच)
2. प्रीमियम दर (पी आर एम)
3. वर्चुअल कार्ड कालिंग (वी सी सी)
4. टेलिवोटिंग (वीओटी)
5. यूनिवर्सल एक्सेस नं. (यू.ए.एन.)
6. फोन प्लस सेवाएं जैसे काल वेटिंग, काल फारवर्डिंग, वेकअप सेवाएं, अनुपस्थित उपभोक्ता सेवाएं और कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रजेंटेशन।

डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा, दोष मरम्मत प्रणाली और टेलीफोन बिलिंग सेवाओं का एकीकृत सॉफ्टवेयर पैकेज से कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

**निर्यात संवर्धन जोन**

***358. श्री के. येरननायडू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने राज्यों में औषधीय और हर्बल उत्पादों के लिए ही निर्यात संवर्धन जोन स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन राज्यों से सम्पर्क किया गया है; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, औषधीय पादप बोर्ड की दूसरी बैठक में विशिष्ट औषधीय पादपों के लिए निर्यात संवर्धन जोन स्थापित करने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया था। इस संबंध में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं तथा सभी राज्य औषधीय पादप बोर्डों को इस मामले में लिखा गया है।

## बाल स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी समिति

***359. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल स्वास्थ्य संबंधी एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के उद्देश्य और विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ङ) क्या समिति की किसी सिफारिश को लागू किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) से (च) सरकार ने बाल स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति गठित की है जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(1) क्षेत्रीय भिन्नताओं, यदि कोई हों, का पता लगाने की दृष्टि से प्रसवकालीन, नवजात और बाल मृत्युदर से संबद्ध जनांकिकीय संकेतकों की समीक्षा करना और क्षेत्र-विशिष्ट नीति कार्यकलाप सुझाने की दृष्टि से क्षेत्रीय आधार पर व्याप्त प्रसवकालीन, नवजात और बाल उच्च मृत्यु दर के कारणों को परिभाषित करना।

(2) बाल स्वास्थ्य और पोषण के लिए मौजूदा कार्यकलापों की तकनीकी सत्यनिष्ठा का पता लगाने के लिए उनकी आलोचनात्मक समीक्षा करना और फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना।

(3) मौजूदा कार्यकलापों की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन की इसके विभिन्न आयामों के संबंध में महत्वपूर्ण ढंग से समीक्षा करना।

(4) नवजात और बाल मृत्यु दर में हो रही कमी की गति को बढ़ाने के लिए नए/अतिरिक्त, किफायती और लागू किये जाने योग्य उपाय करना।

दिनांक 18 सितम्बर, 2000 और 7 जून, 2001 को समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। समिति के विचार-विमर्श से जो मुख्य सिफारिशें निकलीं, उनमें, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. रोग प्रतिरक्षण कवरेज स्तरों में सुधार करने के लिए रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को पुनः सुदृढ़ बनाना,
2. नवजात परिचर्या में सुधार के लिए एक कार्यक्रम का विकास करना,
3. सामुदायिक धात्रियां तैनात करने की आवश्यकता,
4. दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः सुदृढ़ बनाना,
5. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के फील्ड स्तर के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बैठाना,
6. एकमात्र स्तनपान के लिए नीतियों को अंतिम रूप देना,
7. सिविल पंजीयन पद्धति का सुदृढ़ीकरण,
8. कमजोर जिलों की पहचान करने हेतु तेजी से ध्यान केन्द्रित करना।
9. बाल स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम और सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की अधिक भागीदारी।

बहुत सी सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है। इनमें इस प्रकार की पहलें शामिल हैं:

1. प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना शुरू करना।

2. जनसंख्या के उपेक्षित वर्गों तक पहुंचने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों, स्वास्थ्य मेलों तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आउटरीच योजना का आयोजन।

3. प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन को शामिल करने हेतु परियोजना शुरू करना।

4. पहचान किए गए कमजोर जिलों में नवजात परिचर्या सुविधाओं का प्रचालन।

5. सामुदायिक स्तर के प्रदायकों के जरिए गृह आधारित नवजात परिचर्या के प्रावधान हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रचालनात्मक अनुसंधान।

6. 6 माह की आयु तक सिर्फ स्तनपान की नीति अपनाई गई है।

7. "सामुदायिक धात्रियों" के संबंध में संकल्पना संबंधी नोट का निरूपण एवं अनुमोदन।

8. 166 जिलों में दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

9. परिवार कल्याण कार्यक्रम में समेकित बाल विकास योजना के कार्यकर्ताओं की और अधिक भागीदारी, परिवार कल्याण कार्यकलापों में गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता तथा बाल स्वास्थ्य संबंधी विषयों के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण का समावेश हासिल करने हेतु कार्रवाई शुरू की गई है। बाल स्वास्थ्य सहित परिवार कल्याण की पहलों के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए 8 अधिकार संपन्न कार्य समूह राज्यों (बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तरांचल) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

***360. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:**
**श्रीमती रेणूका चौधरी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष जून माह में जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन की 55वीं महासभा में भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन के बारे में कौन-कौन सी प्रमुख टिप्पणियां और सिफारिशें की गई हैं;

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नीति में उल्लिखित विभिन्न बीमारियों के उपचार के कार्यान्वयन के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने में रही कमी की संज्ञेयता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित कार्य योजना क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा):** (क) मई, 2002 में जेनेवा में आयोजित की गई 55वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य सभा अन्तरराष्ट्रीय महत्व के स्वास्थ्य से संबद्ध मुद्दों पर विचार-विमर्श करती है, यह आमतौर पर किसी एक देश की स्वास्थ्य नीतियों के बारे में टिप्पणियां नहीं करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रोगों के नियंत्रण के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं; उदाहरण के तौर पर घातक (वाइल्ड) पोलियो विषाणु की संरचना को रोकना और 2005 के अंत तक सभी विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रों को पोलियो मुक्त प्रमाणित करना, जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में वैश्विक आधार पर कुष्ठ उन्मूलन करना, 2020 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का वैश्विक आधार पर उन्मूलन करना, नए संक्रामक क्षय रोगियों में से 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाना और पता लगाए गए रोगियों में से 85 प्रतिशत रोगियों को रोगमुक्त करना, वर्ष 2010 तक मलेरिया रुग्णता दर और मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तक की कमी करना, आदि।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में वर्ष 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य भी नियत किए गए हैं; उदाहरण के तौर पर 2005 तक पोलियो का उन्मूलन करना, 2005 तक कुष्ठ का उन्मूलन करना, 2015 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करना, क्षय रोग, मलेरिया और अन्य वैक्टरवाहित तथा जलजनित रोगों के कारण होने वाली मृत्यु दर में 50 प्रतिशत तक की कमी करना। चूंकि विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में दी गई समय-सीमा 2005 से 2015 तक है, इसलिए इस समय लक्ष्यों में कमी का प्रश्न नहीं उठता। एक प्रमुख नीतिगत सुझाव के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। विशेष रूप से, यह सुझाव दिया गया है कि सरकार द्वारा 2010 तक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.0 प्रतिशत किया जाए और राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य खर्च को 2010 तक बजट के 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाए।

नाविक भविष्य निधि

**3514. श्री महबूब जाहेदी:**
**श्री किरीट सोमैया:**

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को नाविकों की भविष्य निधि के करोड़ों रुपए के घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर):** (क) जी, हां।

(ख) यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

**3515. श्री हरिभाई चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार की ओर से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु धनराशि स्वीकृत करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात सरकार को वार्षिक योजना 2002-03 के लिए 10.26 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों की सूची भेजी है। वार्षिक योजना 2002-03 की स्कीमों के लिए योजना आयोग की सहमति राज्य सरकार को सूचित कर दी गई है।

फालतू कर्मचारी

**3516. श्री जय प्रकाश:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कार्यरत फालतू कर्मचारियों के बारे में कोई मूल्यांकन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो संयंत्र-वार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है; और

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** (क) और (ख) सेल ने अपनी जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन कर लिया है और इसका मार्च, 2005 तक जनशक्ति को कम करके लगभग 1 लाख करने का प्रस्ताव है। जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने का लक्ष्य मुख्य रूप से अधिवर्षिता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए प्राप्त किया जा रहा है। हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) में कोई अधिशेष स्टाफ नहीं है।

(ग) से (ङ) सेल ने समय-समय पर विभिन्न स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया है। इन योजनाओं के अंतर्गत सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

| संयंत्र/इकाई | 1998 | 1999 | 2001 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| बीएसपी | 1170 | 3397 | 1354 |
| डीएसपी | 1254 | 3184 | 413 |
| आरएसपी | 1201 | 2619 | 1251 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बीएसएल | 908 | 1233 | 1611 |
| एएसपी | 650 | 1529 | 410 |
| एसएसपी | 38 | 61 | 69 |
| अन्य | 754 | 1594 | 1402 |
| योग | 5975 | 13617 | 6510 |

*सेल ने अन्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2002 शुरू की है जो इस समय चल रही है।

सेल ने आकलन लगाया है कि मार्च, 2005 तक कर्मचारियों की संख्या 1,00,000 तक करने के लिए और 2000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. ने अभी तक किसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा नहीं की है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी को निधियों की कोई आवश्यकता नहीं है।

*[अनुवाद]*

## चिकित्सा पाठ्यक्रम

**3517. श्री सुन्दर लाल तिवारी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम.बी.बी.एस., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस. के लिए पाठ्यक्रमों की अवधि 4$^1/_2$ वर्ष + एक वर्ष इन्टर्नशिप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या बी.एच.एम.एस. के डाक्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद शल्य चिकित्सा कर सकते हैं और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में अंग्रेजी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) संबंधित चिकित्सा पद्धतियों के अधिनियमों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि 4$^1/_2$ वर्षों की तथा एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप विहित की गई है।

(ग) और (घ) होम्योपैथिक डॉक्टरों को बहुत ही छोटी शल्य-प्रक्रिया करने की अनुमति है, जिनमें आधुनिक निश्चेतक कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें केवल नुस्खे में होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई औषधियों को ही लिखने की अनुमति है।

## एड्स औषधियों की उपलब्धता

**3518. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेटेन्ट से संबंधित बंदिशों को हटाकर एड्स की सस्ती औषधियों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पेटेन्ट कानूनों को उदार बनाने हेतु विश्व व्यापार संगठन के साथ वार्ता की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ङ) पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के साथ पठित पेटेंट अधिनियम, 1970 में एड्स से संबद्ध औषधों सहित केवल औषधों के बारे में पैटेंट प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट्स मौजूदा पेटेंट कानून के अंतर्गत अनुमत नहीं है। इसके अलावा, युक्तियुक्त वहनीय मूल्यों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानून में एड्स एच.आई.वी., क्षय रोग, मलेरिया अथवा अन्य महामारियों से संबंधित जन स्वास्थ्य आपदाओं सहित सभी जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटान के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य लाइसेंसिंग, समानान्तर आयात और आविष्कार के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रावधान निहित हैं।

सरकार एच.आई.वी./एड्स के रोगियों को लग जाने वाले संक्रमणों का उपचार करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में मुफ्त औषधें प्रदान कर रही है। उच्च व्याप्तता वाले राज्यों में मां से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम के लिए एच.आई.वी. पाजिटिव गर्भवती महिलाओं को एंटिरिट्रोवायरल औषध, नेवीरापाइन प्रदान की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए रोग-निरोधन पहुंच हेतु राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए एंटिरिट्रोवायरल औषधों की आपूर्ति की जा रही है सरकार ने एंटिरिट्रोवायरल औषधों पर उत्पाद शुल्क

में छूट भी दी है ताकि उन्हें एच.आई.वी./एड्स रोगियों के लिए वहनीय बनाया जा सके।

### आई.आई.एस.सी.ओ. (इस्को)

**3519. श्री सुनील खां:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार का भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में इस्को (आई आई एस सी ओ) के साथ समझौता करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### खून की बिक्री और प्रतिस्थापन

**3520. श्री सुबोध मोहिते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 2002 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में खून की बिक्री और प्रतिस्थापन के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मामले में कोई जांच करवाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, हां।

(ख) रोटरी रक्त बैंक प्राधिकारियों ने कहा है कि वे गरीब लोगों अथवा रिक्शा चालकों से रक्त प्राप्त करने से मना नहीं करते। अपनी विवरणिका में वे इस बात पर बल देते हैं कि गरीबों का उनके रक्तदान के बदले नगण्य धनराशि देकर शोषण नहीं किया जाना चाहिए, वैसे, रक्तदान के मामले में गरीब लोगों को खतरे वाले समूह में नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कोई जांच नहीं कराई गई है। तथ्य यह है कि रक्त के किसी भी नमूने को हीमोग्लोबीन तथा रक्ताधान से संचरित होने वाले संक्रमण की अनुपस्थिति आदि के संबंध में कतिपय न्यूनतम निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। यदि रक्त का नमूना इन मानकों के अनुरूप होता है तो यह रक्ताधान के उद्देश्य से स्वीकृत कर लिया जाता है। इससे निरापद रक्त का एकत्रीकरण सुनिश्चित होता है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### पंचायतों को डाक-तार सुविधाएं

**3521. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में उन ग्राम पंचायतों की जिला-वार संख्या कितनी है जहां डाक-तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) वैसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संचार सेवाएं या तार कार्यालय खोले गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) जम्मू व कश्मीर में सभी गांवों में डाक-टिकटों एवं डाक-लेखन सामग्री की बिक्री, डाक संग्रहण एवं वितरण की बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जम्मू व कश्मीर के ऐसे ग्राम पंचायत गांवों की जिलावार संख्या विवरण-I में दी गई है, जिनमें तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों व पंचायत संचार सेवा केन्द्रों (पी एस एस के) की संख्या विवरण-II में दी गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान कोई तारघर नहीं खोला गया; और

(ग) डाक नेटवर्क का विस्तार एक योजना कार्यकलाप है तथा डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने एवं अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्ष 2002-2003 के दौरान जम्मू व कश्मीर में 5 अतिरिक्त विभागीय शाखा

डाकघर और 10 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन डाकघरों और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का खोला जाना निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने व अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कोई मांग न होने के कारण तार सुविधा प्रदान नहीं की गई।

*विवरण-I*

*तार सुविधा रहित ग्राम पंचायतों की संख्या*

| क्र.सं. | जिले का नाम | तार सुविधा रहित ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अनंतनाग | 134 |
| 2. | बारामूला | 151 |
| 3. | बडगाम | 202 |
| 4. | डोडा | 127 |
| 5. | जम्मू | 186 |
| 6. | कारगिल | 33 |
| 7. | कठुआ | 102 |
| 8. | कुपवाड़ा | 111 |
| 9. | लेह | 35 |
| 10. | पुंछ | 46 |
| 11. | पुलवामा | 124 |
| 12. | राजौरी | 66 |
| 13. | श्रीनगर | 22 |
| 14. | ऊधमपुर | 102 |
| | कुल | 1341 |

*विवरण-II*

*ऐसी पंचायतों की संख्या जहां पिछले दो वर्षों के दौरान डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए*

| वर्ग | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|
| अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) | 05 | 13 |
| विभागीय उप डाकघर | 01 | - |
| पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पीएसएसके) | 12 | 12 |

*[अनुवाद]*

## ट्रैवल एजेंट

**3522. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 अगस्त, 2000 से ट्रैवल एजेंटों को पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट संबंधी आवेदन-पत्र जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में ऐसे ट्रैवल एजेंटों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या बड़ी संख्या में ट्रैवल एजेंटों ने पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को अगस्त, 2000 से प्राप्त होने वाली ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार ने ऐसे एजेंटों द्वारा पासपोर्ट के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्रों की जांच के लिए कोई त्रुटिहीन प्रणाली की स्थापना की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला):** (क) जी हां।

(ख) 1 अगस्त, 2000 को जारी नए निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित ट्रैवल एजेन्टों को पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन फार्म जमा करने की अनुमति दी गई है:

(1) वह ट्रैवल एजेंट जिन्हें मंत्रालय ने 1986 और 23.7.1992 के बीच मान्यता प्रदान की थी, और

(2) वह यात्रा एजेंट जो ट्रैवल एजेन्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) अथवा ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टी ए एफ आई) दोनों में से किसी एक के सदस्य हैं और जिन्हें इंटरनेशनल एअर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन (आई ए टी ए) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(ग) इस समय 1188 ट्रैवल एजेन्टों को पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन फार्म जमा कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार को अगस्त 2000 तक 105 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(च) जी हां।

(छ) ट्रैवल एजेन्टों को निम्नलिखित शर्तों पर विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन फार्म लेने और जमा करवाने की अनुमति दी गई है:

(1) ट्रैवल एजेन्टों द्वारा आवेदन फार्मों और मूल दस्तावेजों की ठीक प्रकार से जांच की जाए।

(2) ट्रैवल एजेन्ट आवेदकों को पूरा फार्म सही तरीके से भरने में सहायता करेंगे, जिसके लिए मंत्रालय उन्हें जांच-सूची प्रदान करेगा।

(3) ट्रैवल एजेन्टों को उचित प्राधिकार-पत्र के साथ पासपोर्ट आवेदन फार्म जमा करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें मूल दस्तावेज भी जांच के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों में लाने होंगे।

(4) प्रथम बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को पासपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा अथवा केवल आवेदक को दिया जायेगा। विविध सेवाओं के लिए और पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर आवेदन किए गए पासपोर्ट की सुपुर्दगी ट्रैवेल एजेन्टों को उचित प्राधिकार-पत्र देने पर मिल सकती है।

(5) पासपोर्ट कार्यालय से संबंध रखने वाले किसी ट्रैवल एजेन्ट को यदि किसी कदाचार में लिप्त पाया गया तो पासपोर्ट कार्यालय से संबंध रखने की अनुमति को तत्काल रद्द कर दिया जोगा। आपराधिक मामले पुलिस को भी भेजे जाएंगे।

(6) ट्रैवल एजेन्ट से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, केवल स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्ट मिलने पर ही पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट जारी करेगा।

**कर्नाटक के लिए वित्तीय सहायता**

**3523. श्री सी.के. जाफर शरीफ:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य ने गुणवत्ता प्रशिक्षण देने हेतु कर्मचारी एवं अन्य व्यय के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने प्रशिक्षण, उपकरणों और स्थायी कर्मचारियों जिन पर 10.00 लाख रुपए की लागत आएगी हेतु वित्तीय सहायता के लिए भी केन्द्र सरकार से निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) और (ख) कर्नाटक राज्य ने 31.12.2000 को परियोजना पूरी होने के बाद विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारत जनसंख्या परियोजना-IX (आई.पी.पी.-IX) के अधीन सृजित 19 जिला प्रशिक्षण केन्द्रों और राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के वेतन और गैर-वेतन आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना की निधियों का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया था कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन केवल प्रशिक्षण लागतों हेतु सहायता के लिए ही प्रावधान मौजूद हैं। इसके अलावा, अनुमोदित मानकों के अनुसार सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाओं को आधारभूत ढांचे की लागतें उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना लागत को वहन करने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार परियोजना अवधि अर्थात् 31.12.2001 के आई.पी.पी.-IX के अधीन सृजित परिसम्पत्तियों की सभी आवर्ती लागतें पूरी करने के लिए पहले सहमत हो चुकी थी।

**भारतीय परमाणु निगम द्वारा विकसित बीज**

**3524. श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय परमाणु निगम ने उच्च उत्पादकता वाले कुछ बीज विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बीजों के नाम क्या हैं और क्या ये बीज उत्पादकता, रोग और पेस्ट रोध और सूखा रोध के संबंध में अन्य तरह से विकसित बीजों की तुलना में अच्छे हैं;

(ग) क्या उनके विभिन्न प्रकार के मृदा और कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अधिक उत्पादकता वाला कोई भी बीज विकसित नहीं किया है। तथापि, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने बेहतर/अधिक उत्पादकता वाले बीज विकसित किए हैं;

(ख) से (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने विकिरण प्रेरित उत्परिवर्ती प्रजनन विधि को काम में लाकर फसलों की 22 बेहतर किस्में विकसित की हैं। ये विभिन्न किस्में हैं, काला चना, हरा चना, तूर, मूंगफली, सरसों चावल तथा पटसन।

विभिन्न किस्मों के नाम, उपलब्ध स्थानीय सर्वाधिक बोई जाने वाली किस्मों की तुलना में उनकी उपज संबंधी आंकड़े अथवा उत्पादकता संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा उत्पादित कुछ उत्परिवर्ती किसानों में बहुत लोकप्रिय हैं। आंकड़ों के अनुसार, ट्राम्बे मूंगफली किस्म, कुल राष्ट्रीय प्रजनक बीज की मांग का लगभग 30 प्रतिशत बैठती है। ट्राम्बे काले चने की किस्म, कुल राष्ट्रीय प्रजनन बीज की मांग का 44 प्रतिशत बैठती है। अकेले महाराष्ट्र में ही काले चने की इस किस्म का इस्तेमाल, काले चने की खेती वाले क्षेत्र के 95% भाग में होता है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी उगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, रोग प्रतिरोधकता और अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित करने के लिए आगे कार्य करना, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

*विवरण*

*भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा खेती के लिए जारी की गई और अधिसूचित की गई फसलों की किस्में*

| फसल | नाम | जिस वर्ष जारी की गई | परिपक्वता (एम) उपज (वाई) तथा उपज में वृद्धि (वाईआई) | क्षेत्र तथा बीजों के स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| काला चना | टीएयू-1 | 1995 | एम : 70-75 दिन<br>वाई : 800-1000 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 24% | महाराष्ट्र, कर्नाटक,<br>महाराष्ट्र राज्य बीज निगम (एमएसएसी), अकोला |
| | टीएयू-2 | 1992 | एम : 70 दिन<br>वाई : 900-1000 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 18% | महाराष्ट्र,<br>एमएसएससी, अकोला |
| | टीपीयू-4 | 1992 | एम : 70-75 दिन<br>वाई : 900-1000 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 22% | महाराष्ट्र,<br>मध्य प्रदेश,<br>एमएसएसी, अकोला |
| | टीयू-94-2 | 1999 | एम : 70 दिन<br>वाई : 900-1000 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 19-37% | आंध्र प्रदेश,<br>कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,<br>बीएआरसी, मुंबई |
| हरा चना | टीएपी-7 | 1983 | एम : 60 दिन<br>वाई : 700-800 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 23% | महाराष्ट्र,<br>कर्नाटक,<br>एमएसएससी, अकोला |
| | टीएआरएम-2 | 1992 | एम : (रबी 90 दिन)<br>वाई : 1000-1100 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 80% | महाराष्ट्र,<br>एमएसएससी, अकोला |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | टीएआरएम-1 | 1995 | एम : 80 दिन<br>वाई : 765 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 45% | महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बीएआरसी, मुंबई |
| | टीएआरएम-18 | 1995 | एम : 65-70 दिन<br>वाई : 1051 किग्रा/हैक्टे. | महाराष्ट्र, बीएआरसी, मुंबई |
| अरहर | टीटी-6 (ट्राम्बे- | 1983 विशाखा-1) | एम : 135-140 दिन<br>वाई : 1200-1300 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 15% | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, एमएसएससी, अकोला |
| | टीएटी-10 | 1985 | एम : 110-115 दिन<br>वाई : 900-1000 किग्रा/हैक्टे. | महाराष्ट्र, एमएसएससी, अकोला |
| मूंगफली | टीजी-1 | 1973 | एम : 130-135 दिन<br>वाई : 2400-2500 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 15-20% | महाराष्ट्र, गुजरात, बीएआरसी, मुंबई |
| | टीजी-17 | 1985 | एम : 115-120 दिन<br>वाई : 1700-2000 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 15-20% | महाराष्ट्र, बीएआरसी, मुंबई |
| | टीजी-3 | 1987 | एम : 110 दिन<br>वाई : 2000-2500 किग्रा/हैक्टे. | केरल, बीएआरसी, मुंबई |
| | टीजीएस-1 | 1989 | एम : 110-125 दिन<br>वाई : खरीफ 2000 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 23% | गुजरात, गुजरात कृषि विश्वविद्यालय (जीएयू), जूनागढ़ |
| | टीएजी-24 | 1991 | एम : खरीफ : 100-105 दिन<br>ग्रीष्म : 112-117 दिन<br>वाई : खरीफ : 1300 किग्रा/हैक्टे.<br>ग्रीष्म : 2500 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : खरीफ : 24%<br>ग्रीष्म : 50% | महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, एमएसएससी, अकोला |
| | टीजी-22 | 1992 | एम : खरीफ : 115-120 दिन<br>वाई : खरीफ : 1677 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 30% | बिहार बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची |
| | टीकेजी-19ए | 1994 | एम : 120-125 दिन<br>वाई : (ग्रीष्म): 2000-2500 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई: 12-13% | महाराष्ट्र, कोंकण कृषि विद्यापीठ (केकेवी), डपोली, बीएआरसी, मुंबई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | टीजी-26 | 1995 | एम : 110-120 दिन<br>वाई : (ग्रीष्म): 2500 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 23-39% | गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बीएआरसी, मुंबई |
| सरसों | टीएम-2<br>(काला बीज) | 1987 | एम : 90 दिन<br>वाई : 1370 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई: 25% | असम,<br>बीएआरसी, मुंबई |
| | टीएम-4<br>(पीला बीज) | 1987 | एम : 95 दिन<br>वाई : 1470 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 35% | असम,<br>बीएआरसी, मुंबई |
| चावल | हरि | 1988 | एम : 135-140 दिन<br>वाई : 6000 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 20% | आंध्र प्रदेश,<br>बीएआरसी, मुंबई,<br>आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि. (एपीपीएसडीसीएँल) |
| पटसन | टीकेजी-40<br>(महादेव) | 1983 | एम : 125-130 दिन<br>वाई : 2800-3100 किग्रा/हैक्टे.<br>वाईआई : 10-13% | उड़ीसा,<br>बीएआरसी, मुंबई |

**खेलों का विकास और प्रोत्साहन**

3525. **श्री टीएच. चाओबा सिंह:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में खेल और युवक कार्यक्रमों के बुनियादी ढांचे के विकास और प्रोत्साहन हेतु एक कृतिक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल कब गठित किया गया था;

(ग) क्या उक्त कृतिक बल ने सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में खेल और युवक कार्यक्रमों के लिए अवसंरचना के निर्माण हेतु किसी निधि की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी निधि की सिफारिश की गई है; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती):** (क) से (ङ) जी, हां। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों और युवा कार्यक्रमों के विकास और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा 6 मार्च, 2000 को एक कृतिक बल गठित किया गया था। कृतिक बल ने उस क्षेत्र में खेलों और युवा कार्यक्रमों के लिए अवस्थापना के सृजन हेतु 389.72 करोड़ रु. की धनराशि की सिफारिश की है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

**दगांव में इस्पात संयंत्र**

3526. **श्री राजेन गोहेन:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के तहत स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** असम में दगांव में इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दगांव में 42.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक हॉट डिप गाल्वेनाइजिंग लाइन (एच डी जी एल) संयंत्र की स्थापना की जा रही है। सेल का एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जो गठन की प्रक्रिया में है, के माध्यम से इस परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव है।

**दमण और दीव हेतु मेडिकल सीटें**

**3527. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमण और दीव के बीच मेडिकल सीटों का कोटा जारी करने हेतु आदेश निर्गत किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आदेशों के कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) दमण और दीव के लिए मेडिकल सीटों के कोटे को जारी करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

**पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं**

**3528. श्री के.के. कलिअप्पन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय पूरे देश में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश के पर्वतीय क्षेत्रों को बेहतर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने हेतु कोई प्रस्ताव लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) और (ख) यह मंत्रालय, नई दूरसंचार नीति, 1999 में यथा परिकल्पित, देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने संबंधी विभिन्न स्कीमें आरंभ कर रहा है, जिसके विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. सभी नागरिकों को वहनीय और प्रभावी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।
2. देश के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधायुक्त बनाना और वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना।
3. उपयुक्त टैरिफ संरचना से दूरसंचार सेवा को अधिक वहनीय बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को बढ़ावा देना और सभी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण संचार उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाना।
4. वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेलीघनत्व को मौजूदा 0.4 के स्तर से बढ़ाकर 4 करना और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करना।
5. वर्ष 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना और उसके बाद भी इस स्थिति को बनाए रखना ताकि 2005 तक 7 तथा 2010 तक 15 का टेलीघनत्व प्राप्त किया जा सके।
6. देश के रक्षा तथा सुरक्षा हितों का संरक्षण करना।

अनेक स्कीमें आरंभ की गई हैं जैसे वायरलैस लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली पर टेलीफोन प्रदान करना, सेल्युलर मोबाइल सेवाएं, व्यापक रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणालियां लगाना, सेल्युलर, फिक्स्ड तथा अन्य सेवाओं के लिए नए लाइसेंस जारी करना आदि।

(ग) से (ङ) देश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकार के पास अलग से कोई निधि आबंटन नहीं है, तथापि विभाग की वार्षिक योजना के अंतर्गत देश के जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधि आबंटित की जा रही है।

**दूरसंचार का विकास**

**3529. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार की प्रायोगिक परियोजना के तहत, भारत सरकार और अमेरिका के बीच वर्ष 1995-96 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) क्या यह तथ्य है कि समझौता ज्ञापन के स्थान पर दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनी को दी जाने वाली प्रस्तावित परियोजना आरम्भ में पांच वर्ष के लिए थी, किन्तु बाद में इसे दस वर्ष तक बढ़ा दिया गया; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष

**3530. श्री रामशेठ ठाकुर:**
**श्री अशोक ना. मोहोल:**
**श्री ए. वेंकटेश नायक:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष के तहत देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान इस प्रयोजनार्थ संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से देश में राज्य-वार चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.) ने भारत सरकार के लिए सहायता (1997-2002) के अपने पाचंवें देशीय कार्यक्रम (सी.पी. 5) के दौरान प्रचार तथा एक व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य प्रस्ताव जिसमें गुणवत्ता वाली सेवाओं तक पहुंच, लैंगिक निष्पक्षता तथा समानता, पुरुषों की भागीदारी तथा प्रजनन के अधिकार महत्वपूर्ण संघटक हैं, के लिए धन दिया है। तीन वर्षों 2000-2002 के दौरान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि ने क्रमश: लगभग 44.50 करोड़ रुपये, 57 करोड़ रुपये तथा 55 करोड़ रुपये (अनुमानित) प्रदान किए हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.) की सहायता प्राप्त सभी राज्यों में कार्यान्वयन हेतु प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(1) सभी स्तरों—स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर, औपचारिक और अनौपचारिक—पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में जनसंख्या तथा विकास संबंधी संदेशों को समेकित करने हेतु जनसंख्या एवं विकास संबंधी शैक्षिक परियोजनाएं; (2) गैर-सरकारी संगठनों के जरिए लैंगिक मामलों हेतु सहायता; (3) चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य संवर्गों तथा प्रशासकों के लिए लैंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम; (4) जनसंख्या स्थिरीकरण तथा दीर्घकालीन विकास से संबंधित मामलों के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा प्रचार-माध्यम के लिए प्रचारक परियोजनाएं इत्यादि। यू.एन.एफ.सी.ए. छह राज्यों अर्थात् राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा केरल के 30 जिलों तथा 5 नगर निगम क्षेत्रों में ''समेकित जनसंख्या तथा विकास परियोजनाएं'' नामक क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं की सहायता भी कर रहा है। इन समेकित जनसंख्या तथा विकास परियोजनाओं का लक्ष्य मुख्य कार्यकलापों जैसे कि आवश्यकता-विशिष्ट प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी संरचना में सुधार, व्यवहार परिवर्तन के लिए स्थानीय-विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण, प्रशिक्षण, गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सेवा प्रदानगी में नए कार्यकलापों को बढ़ावा देने के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की पहुंच तथा गुणवत्ता में सुधार लाना है। यू.एन.एफ.पी.ए. ने महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित समेकित महिला अधिकारिता एवं विकास परियोजना, जिसमें महिला अधिकारिता एवं गुणवत्ता वाली प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यनीति के रूप में सामुदायिक जुटाव पर बल दिया गया था, के लिए भी सहायता दी है।

## अमरीका के विदेश मंत्री की यात्रा

**3531. श्री राम मोहन गाड्डे:**
**श्री अम्बरीश:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) जी, हां। अमरीका के विदेश मंत्री कोलिन पावेल 27-28 जुलाई, 2002 तक भारत की यात्रा पर आए।

(ख) दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मसलों और भारत में सीमा-पार आतंकवाद, इस संबंध में राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा दिए गए वचनों के बावजूद की निरन्तरता के परिणामस्वरूप उत्पन्न मौजूदा स्थिति पर चर्चा की।

(ग) हमने विगत अट्ठारह माह से अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की और प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति बुश द्वारा विगत नवम्बर में वाशिंगटन में रेखांकित दृष्टिकोण के अनुसरण

में अपने संबंधों को गुणात्मक रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सहमत हुए। इस विषय पर विचारों में व्यापक सहमति थी। राष्ट्रपति मुशर्रफ के दावों के विपरीत विदेश मंत्री पावेल इस बात के लिए सहमत हुए कि सीमा-पार घुसपैठ और आतंकवादी वारदातें समाप्त नहीं हुई हैं, इस बात को दोहराया कि राष्ट्रपति मुशर्रफ को सीमा-पार घुसपैठ की स्थायी समाप्ति संबंधी अपने वचनों को पूरा करना चाहिए तथा इस बात को स्वीकार किया कि इस संबंध में पाकिस्तान द्वारा प्रगति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने तथा संवाद बहाली के लिए माहौल बनाना अपेक्षित है। उन्होंने घुसपैठ की स्थायी समाप्ति और आतंकवाद के लिए ढांचागत समर्थन जैसे आतंकवादी शिविरों के बीच संपर्क को माना। विदेश मंत्री पावेल इस बात के लिए भी सहमत हुए कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव की सफलता के लिए सुरक्षा और हस्तक्षेप मुक्त वातावरण अपेक्षित है, और पाकिस्तान को चुनावों में बाधा के परिहार का हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

## विश्व बैंक की एड्स हेतु सहायता

**3532. श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत को एड्स के नियंत्रण हेतु स्वीकृत की गई विश्व बैंक की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक की सहायता का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता के उपयोग हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-चरण-II एक शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे देश भर में विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना अवधि (1999-2004) के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-चरण-II के लिए 1425 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। इसमें से 959 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने हैं और भारत सरकार का अंशदान 196 करोड़ रुपये तक है। शेष रकम निम्नलिखित दो द्विपक्षीय अभिकरणों द्वारा प्रदान की जानी है:

यू.एस. एड सहायता (166 करोड़ रुपये), और डी.एफ.आई.डी. सहायता (104 करोड़ रुपये)।

विश्व बैंक (आई डी ए) उधार (क्रेडिट) खाते से निधियां राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा इस परियोजना को कार्यान्वित कर रही प्रत्येक एड्स नियंत्रण सोसायटी और अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के आधार पर प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करके निकाली जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-चरण-II, के विश्व बैंक सहायता प्राप्त अंश के लिए अनुमोदित परिव्यय में से निधियों के समुपयोग की स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | प्रावधान | समुपयोग |
|---|---|---|
| 1999-2000 | 135.50 | 129.74 |
| 2000-2001 | 120.50 | 162.56 |
| 2001-2002 | 166.50 | 159.89 |

## अंतर्देशीय जल मार्ग

**3533. श्री वाई.वी. राव:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पास अन्तर्देशीय जल मार्गों की भारी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अब इस संभावना का किस सीमा तक दोहन किया जा रहा है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) जी, हां।

(ख) तीन जलमार्गों अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा, धुबरी से सदियां तक ब्रह्मपुत्र और चम्पाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तटीय नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है और इन जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं चरणबद्ध रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ग) सरकार की संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक

सुविधाओं को उपलब्ध कराने और उनका अनुरक्षण करने तथा कुछ नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा करने की भी योजना है।

**कानून द्वारा घोषित भगौड़ों को वापिस लाना**

**3534. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
**श्री पी.डी. एलानगोवन:**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानून द्वारा घोषित अनेक भारतीय भगौड़े इस समय विदेशों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें वापस लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला):** (क) और (ख) विदेशों में भारतीय भगोड़ों के विरुद्ध मामलों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का काम विभिन्न राज्य और केन्द्रीय जांच एजेंसियों का है। विदेश मंत्रालय में ऐसे भगोड़ों के देश-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भगोड़ों के प्रत्यर्पण अनुरोध विदेशी सरकारों को भेजे गये हैं।

(ग) अन्य देशों में छुपे भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण अनुरोध की विदेश मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है और प्रवृत्त प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के अनुरूप इसे आगे बढ़ाया जाता है। भारत ने अब तक 17 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां संपन्न की हैं और अनेक अन्य देशों के साथ ऐसी संधियां संपन्न करने का प्रस्ताव विचार/वार्ता के विभिन्न चरणों में हैं।

*[हिन्दी]*

**बेरोजगारी**

**3535. श्री रामजीलाल सुमन:**
**श्री नवल किशोर राय:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में नौकरी पाने वालों में बेरोजगारी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के अंत तक देश के राज्य-वार शहरी क्षेत्रों में उक्त आयु वर्ग के लोगों में पाई गई बेरोजगारी का अनुमानित प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में बेरोजगारी की प्रतिशतता में अंतर के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) वर्ष 1993-94 और 1999-2000 में किये गये एनएसएस सर्वेक्षणों के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में युवाओं (15-29 वर्ष की आयु वर्ग) के बीच बेरोजगारी, वर्तमान दैनिक स्थिति (सीडीएस) के आधार पर 1993-94 में 15% से 1999-2000 में 15.4% तक बढ़ी है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए चयनित राज्यों हेतु वर्तमान दैनिक स्थिति पर शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। रोजगार और बेरोजगारी हेतु अद्यतन उपलब्ध एनएसएस अनुमान केवल 1999-2000 से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) राज्यों में बेरोजगारी की व्यापकता में अन्तर को, राज्य की अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि की दर में अंतर और इसकी क्षेत्रक संरचना द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

(ङ) सरकार ऋण आबंटन, बाजार सुविधा, सामान्य आधारिक संरचना के निर्माण और तकनीकी उन्नयन की सहायता के अर्थ में प्रोत्साहन और अधिमान्य व्यवहार द्वारा श्रम गहन क्षेत्रों जैसे कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप, खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) और लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है।

***विवरण***

*चयनित राज्यों में 1999-2000 के लिए शहरी क्षेत्रों में युवाओं (15-29 आयु) में वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर*

| राज्य | बेरोजगारी दर (%) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 14.8 |
| असम | 26.6 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| बिहार | 24.4 |
| गुजरात | 8.5 |
| हरियाणा | 8.3 |
| हिमाचल प्रदेश | 20.5 |
| कर्नाटक | 10.5 |
| केरल | 34.3 |
| मध्य प्रदेश | 14.6 |
| महाराष्ट्र | 16.5 |
| उड़ीसा | 25.5 |
| पंजाब | 9.5 |
| राजस्थान | 8.8 |
| तमिलनाडु | 15.6 |
| उत्तर प्रदेश | 12.5 |
| पश्चिमी बंगाल | 24.0 |
| अखिल भारत | 15.4 |

स्रोत: राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)

*[अनुवाद]*

## अस्पतालों को अनुदेश

**3536. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की भर्ती के बारे में सरकारी/निजी अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को भुगतान आदि न किए जाने की स्थिति में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को भर्ती करने से इंकार करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन अस्पतालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.एल.पी. (सी) संख्या 796/92-पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में दिनांक 6.5.1996 के अपने फैसले में परिचर्या तथा उपचार की वास्तविक आवश्यकता वाले लोगों को इनकी तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाए हैं। माननीय न्यायालय ने यह दिशा-निर्देश दिया था कि अन्य राज्यों, हालांकि वे पक्ष नहीं हैं को भी जांच समिति जो कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी, द्वारा की गई संस्तुतियों तथा न्यायालय द्वारा दिए गए और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 12.12.1996 को इस सुझाव के साथ परिचालित की गई थी कि वे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें। आपात रोगियों का उपचार करने के संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश भी 13.12.1996 को केन्द्र सरकार के अधीन सभी अस्पतालों/संस्थानों नामत: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज व संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली को जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी रोगी जो मरणासन्न हों/जिनकी हालत चिन्ताजनक हो, को दाखिला दिया जाना चाहिए भले ही बिस्तर उपलब्ध न हों और उन्हें सभी आवश्यक परिचर्याएं दी जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में रोगी को आपात/आकस्मिकता विभाग में खाली बिस्तर के इन्तजार में परिचर्या रहित नहीं छोड़ा जाएगा।

भारत के संविधान के अधीन स्वास्थ्य राज्यों का विषय होने के कारण, निजी अस्पतालों का विनियमन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अधीन है।

(ग) ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

## पाकिस्तान जाने वाले सड़क मार्ग को पुन: खोलना

**3537. सरदार सिमरनजीत सिंह मान:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान जाने वाले सड़क मार्ग को पुन: खोलने का है ताकि सिक्ख तीर्थयात्री वहां गुरुद्वारों के दर्शन कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) और (ख) 13 दिसम्बर को संसद पर हमले के पश्चात सरकार द्वारा किए गए उपायों में 1 जनवरी, 2002 से समझौता एक्सप्रैस की सेवाओं तथा दिल्ली-लाहौर बस सेवा की समाप्ति शामिल है। इस समय इन सेवाओं को बहाल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

**भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाना**

**3538. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त रूप से अनुसंधान करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मास्कों में किसी आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) क्या संयुक्त कार्य दस्तावेज बनाने का भी निश्चय किया गया है और छह महीने में परियोजनाएं बना ली जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) जी हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सूचना के अनुसार रशियन इंडियन सेंटर फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च, मास्को की स्थापना के लिए मार्च, 2002 में सरकारी स्तर पर समझौता ज्ञापन हो चुका है।

(घ) रशियन इंडियन सेंटर फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च मानकीकृत आयुर्वेदिक औषधियों के प्रतिपादन के लिए उन्नत प्रक्रियाओं के विकास, विषाक्तता विषयक अध्ययन सहित आयुर्वेदिक औषधियों के फार्मको-कॉकिनेटिक्स पर अध्ययन करने के लिए आधारभूत रूप से आवश्यक अनुसंधान और विकास आधार उपलब्ध कराएगा।

(ङ) सेंटर की संयुक्त गतिविधियों के कार्यान्वयन का संचालन दोनों सरकारों द्वारा नामित सदस्यों से बनी संयुक्त परिषद् द्वारा किया जाएगा। दोनों ओर से संयुक्त परिषद् के लिए अपने-अपने सह-अध्यक्ष को नामित किया गया है।

**चिकित्सा शिक्षा**

**3539. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र का विशेषकर भारत के अविकसित क्षेत्रों में विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर बंगाल के रायगंज में चिकित्सा कालेज की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जो मेडिकल कालेजों की स्थापना विनियम, 1999 में निर्धारित योग्यता और अर्हता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे नए मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

**मस्तिष्क की सक्रियता को प्रभावित करना**

**3540. श्री सईदुज्जमा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के अनुसंधानों से यह पता चला है कि वीडियो गेम से मस्तिष्क की सक्रियता प्रभावित होती है;

(ख) क्या भारत में भी इस प्रकार का कोई अनुसंधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में वीडियो गेम का प्रयोग करने वाले को उचित सलाह देगी?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने मस्तिष्क के कार्यों पर वीडियो-गेम्स के होने वाली प्रभाव पर

कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। वैसे, विकसित देशों में किए गए अनुसंधान के परिणाम यह बताते हैं कि इलेक्ट्रानिक गेम्स का उपयोगकर्त्ताओं पर मामूली प्रभाव पड़ता है अथवा कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रानिक गेम्स के उपयोग पर कोई ठोस अनुसंधान नहीं किया गया है।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी, भोपाल को सहायता**

3541. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में श्री लाल बहादुर प्रशासनिक अकादमी, भोपाल को केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान एवं सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या राज्य-सरकार ने इस संस्था का नाम बदलने के संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय द्वारा जुटाई जा रही समस्त सहायता, अनुदान के रूप में ही होती है। मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त अकादमी को पिछले तीन वर्ष में मुहैया करवाया गया अनुदान निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

| | | |
|---|---|---|
| वर्ष, 1999-2000 | - | 29.78 |
| वर्ष, 2000-2001 | - | 14.28 |
| वर्ष, 2001-2002 | - | 36.35 |

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार में दूरभाष केन्द्र**

3542. **मोहम्मद अनवारूल हक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के शिवहर क्षेत्र में कुल कितने दूरभाष केन्द्र हैं;

(ख) क्या वर्तमान में जो दूरभाष केन्द्र हैं वह उचित रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सभी दूरभाष केन्द्रों को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया गया है;

(घ) क्या शिवहर क्षेत्र में किसी नये दूरभाष केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर लिये जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) बिहार के शिवहर क्षेत्र में पांच (5) दूरभाष केन्द्र हैं।

(ख) जी हां। तथापि, भारी बाढ़ और विशेषकर विद्युत व डीजल की अनुपलब्धता के कारण इस समय रख-रखाव के कार्य में कुछ मुश्किलें आ रही हैं।

(ग) दो दूरभाष केन्द्रों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। शेष 3 दूरभाष केन्द्रों को भी 30 चैनल डिजिटल यूएचएफ पर विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**कॉल सेन्टर**

3543. **डा. वी. सरोजा:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली एवं मुम्बई में काल सेन्टरों की स्थापना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान कितने सेन्टरों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(घ) वर्ष 2002-03 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इन सेन्टरों के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किये जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) और (ख) जी हां। एमटीएनएल, नई दिल्ली में 197 तथा अन्य संबंधित सेवाओं के लिए 240 ऑपरेटरों वाला एक कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। मुख्य कॉल सेन्टर किदवई भवन में है, तथा सात अन्य कॉल सेन्टर लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस, करोलबाग, शक्ति नगर, जनकपुरी, भिकाजीकामा प्लेस तथा रोहिणी सैक्टर-3 एक्सचेंज में हैं।

(ग) वर्ष 2002-03 के दौरान एमटीएनएल का अपनी सहायक कंपनी "द मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड" के माध्यम से दिल्ली और मुम्बई, प्रत्येक में 1000 सीट के कॉल सेन्टर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। 2002-03 के दौरान दिल्ली और मुम्बई में एक-एक कॉल सेन्टर उन एजेंसियों से किराए पर लेने का प्रस्ताव है जिनके अपने कॉल सेन्टर हैं और जो कॉल सेन्टर की सुविधाओं का प्रबंधन कर रही है, ताकि प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार, टैरिफ, बिलिंग इत्यादि से संबंधित ग्राहकों की पूछताछ का उत्तर दिया जा सके।

(घ) दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में 1000 सीटों वाले एमटीएनएल कॉल सेन्टरों पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित कुल राशि, प्रत्येक कॉल सेन्टर के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए होगी।

(ङ) कॉल सेन्टरों की स्थापना ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए की गई हैं। इसका उद्देश्य राजस्व अर्जन नहीं है, क्योंकि इन कॉल सेन्टरों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाएं नि:शुल्क हैं। कॉल सेन्टरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सेवाएं निम्नानुसार हैं:

| | | |
|---|---|---|
| (1) डायरेक्टरी पूछताछ | - | 197 |
| (2) परिवर्तित नम्बर सेवा | - | 1951/1952 |
| (3) एसटीडी/आईएसडी कोड पूछताछ | - | 182 |
| (4) राष्ट्रीय डायरेक्टरी पूछताछ | - | 183 |
| (5) वीआईपी शिकायत बुकिंग सेवा | - | 178 |
| (6) इंटरनेट हेल्प डेस्क | - | 1600-111-172 |

*[हिन्दी]*

## एसटीडी/आईएसडी काल की दरें

**3544. श्री नवल किशोर राय:**
**डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अन्य देशों विशेषकर अमरीका की तुलना में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दूरभाष की काल दरें अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) भारत में ऊंची दरों के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में भारत में दूरभाष कॉल की दरें अन्य देशों की दरों के सममूल्य लाई जाएंगी?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) और (ख) टीआरएआई (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित टीआरएआई अधिनियम, 1997 के अनुसार भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को सौंपा गया है। जैसा कि टीआरएआई ने बताया है, भारत में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कॉल दरों की तुलना अन्य देशों की दरों से करना कठिन है। संबंधित देश के टेलीघनत्व के आधार पर विकसित तथा विकासशील देशों के दूरसंचार टैरिफों में काफी विभिन्नता है। इनकी तुलना करना इसलिए कठिन है क्योंकि अलग-अलग देशों में टैरिफ स्कीम में अलग-अलग टैरिफ पैकेज हैं, मुद्रा विनियम दरें भिन्न-भिन्न हैं, तथा क्रय क्षमता और टेलीघनत्व में भी भिन्नता है।

(ग) और (घ) विगत में, विकासशील देशों में लंबी दूरी के टैरिफों से बुनियादी सेवाओं के लिए अर्थात उनके किराये तथा स्थानीय कॉल प्रभारों के लिए आर्थिक सहायता मिली है, जो बुनियादी सेवाओं को वहनीय बनाने में सहायक रहा है। वर्ष 1999 के दौरान टीआरएआई ने टैरिफ पुन: संतुलन की प्रक्रिया आरम्भ की। बुनियादी सेवाओं के लिए टैरिफ पुन: संतुलन का पहला चरण, 1 मई 1999 को कार्यान्वित किया गया तथा इसका तीसरा चरण ट्राई द्वारा 14 मार्च, 2002 को अधिसूचित किया गया। इन तीन वर्षों के दौरान एसटीडी तथा आईएसडी प्रभारों को क्रमश: 48% तथा 56% कम कर दिया गया है। इसके अलावा एसटीडी/आईएसडी सेवा बाजारों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा के कारण टीआरएआई द्वारा अधिसूचित प्रभारों की तुलना में एसटीडी प्रभार

62% तक कम हो गए हैं और आईएसडी प्रभार 40% तक कम हो गए हैं।

*[अनुवाद]*

**कांडला पत्तन न्यास की अतिरिक्त भूमि का हस्तान्तरण**

**3545. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1999 में सरकार ने कांडला पत्तन न्यास की अतिरिक्त भूमि को राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने हेतु कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(घ) प्रतिवेदन की सिफारिशों पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**भारतीय चिकित्सा परिषद के विरुद्ध शिकायतें**

**3546. श्री सुरेश रामराव जाधव:**
**डा. मन्दा जगन्नाथ:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद् प्रबंधन द्वारा मेडिकल कालेजों के निरीक्षण संबंधी अधिकार के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के काम-काज की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है और जब भी आवश्यकता होती है परिषद् को इसके काम-काज में सुधार करने हेतु उचित सलाह दी जाती है।

*[अनुवाद]*

**अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई**

**3547. श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने केन्द्र सरकार को उन भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची सौंपी है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह सूचित किया कि उसने 38 संगठनों के प्रमुखों को, संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारियों के पास तीन माह से अधिक समय से लंबित चले आ रहे कुल 115 मामलों की सूची भेज दी थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह सूचित किया है कि संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों ने 31 मामलों में मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी है और 14 मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह दिए जाने हेतु भेज दिए हैं। 5 मामलों में मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी जानी अब अपेक्षित नहीं रही है, क्योंकि संबंधित अधिकारी पहले ही सेवा-निवृत्त हो गए हैं और एक मामला संबंधित अधिकारी की मृत्यु हो जाने के कारण समाप्त कर दिया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह भी सलाह दी है कि चार मामलों में मुकदमा चलाया जाना अपेक्षित नहीं है। शेष मामले, संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

*[हिन्दी]*

## राज्य सेवा कार्मिकों का आबंटन

**3548. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या प्रधान मंत्री कार्मिकों की नियुक्ति के बारे में 25 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच राज्य सेवा के कार्मिकों के बंटवारे के कार्य को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिए जाने एवं अधिसूचित कर दिए जाने की संभावना है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (ग) राज्य सेवा के लगभग 9000 कार्मिकों को बाद में बने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों को अंतिम रूप से आबंटित किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शेष रहे कार्मिकों के संबंध में, राज्य सलाहकारी समिति की सिफारिशों की जांच-पड़ताल की जा रही है तथा उन्हें, बाद में बने उपर्युक्त राज्यों को अंतिम रूप से आबंटित कर दिए जाने के आदेश, सितम्बर, 2002 के अंत तक जारी कर दिए जाने की उम्मीद है।

*[अनुवाद]*

## "बाई इंडियन एक्ट" को लागू करना

**3549. श्री विनय कुमार सोराके:**
**श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "इंडियन स्टील एलायन्स" ने देश में भारतीय इस्पात के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए "बाई इंडियन एक्ट" को लागू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे देश के इस्पात उद्योग को किस हद तक लाभ होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** (क) से (ङ) "बाई अमेरिकन एक्ट" की तर्ज पर "बाई इंडिया एक्ट" अधिनियम बनाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने प्रस्ताव का सामान्य रूप से समर्थन किया है क्योंकि इससे सरकारी खरीद में स्वदेशी इस्पात उद्योग को लाभ होने की संभावना है तथा इससे स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उनका विकास होगा।

## 10वीं योजना के दौरान पत्तनों में निवेश

**3550. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पत्तनों के क्षम्ता विकास के लिए दसवीं योजना के लिए 15,825 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना अवधि में इस उद्देश्य के लिए नियत की गयी धनराशि के उपयोग के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) से (घ) योजना आयोग ने उल्लेख किया है कि दसवीं योजना के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का परिव्यय 14,220 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है जिसमें सरकार की ओर से सकल बजटीय सहायता के रूप में 2350 करोड़ रु. और संबंधित संगठनों द्वारा अपने स्वयं के आंतरिक तथा बजट से इतर संसाधनों के जरिए जुटाए जाने वाले 11,870 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें से 6009.00 करोड़ रु. की राशि जिसमें सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में 972.00 करोड़ रु. और आंतरिक तथा बजट से इतर संसाधनों के रूप में 5037.00 करोड़ रु. शामिल हैं, पत्तन क्षेत्र के लिए नियत करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, दसवीं योजना अवधि के दौरान पत्तनों में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 11,257 करोड़ रु. का निवेश करने की परिकल्पना भी की गई है। इन निधियों के उपयोग के लिए क्षमता सृजन संबंधी

स्कीमों सहित विस्तृत स्कीमबद्ध ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

*[हिन्दी]*

## योजना आयोग का पुनर्गठन

**3551. श्री मंजय लाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा योजना आयोग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## क्षय रोगियों के लिए दवाएं

**3552. डा. एस. वेणुगोपाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी चिकित्सकों से इलाज कराने वाले क्षय रोगियों को भी निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली में एक योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी तौर पर प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, हां। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोगियों को निःशुल्क औषधें उपलब्ध कराने की योजना है, भले ही वे निजी चिकित्सकों से उपचार करवा रहे हों।

(ख) और (ग) दिल्ली सहित देश में क्षयरोग परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाने के लिए निजी चिकित्सकों की सहभागिता हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। निजी चिकित्सक निम्नलिखित योजनाओं के जरिए संबंधित जिला क्षयरोग नियंत्रण सोसायटी के माध्यम से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में स्वयं को शामिल कर सकते हैं:

1. रोगियों को रेफर किया जाना।
2. प्रत्यक्ष निगरानी उपचार की व्यवस्था।
3. नामनिर्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केन्द्र, जो कि केवल माइक्रोस्कोपी अथवा माइक्रोस्कोपी तथा उपचार दोनों के लिए स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए सामग्री रूपी सहायता/सामग्री के रूप में और वित्तीय सहायता दी जाती है।

निजी चिकित्सकों के जरिए निःशुल्क क्षयरोग रोधी औषधों की व्यवस्था के लिए निजी चिकित्सकों को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार रोगियों का उपचार करना होता है। क्लीनिकों में स्थानीय भाषा में यह प्रदर्शित करना अनिवार्य है कि यह संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन एक डॉट्स केन्द्र है और संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सभी क्षयरोग-रोधी औषधें भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और वे रोगियों को निःशुल्क दी जाती हैं।

## मालदीव के साथ संबंध

**3553. श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) और (ख) भारत सरकार अपने मित्र पड़ोसी देश मालदीव के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने को अत्यधिक महत्व देती है। भारत और मालदीव आर्थिक तथा अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में आपसी सहयोग निरन्तर बढ़ा रहे हैं। ऐसे सहयोग में मालदीव को 200 बिस्तरों वाले इंदिरा गांधी स्मारक अस्पताल एवं इस अस्पताल को चिकित्सा तथा अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ निरन्तर मुहैया कराना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग में मालदीव तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करना शामिल है। भारत माले में होटल तथा केटरिंग सेवा संस्थान की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत औषध, इंजीनियरी, सीमा शुल्क, प्रशासन, नर्सिंग, कृषि आदि जैसे विविध क्षेत्रों में मालदीव के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं दे रहा है।

हमारे विदेश मंत्री की 10-11 जुलाई, 2002 को मालदीव की यात्रा जो उनके वर्तमान पद को सम्भालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी, भारत की इस इच्छा का सूचक है कि भारत हमारे दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक विकसित तथा उनमें विविधता लाना चाहता है।

सितम्बर, 2002 में प्रधानमंत्री की मालदीव की प्रस्तावित यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

*[हिन्दी]*

## आठ-सूत्रीय कार्यक्रम

**3554. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
**श्री अनन्त नायक:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के आठ-सूत्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम को किस वर्ष कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने दिनांक 13 जुलाई, 2002 को हुई प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् की बैठक के उद्घाटन भाषण में, महत्वपूर्ण विकास से संबंधित निम्नलिखित आठ चुनौतियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला था, जिनका हमारी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर को आठ प्रतिशत तक और उससे अधिक तेज करने के लिए, समाधान किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, सूची सर्वांग पूर्ण नहीं थी।

(1) पूरी सरकार में कार्यान्वयन क्षमताओं में सुधार लाना।

(2) उत्पादन से अपने को अलग करते हुए, कुछेक स्पष्ट रूप से कार्यनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर और नीतिनिर्माण, विनियम और सुकर बनाने में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए आर्थिक सुधारों को तेज करना ताकि भारत स्पष्ट रूप से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बन सके।

(3) शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, सफाई व्यवस्था, वृद्धों और गरीबों की देखभाल में सार्वजनिक निजी भागीदारी की गुंजाइश को विस्तृत और गहन करना तथा खेल, कला और संस्कृति को प्रोन्नत करना।

(4) यह सुनिश्चित करना कि विकास रोजगार विहीन वृद्धि अथवा कम रोजगार सहित वर्धक न होकर रोजगारोन्मुखी वृद्धि करना हो।

(5) अपने वित्तीय बाजारों को कमजोर बनाने वाली बुराइयों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि गरीबों और असंगठित क्षेत्र की बचत, ऋण और बीमा सेवाओं तक पहुंच हो।

(6) सब्सिडियों को कम करना और पुन: लक्षित करना ताकि सामाजिक सेवाओं सहित गरीबों के अनिवार्य उपभोग को बचाया जा सके लेकिन समग्र राजकोषीय घाटा कम हो। सब्सिडी के हकदार लोगों को छोड़कर, उपयोग करने वालों में उसके लिए भुगतान करने की संस्कृति विकसित करना।

(7) सम्बद्धता के विभिन्न पहलुओं—दोनों भौतिक और डिजिटल का विस्तार करना और उन्हें आधुनिक बनाना।

(8) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में दी गई समय-सीमा में प्रतिस्थापन स्तर तक कुल जनन क्षमता दर की उपलब्धि के लक्ष्य सहित 2001 की जनगणना में व्यक्त जनसांख्यिकी बदलाव को तेज करते हुए अपनी दीर्घावधिक विकास कार्यनीति का अपनी जनसंख्या संबंधी कार्यनीति के साथ तालमेल बैठाना और यह सुनिश्चित करना कि जनसंख्या का बड़ा अनुपात कार्य करने वाले लोगों का हो और बचत दरों में और अधिक वृद्धि हो।

दसवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राथमिक माध्यम है।

*[अनुवाद]*

## सबके लिए स्वास्थ्य

**3555. श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अब भी पिछड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। फिर भी, देश की आम जनता के बीच अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानक प्राप्त करना सरकार की स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। इसके लिए सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2002 में जन स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर सन् 2010 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करने की योजना है। केन्द्र सरकार मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठरोग और एड्स जैसे प्रमुख रोगों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था करने में राज्य सरकारों की सहायता भी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार करने हेतु बहुत से राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या के आधारभूत ढांचे को बाह्य सहायता से सुदृढ़ किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

## डाक टिकटों की बिक्री

**3556. श्री तूफानी सरोज:**
**श्री भीम दाहाल:**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान डाक टिकटों, लिफाफों, अन्तर्देशीय पत्रों और पोस्ट कार्डों की बिक्री में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान डाक सामग्री की बिक्री में आई गिरावट का ब्यौरा क्या है;

(ग) डाक सामग्री की बिक्री में कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त सामग्री की बिक्री बढ़ाने के लिए कोई योजना विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) और (ख) जी हां। डाक-टिकटों तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री वर्ष 1999-2000 के 927.56 करोड़ रुपये से कम होकर वर्ष 2000-2001 में 839.05 करोड़ रुपए रह गई और वर्ष 2001-2002 में मामूली वृद्धि के साथ यह 852.37 करोड़ रुपए हो गई।

(ग) से (ङ) डाक-टिकटों आदि की बिक्री में इस गिरावट को बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों तथा फ्रैंकिंग मशीनों के प्रगामी प्रयोग के साथ देखा जाना चाहिए जिनमें डाक-शुल्क नकद लिया जाता है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के बीच नकद प्राप्त डाक-शुल्क 651.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 665.20 करोड़ रुपए हो गया तथा 2001-2002 में यह और भी अधिक बढ़कर 828.65 करोड़ तक पहुंच गया। बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने की सुविधा का विस्तार योजना स्कीमों के अंतर्गत किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## प्रमुख पत्तनों पर गाद निकालने का कार्य

**3557. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पत्तनों पर गाद निकालने का कार्य आरंभ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रमुख पत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां गाद निकालने के कार्य को विदेशी कंपनियों को सौंपा गया है; और

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार कोलकाता पत्तन को छोड़कर सभी महापत्तनों के पास अनुरक्षण-निकर्षण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का अथवा कार्य को नामांकन आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारतीय निकर्षण निगम, विशाखापत्तनम को सौंपने का विकल्प है। जब तक कोलकाता पत्तन अपनी निकर्षण नीति और प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दे देता तब तक उसकी अनुरक्षण-निकर्षण की आवश्यकताओं को भारतीय निकर्षण निगम द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना इस प्रकार है:

| क्र.सं. | पत्तन का नाम | कंपनी का नाम |
|---|---|---|
| 1. | मुरगांव पत्तन | मैसर्स वेन ओर्ड एसीजेड, नीदरलैंड्स |
| 2. | तूतीकोरिन पत्तन | मैसर्स जेन डे नुल एन.वी., बेल्जियम |
| 3. | मुंबई पत्तन | मैसर्स हैम ड्रेजिंग एंड मैरीन कांट्रेक्टर्स, नीदरलैंड्स |
| 4. | चेन्नई पत्तन | मैसर्स जेन डे नुल एन.वी., बेल्जियम |
| 5. | विशाखापत्तनम पत्तन | मैसर्स ड्रेजिंग इंटरनेशनल एन.वी., बेल्जियम |
| 6. | कोचीन पत्तन | मैसर्स वेन वेन आई एसीजेड, नीदरलैंड्स और ड्रेजिंग इंटरनेशनल एन.वी., बेल्जियम (संयुक्त उद्यम) |
| 7. | कोलकाता पत्तन | मैसर्स हैम ड्रेजिंग एंड मैरीन कांट्रेक्टर्स, नीदरलैंड्स |

## हृदय और गुर्दा संबंधी रोगों के लिए दवाइयां

**3558. श्री अम्बरीश:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हृदय और गुर्दा संबंधी रोगों के उपचार हेतु बाजार में बड़ी संख्या में दवाइयां उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल के अनुसंधान और अध्ययन यह बताते हैं कि हृदय और गुर्दा संबंधी रोगों से पीड़ित रोगियों को मैटाफोर्मिन दवाई देना घातक हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मेटाफोर्माइन से कार्डियो-वास्कुलर और रीनल (गुर्दे) की बीमारियों से पीड़ित रोगियों को हानि होने की सूचना है। इन रोगियों को यह औषध नहीं दी जाती है क्योंकि इससे गम्भीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तथापि, ऐसे हृदय रोगियों के लिए, जिनका हृदय सामान्य रूप से कार्य करता हो, यह सुरक्षित है। यह औषध केवल पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्धारित करने पर ही उपलब्ध है।

*[हिन्दी]*

## गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर का इलाज

**3559. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
**श्री रघुनाथ झा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सर्वाइकल कैन्सर पेशेन्ट्स हेव फ्यू प्लेसिज फॉर ट्रीटमैन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एम्स और सफदरजंग अस्पताल गर्भाशय-ग्रीवा कैन्सर का इलाज कराने के लिए आने वाले रोगियों का इलाज करने से मना कर देते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर रोगियों के इलाज के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल सहित दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में गर्भाशय ग्रीवा-कैंसर का उपचार किया जा रहा है।

उन रोगियों जिन्हें चल रहे निर्माण कार्यकलापों के कारण सेलेक्ट्रॉन ब्रेकीथिरेपी से उपचार करवाने की जरूरत होती है, को छोड़कर शल्य चिकित्सा और/अथवा कैमोथिरेपी की जरूरत वाले सभी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के रोगियों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार किया जा रहा है।

सफदरजंग अस्पताल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उपचार के लिए आने वाले रोगियों का उपचार करने से इन्कार नहीं करता है। शुरू की अवस्था वाले अधिकांश कैंसरों का शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार किया जा रहा है। बाद की अवस्था वाले रोगियों, जिनका ब्रेकीथिरेपी उपचार संभव नहीं होता है, का बाह्य रेडियोथिरेपी और कैमोथिरेपी द्वारा उपचार किया जाता है।

(घ) रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) में अधिकांश उपकरण कार्य कर रहे हैं और

उन्हें गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के रोगियों का उपचार करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेकीथिरेपी पद्धति रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान की विस्तार परियोजना जिसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है, के चल रहे निर्माण कार्यकलापों के कारण कार्य नहीं कर रही है। दिल्ली में कैंसर के उपचार के लिए सरकारी सुविधाओं का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

***विवरण***

*दिल्ली में कैंसर के उपचार के लिए सरकारी सुविधाओं का ब्यौरा*

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली।
2. लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, नई दिल्ली।
3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली।
4. आर्मी अस्पताल, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली।
5. रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान, नई दिल्ली।
6. अति विशेषज्ञता अस्पताल, भारतीय वायु सेना, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली।

**खेलकूद नीति**

3560. **श्री वाई.जी. महाजन :**
**श्री राधा मोहन सिंह :**
**श्री सुनील खां :**

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई खेलकूद नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) खिलाड़ियों को विद्यालयों में प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) :** (क) से (ग) नयी राष्ट्रीय खेल नीति सरकार द्वारा वर्ष 2001 में अनुमोदित की गई थी। नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;
2. अवस्थापना का उन्नयन एवं विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उपयुक्त निकायों को सहायता प्रदान करना;
4. खेलों के लिए वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संबंधी समर्थन को सुदृढ़ बनाना;
5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातीय लोगों तथा ग्रामीण युवाओं की परिवर्धित सहभागिता;
7. निगमित क्षेत्र को खेलों के संवर्धन में शामिल करना; और
8. खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिक जागरूकता सृजित करना।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**केरल में संघात केन्द्र**

3561. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड में एक नया संघात केन्द्र स्थापित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को केरल से अलपुझा मेडिकल कॉलेज में नैदानिक मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने का भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल के अस्पतालों में अवसंरचना विकास और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) :** (क) से (घ) इस मंत्रालय को, "क्षमता सृजन हेतु सहायता नामक योजना के अधीन केरल सरकार से (1) मेडिकल

कालेज, कोझीकोड में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण, और (2) मेडिकल कालेज, अलपुज्झा में नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

दोनों प्रस्तावों की जांच की जा चुकी है। लेकिन, मेडिकल कालेज, अलपुज्झा में नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्ताव के संबंध में केरल सरकार से कतिपय अतिरिक्त सूचना मंगाई गई है।

उपयुक्त योजना के अन्तर्गत, केरल सरकार को जनरल अस्पताल, एर्णाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई थी।

*[हिन्दी]*

## गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

**3562. प्रो. रासासिंह रावत :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान खेलकूद के विकास हेतु राजस्थान के गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि/अनुदान उपलब्ध करायी गई/कराया गया;

(ख) क्या राजस्थान के गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान में "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों को दी गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

| 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 |
|---|---|---|
| 5.20 | शून्य | शून्य |

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## हिंद महासागर तटवर्ती राष्ट्र संगठन का गठन

**3563. श्री रामदास आठवले :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंद महासागर से लगे भारत, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य देश हिंद महासागर तटवर्ती राष्ट्र संगठन का गठन करने की दिशा में काम करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संगठन के उद्देश्य क्या हैं तथा इसमें भारत की क्या भूमिका है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :** (क) और (ख) 5 से 7 मार्च, 1997 में मारीशस में आई ओ आर - ए आर सी की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में आई ओ आर - ए आर सी चार्टर पर हस्ताक्षर होने के बाद क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर तटीय संघ की स्थापना हुई। क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर तटीय संघ में 19 सदस्य हैं अर्थात् आस्ट्रेलिया, भारत, कीनिया, मारीशस, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, इन्डोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मोजाम्बिक, श्रीलंका, तंजानिया, यमन, बंगलादेश, ईरान, सेशेल्स, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात।

(ग) क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर तटीय संघ एक क्षेत्रीय सहयोग पहलकदमी है जिसका उद्देश्य व्यापार एवं निवेश के विस्तार सहित आर्थिक और तकनीकी सहयोग को संवर्धित करना है। इसमें व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उसके संवर्धन एवं उदारीकरण; विदेश निवेश संवर्धन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान तथा पर्यटन, भेदभावरहित आधार पर वास्तविक व्यक्तियों तथा सेवा प्रदानकर्त्ताओं की आवाजाही; और अवसंरचना एवं मानव संसाधनों के विकास से संबंधित परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग के लिए तैयार करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने की मांग की गई है। इस संगठन में इसके कार्यकरण के अभिन्न अंग के रूप में अधिकारी, व्यवसायी और शिक्षाविद शामिल हैं। क्षेत्रीय सहयोग से सम्बद्ध हिन्द महासागर तटीय संघ के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत सहयोगी परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित संगठन में सक्रिय भूमिका निभाता है।

*[अनुवाद]*

## सी.जी.एच.एस. औषधालयों में औषधियों की कमी

**3564. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री राधा मोहन सिंह :**
**श्री नरेश पुगलिया :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' में ''सी.जी.एच.एस. के अस्पतालों में दवाइयों की भारी किल्लत'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या निवारक उपाय किये गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समाचार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कामकाज अर्थात् स्टाफ एवं दवाओं की कमी, परा-चिकित्सा स्टाफ द्वारा आंशिक हड़ताल, अतिविशिष्ट तथा गैर-अतिविशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों में स्थित औषधालयों के बीच भेदभाव, दौरे पर आने वाले विशेषज्ञों द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों में स्थानीय खरीद के लिए उदारता से नुस्खे लिखे जाने, निहित स्वार्थ के कारण फार्मूलरी को अंतिम रूप न दिए जाने, प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों तथा अधिकारियों के बीच संबंध इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा भर्ती पर रोक लगाए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (एलोपैथिक) औषधालयों के मानकों के अध्ययन के संबंध में नवम्बर, 1999 की स्टाफ निरीक्षण यूनिट (एस.आई.यू.) की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सी.ए.टी.) नई दिल्ली ने दिनांक 21.3.2002 के ओ.ए.सं. 1030/2001 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि चौकीदार, सफाईवाला तथा प्रयोगशाला स्टाफ के वर्गों से संबंधित उपयुक्त रिपोर्ट की सिफारिशों को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादियों अर्थात् भारत संघ (यू.ओ.आई.) को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के इन वर्गों के संबंध में कार्यभार से संबंधित स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा एक नया अध्ययन कराने का निर्देश दिया गया है।

अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए नोटिस के अनुसार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में कार्यरत परा-चिकित्सीय स्टाफ द्वारा किया जा रहा विरोध उनकी 22-सूत्री मांग सूची के संबंध में हैं। संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श करते हुए इस संघ की मांगों पर विचार करने हेतु कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। कर्मचारी संघ के साथ लगातार बातचीत जारी रखी गई हैं। कुछ मांगों पर निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं और उनसे संगठन को अवगत कराया जा चुका है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्र तथा गैर-अतिविशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्र के औषधालयों के बीच कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि औषधालयों के सभी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को समान रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि वे लाभार्थियों के अलग-अलग नुस्खों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नियुक्त प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से दवाओं का प्रापण करें। विशेषज्ञों द्वारा लाभार्थियों को दवाइयां रोगी के रोग-निदान/रोग के अनुसार निर्धारित की जाती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाइयों की कमी में गिरावट लाने के उद्देश्य से 14-2-2002 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए एक नई व्यापक फार्मूलरी अधिसूचित की गई है। औषधालयों के माध्यम से आपूर्ति किए जाने हेतु दवाइयों के शीघ्र प्रापण के लिए देश में सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के संबंध में दवाइयों हेतु एक समेकित इंडेट तैयार किया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों को, उनके द्वारा दी जाने वाली अधिकतम छूट और स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्ति के लिए निविदा दस्तावेजों में निर्धारित अन्य संबंधित मानदंडों के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

औषधालयों के कार्यकरण में पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और अनुशासन बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा, औषधालयों के समग्र कार्यकरण की जांच करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च-स्तरीय कार्यदल का गठन किया गया है और कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर जब कभी जरूरी हो कार्रवाई की जाती है।

*[हिन्दी]*

**डाक विभाग में गबन**

**3565. डा. बलिराम :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावित :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली स्थित डाक विभाग मुख्यालय में करोड़ों रुपये का गबन होने का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**अफगानिस्तान को भेंटस्वरूप बसें दिया जाना**

**3566. श्री राजैया मल्याला :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सद्भावना के रूप में अफगानिस्तान को बसें भेंट की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :** (क) और (ख) महामहिम श्री हामिद करजई, तत्कालीन अफगान अन्तरिम प्रशासन के अध्यक्ष, वर्तमान परिवर्तित इस्लामी राज्य अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान, सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भारत-अफगानिस्तान सहयोग के भाग के रूप में, यह फैसला किया गया था कि भारत-अफगानिस्तान के लिए 50 बसें दान करेगा।

25 बसों की प्रथम खेप इस वर्ष अप्रैल में अफगान सरकार को सौंपी थी। 25 बसों की दूसरी खेप 13 जुलाई, 2002 को अफगान सरकार के प्रतिनिधियों को सौंपी गई।

**प्रोटोकोल नीति में परिवर्तन**

**3567. श्री अधीर चौधरी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विदेश विभाग प्रोटोकोल नीति में परिवर्तन का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :** (क) जी, नहीं। प्रोतोकोल मानदण्डों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा हमारे मानदण्ड अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप रहें, यह देखने के लिए आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**नये डाकघरों का खोला जाना**

**3568. श्री भान सिंह भौरा :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, विशेषकर 'वसुंधरा एन्कलेव' में नये डाकघर खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) :** (क) और (ख) दिल्ली में वर्ष 2002-2003 के दौरान एक विभागीय उप डाकघर (डी एस ओ) खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उप डाकघर का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वसुंधरा एन्कलेव में नया डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**औषधियों की खरीद में अनियमितताएं**

**3569. श्री राम टहल चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली स्थित सी.जी.एच.एस. औषधालयों/केन्द्र सरकार के अस्पतालों में औषधियों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हुए जिसमें सी.जी.एच.एस. औषधालयों और केन्द्र सरकार के अस्पतालों में घटिया दर्जे की औषधियां खरीदने का पता चला है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**गुजरात में बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि**

**3570. श्री जी.जे. जावीया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए गुजरात को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री विजय गोयल ):** (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 43 योजनाओं को मंजूरी दी गई।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं के लिए गुजरात सरकार को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*बीस सूत्री कार्यक्रम के अतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा*

(लाख रु. में)

| क्र.सं. | सूत्र सं. | मदें | भारत सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय सहायता | भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का शेष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 | ग्रामीण गरीबी उन्मूलन | | |
| | (ख) | जवाहर ग्राम समृद्धि योजना | 3635.77 | शून्य |
| | 2 | वर्षा पोषित कृषि के लिए नीति | | |
| | | अकाल संभावित क्षेत्र कार्यक्रम | 1798.61 | 514.00 |
| 2. | (1) | मृदा एवं नमी संरक्षण के अंतर्गत साधित क्षेत्र | | |
| | 4 | बेहतर फसल | | |
| 3. | (क) | एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम | 147.70 | शून्य |
| 4. | | त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम | 0.00 | 7.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | (ख) | तिलहन उत्पादन कार्यक्रम | 850.00 | शून्य |
| 6. | (ग) | राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम | 105.00 | शून्य |
| 7. | (ण) | सहयोग | 4.6 | 0.39 |
| | 7 | स्वच्छ पेयजल | | |
| 8. | (क) | समस्या ग्राम जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया | 9778.00 | शून्य |
| | 8 | सबके लिए स्वास्थ्य | | |
| 9. | (घ) | बाल टीकाकरण | 8031.92 | 5909.97 |
| | 9 | छोटे बच्चों का प्रतिमानक | | |
| 10. | (क) | बंध्याकरण | | |
| 11. | (ख) | पोषक | | |
| | 11 | अनु.जा. तथा अनु.जन.जाति को न्याय | 8070.09 | शून्य |
| 12. | (ख) | सहायता प्राप्त अनु.जन.जाति परिवार | 3367.51 | 456.79 |
| | 14 | लोगों के लिए आवास | | |
| 13. | (ग) | इंदिरा आवास योजना (नया निर्माण) | 2518.78 | 192.90 |
| 14. | (च) | इंदिरा आवास योजना (मकानों का उन्नयन) | 520.70 | 157.22 |
| 15. | 16 | वानिकी के लिए नई नीति | 1101.59 | शून्य |
| | 19 | गांवों के लिए ऊर्जा | | |
| 16. | (ग) | उन्नत चूल्हे | 0.00 | 33.00 |
| 17. | (घ) | बायोगैस संयंत्रों का संस्थापन | 213.50 | नहीं |
| | | कुल : | 40145.86 | 7272.17 |

### त्रिपुरा में अस्पतालों का विस्तार

3571. **श्री खगेन दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा सरकार की तरफ से राज्य के जिला और उप मंडल (सब-डिवीजन) के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)** : (क) जी, हां।

(ख) "निर्धनता में कमी लाना - एक वैश्विक उत्तरदायित्व" कार्यक्रम के अंतर्गत जर्मन सरकार की सहायता से स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु त्रिपुरा राज्य सरकार से प्राप्त चालीस करोड़ रुपये की धनराशि वाली परियोजना संबंधी प्रस्ताव में राज्यीय अस्पताल का सुदृढ़ीकरण, जिला अस्पताल का सुदृढ़ीकरण, सब-डिविजनल अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, मानसिक अस्पताल की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।

(ग) इस प्रस्ताव को 'जर्मनी संघीय गणतंत्र के साथ किए गए द्विपक्षीय विकास सहयोग करार' के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए माह मई, 2002 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है।

## प्रमुख पत्तनों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

3572. **श्री अनन्त नायक** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौंवी योजना के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो योजनावधि के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों की पत्तन-वार उपलब्धि क्या रही;

(ग) क्या उक्त योजनावधि के दौरान पारादीप पत्तन ने लाभ कमाया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर)**: (क) जी हां।

(ख) नौंवी योजना अवधि (1997-2002) के दौरान महापत्तनों में 124.40 एम टी पी ए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की कुल क्षमता वृद्धि हुई अर्थात् 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार 219.55 एम टी पी ए की क्षमता वृद्धि 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार बढ़ कर 343.95 एम टी पी ए हो गई। 32 एमटीपीए की कुल क्षमता वृद्धि वाली दो प्रमुख परियोजनाएं अर्थात् चेन्नई के समीप इन्नौर में एक नये पत्तन का निर्माण और पारादीप पत्तन में यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन, पूरी कर दी गई और उनका प्रचालन शुरू कर दिया गया। नौंवी योजना अवधि के दौरान महापत्तनों में हैंडल किए गए यातायात में 60.31 एमटी की वृद्धि हुई अर्थात् यह यातायात आठवीं योजना के अंतिम वर्ष 1996-97 के दौरान 227.26 एमटी से बढ़ कर नौंवी योजना के अंतिम वर्ष 2001-2002 के दौरान 287.57 एमटी हो गया। महापत्तनों में क्षमता उपलब्धता अब यातायात से अधिक है और इसलिए क्षमता अब एक बाधा नहीं है। नौंवीं योजना अवधि के दौरान महापत्तनों के सक्षमता मापदंडों में अत्यधिक सुधार आया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

| क्र.सं. | सक्षमता मापदंड | आठवीं योजना का अंतिम वर्ष (1996-97) | नौवीं योजना का अंतिम वर्ष (2001-2002) |
|---|---|---|---|
| 1. | औसत बर्थिंग-पूर्व अवरोधन (दिवस में) | 1.70 | 0.54 |
| 2. | औसत आवागमन समय (दिवस में) | 7.50 | 3.70 |
| 3. | औसत आउटपुट प्रति पोत बर्थ दिवस (टन में) | 4497 | 6972 |

क्षमता वृद्धि हैंडल किए गए यातायात और तीन सक्षमता मापदंडों के संबंध में पत्तन-वार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) पारादीप पत्तन न्यास ने नौंवी योजना अवधि के दौरान 5 वर्षों में प्रत्येक में निवल अधिशेष अर्जित किया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

| वर्ष | करोड़ रु. में |
|---|---|
| 1997-98 | 50.71 |
| 1998-99 | 48.00 |
| 1999-2000 | 46.69 |
| 2000-2001 | 72.88 |
| 2001-2002 | 32.85 |

विवरण

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान पत्तन-वार उपलब्धियां

| क्र.सं. | पत्तन का नाम | नौवीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि (एमटीपीए) | नौवीं योजना के दौरान यातायात वृद्धि (एमटी) | औसत बर्थिंग-पूर्व अवरोधन (दिवस में) | | औसत आवागमन समय (दिवस में) | | औसत आउटपुट प्रति पोत बर्थ दिवस (टन में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1996-97 | 2001-2002 | 1996-97 | 2001-2002 | 1996-97 | 2001-2001 |
| 1. | कोलकाता-हल्दिया गोदी परिसर | 11.00 | 7.92 | 0.70 | 0.16 | 6.00 | 4.01 | 5855 | 6142 |
| | कोलकाता गोदी प्रणाली | 4.50 | -0.65 | 0.20 | 0.01 | 7.70 | 4.71 | 1188 | 2215 |
| 2. | मुम्बई | 8.00 | -7.30 | 2.40 | 0.31 | 10.70 | 4.21 | 2605 | 4034 |
| 3. | जवाहर लाल नेहरू | 15.60 | 14.45 | 2.00 | 0.37 | 6.30 | 1.32 | 2987 | 7496 |
| 4. | चैन्नई | 12.13 | 4.27 | 1.10 | 1.30 | 7.0 | 5.60 | 5131 | 7150 |
| 5. | कोचीन | 2.05 | 0.32 | 0.40 | 0.18 | 3.90 | 2.70 | 5438 | 5984 |
| 6. | विशाखापट्टनम | 10.85 | 9.84 | 1.50 | 0.24 | 5.60 | 3.51 | 6696 | 10772 |
| 7. | कांडला | 17.60 | 4.00 | 5.30 | 0.88 | 10.60 | 2.84 | 7066 | 8016 |
| 8. | मुरगांव | 1.82 | 5.62 | 0.30 | 1.21 | 6.30 | 4.65 | 8540 | 13576 |
| 9. | पारादीप | 20.85 | 9.55 | 0.70 | 0.40 | 4.90 | 3.99 | 6406 | 8831 |
| 10. | नव मंगलूर | 4.55 | 5.05 | 1.10 | 0.25 | 4.40 | 2.73 | 7172 | 12538 |
| 11. | तूतीकोरिन | 6.45 | 3.84 | 0.30 | 0.44 | 5.10 | 4.11 | 3026 | 3903 |
| 12. | इन्नौर | 12.00 | 3.40 | — | — | — | — | — | — |
| | जोड़ | 124.40 | 60.31 | 1.70 | 0.54 | 7.50 | 3.70 | 4497 | 6972 |

## किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलॉजी

3573. **श्री आर.एल. जालप्पा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलॉजी, बंगलौर को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) :** (क) से (ग) जी, नहीं। वैसे, किदवई मैमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी, बेंगलौर पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रूप में विचार करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी संस्थान को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रूप में घोषित करने की कोई योजना नहीं है। किदवई मैमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी, बैंगलोर को राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के रूप में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है।

## इस्पात का उत्पादन

**3574. श्री सुबोध राय :**
**श्री सुनील खां :**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की तुलना में विभिन्न किस्मों के इस्पात का उत्पादन महंगी दरों पर कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अलग-अलग वार्षिक रूप से इस्पात का कितना उत्पादन किया जाता है;

(घ) घरेलू बाजार और विदेशों में कितने इस्पात की जरूरत है; और

(ङ) भारत और अन्य देशों जैसे चीन, अमरीका, इंग्लैंड, जापान आदि में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत के बारे में विश्व रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** (क) और (ख) संगठन चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों अथवा निजी क्षेत्र में उत्पादन की लागत प्रकट करना वाणिज्यिक हित में नहीं हैं क्योंकि इस प्रकार के वाणिज्यिक आंकड़े मूलत: गोपनीय होते हैं। इस्पात की उत्पादन लागत अन्य कारकों जैसे प्रचालन का स्तर, अपनाई गई प्रौद्योगिकी, स्थान संबंधी लाभ, श्रमिकों की कार्यकुशलता-स्तर आदि पर निर्भर करती है। संयंत्रों के मालिक तथा लागत दक्षता के बीच सामान्य संबंध दर्शाने के लिए ऐसे कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं जिससे यह पता चलता हो कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से महंगा है।

(ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित परिसज्जित इस्पात की मात्रा निम्नानुसार है:

(मिलियन टन)

| 1999-2000 | | | 2000-01 | | | 2001-02 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सरकारी | निजी | कुल | सरकारी | निजी | कुल | सरकारी | निजी | कुल |
| 8.35 | 17.93 | 26.28 | 9.65 | 19.62 | 29.27 | 9.95 | 20.66 | 30.61 |

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान घरेलू बाजार द्वारा अपेक्षित इस्पात की मात्रा 272.1 लाख टन थी तथापि उसी अवधि के दौरान भारत द्वारा विदेशों को निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा 26.3 लाख टन थी।

(ङ) भारत तथा अन्य देशों अर्थात् चीन, अमरीका आदि में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत के बारे में नवीनतम जानकारी नीचे दर्शाई गई है:

| देश | प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत (कि.ग्रा.) |
|---|---|
| चीन | 110.7 |
| अमरीका | 426.5 |
| यू.के. | 224.5 |
| जापान | 599.8 |
| भारत | 27 |

स्रोत: आई आई एस आई

## यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के प्रमुख का प्रत्यर्पण

**3575. श्री नरेश पुगलिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के प्रमुख वार्न एंडरसन के प्रत्यर्पण के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) :** (क) सरकार द्वारा श्री वारेन एण्डरसन के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध पर संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से विस्तृत जांच की गई है।

(ख) जांच एजेंसी से कहा गया है कि वह श्री एण्डरसन को भोपाल गैस लीक त्रासदी से जोड़ने वाली साक्ष्य कड़ी को सुदृढ़ करे ताकि प्रत्यर्पण अनुरोध संयुक्त राज्य सरकार को अग्रेषित किया जा सके।

*[हिन्दी]*

**बिहार और झारखंड में डब्ल्यू.एल.एल.**

**3576. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिये निजी टेलीफोन आपरेटरों के साथ हाल में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य विशेषकर बिहार और झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराये गये;

(घ) क्या उपलब्ध कराई गई टेलीफोन सेवाओं के नियमित संचालन हेतु विभाग को कोई निदेश जारी किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) :** (क) और (ख) सरकार, ग्रामीण टेलीफोन सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ बातचीत करती रही है। इसके परिणामस्वरूप, प्राइवेट ऑपरेटरों ने 31.7.2002 तक 2957 वी.पी.टी. प्रदान तक दिए हैं जबकि 31.3.2002 तक केवल 846 वी.पी.टी. प्रदान किए गए थे।

(ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*30.6.2002 की स्थिति के अनुसार, डब्ल्यूएलएल कनैक्शनों की सेवा क्षेत्र-वार सूची*

*(उपलब्ध सूचना के अनुसार)*

| क्र.सं. | सेवा क्षेत्र | डब्ल्यूएलएल कनैक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप | 301 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 122095 |
| 3. | असम | 4400 |
| 4. | बिहार (झारखण्ड सहित) | 71336 |
| 5. | गुजरात | 7760 |
| 6. | हरियाणा | 4590 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 6658 |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 0 |
| 9. | कर्नाटक | 7843 |
| 10. | केरल | 7781 |
| 11. | मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) | 50362 |
| 12. | महाराष्ट्र | 56778 |
| 13. | पूर्वोत्तर | 273 |
| 14. | उड़ीसा | 18525 |
| 15. | पंजाब | 33892 |
| 16. | राजस्थान | 25767 |
| 17. | तमिलनाडु | 9984 |
| 18. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 38245 |
| 19. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (उत्तरांचल सहित) | 20984 |
| 20. | पश्चिमी बंगाल | 22990 |
| 21. | दिल्ली | 0 |
| | योग | 510564 |

इनमें से बिहार और झारखण्ड में क्रमशः 47220 तथा 19520 ग्रामीण सीधी एक्सचेन्ज लाइनें (डीइएल), डब्ल्यूएलएल पर प्रदान की गई हैं।

*[अनुवाद]*

**टेलीफोन एक्सचेंज**

**3577. श्री जे.एस. बराड़ :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान पंजाब में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थान क्या है;

(ग) इसमें कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) पंजाब में सभी पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों का कब तक आधुनिकीकरण कर दिया जायेगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन)** : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान पंजाब दूरसंचार सर्किल में 74 नए टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। इसका ब्यौरा और प्रस्तावित स्थान का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ग) इसमें कुल लगभग 138.28 करोड़ रु. का व्यय अंतर्निहित है;

(घ) पंजाब दूरसंचार सर्किल के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का पहले ही आधुनिकीकरण हो चुका है।

***विवरण***

*वर्ष 2002-03 के दौरान पंजाब दूरसंचार सर्किल में खोले जाने वाले नए एक्सचेंजों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | एसएसए | स्टेशन/स्थान | क्षमता | एक्सचेंज का प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | एआर | पधरी कलां | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 2. | एआर | दाग तट | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 3. | एआर | स्तोक | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 4. | एआर | भूचेर खुर्द | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 5. | एआर | दल | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 6. | पीए | पनोडियन | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 7. | पीए | स्वास्तीगढ़ | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 8. | पीए | बडवाला | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 9. | पीए | बलताना | 2000 | 5ईएसएस आरएसएम |
| 10. | पीए | बरौंगा | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 11. | एचएसपी | बजवाड़ा | 2000 | ओसीबी आरएसयू |
| 12. | एचएसपी | चाक गुजरात | 1000 | ओसीबी आरएसयू |
| 13. | एचएसपी | जाजा | 1500 | सीडाट आरएसयू |
| 14. | एचएसपी | बुधो वार्कत | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 15. | एचएसपी | लचोवल | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 16. | एचएसपी | नलोइयन | 2000 | ई10बी आरएलयू |
| 17. | एचएसपी | पनवां | 1000 | ई10बी आरएलयू |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | एचएसपी | शाहपुर | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 19. | एचएसपी | इंप टू एचसीएच नं. 2 एचएसपी | 2000 | ई10बी आरएलयू |
| 20. | एचएसपी | सांगवाल चौक | 304 | सीडॉट 256 पी |
| 21. | जेआई | मीठापुर | 2000 | ओसीबी आरएसयू |
| 22. | जेआई | वडला चौक | 2000 | ओसीबी आरएसयू |
| 23. | जेआई | ऊचा | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 24. | जेआई | कंडोला | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 25. | जेआई | घर्याल | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 26. | जेआई | परागपुर | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 27. | जेआई | बजवा कलां | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 28. | जेआई | सरहल रनुवां | 500 | सीडाट आरएसयू |
| 29. | जेआई | मुबारकपुर | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 30. | जेआई | बरनाला कलां | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 31. | जेआई | हमीरा | 500 | सीडाट आरएसयू |
| 32. | जेआई | लखन कलां | 304 | सीडॉट 256 पी |
| 33. | जेआई | हदलाबाद | 2000 | ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू |
| 34. | जेआई | चहल नगर | 2000 | ईडब्ल्यूएसडीआरएसयू |
| 35. | जेआई | पंडोरी निजरान | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 36. | जेआई | लिडरान | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 37. | जेआई | उप्पल खालसा | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 38. | बीटी | जस्सी पौवाली | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 39. | बीटी | भारत नगर | 1000 | ओसीबी आरएसयू |
| 40. | बीटी | शेर खान वाला | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 41. | पीकेटी | खानपुर | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 42. | पीकेटी | मामुन कैंट | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 43. | पीकेटी | बटाला भुल्लर | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 44. | पीकेटी | गुरुदासपुर कैरियर | 5000 | सीडाट आरएसयू |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45. | पीकेटी | फूल पियारा | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 46. | पीकेटी | देहरीवल किरन | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 47. | पीकेटी | जंडवाल | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 48. | पीकेटी | मट्टी कोट | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 49. | एलडी | सुंदर नगर | 2000 | ओसीबी आरएसयू |
| 50. | एलडी | हलबोवल | 2000 | ओसीबी आरएसयू |
| 51. | एलडी | सब्जी मंडी | 2000 | ओसीबी आरएसयू |
| 52. | एलडी | जमालपुर | 3000 | एनईएएक्स |
| 53. | एलडी | गियासपुर | 3500 | एनईएएक्स |
| 54. | एलडी | ढिंडसा | 500 | सीडाट आरएसयू |
| 55. | एलडी | रामपुर | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 56. | एलडी | छाप्पर | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 57. | एलडी | बसंत एन्क्लेव | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 58. | एलडी | मिलकोवाल | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 59. | एलडी | थ्रीके | 1000 | ई10बी आरएलयू |
| 60. | एसआरआर | हैदरनगर मलेरकोटला | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 61. | एसआरआर | अहान खेरी | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 62. | एसआरआर | दहलीज रोड | 500 | सीडाट आरएसयू |
| 63. | सीएचडी | बलोंगी | 2000 | 5ईएसएस आरएसएम |
| 64. | सीएचडी | डेहरी | 500 | ई10बी आरएलयू |
| 65. | आरपीआर | सिरसा नंगल | 500 | सीडाट आरएसयू |
| 66. | आरपीआर | पावर कालोनी रोपड़ | 1000 | सीडाट मेन |
| 67. | एफजेड | गोबिंदगढ़ | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 68. | एफजेड | बारेक | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 69. | एफजेड | कल्लू औरैन हिलथर | 152 | सीडॉट 256 पी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 70. | एफजेड | वाले शाह उत्तर | 152 | सीडॉट 256 पी |
| 71. | एफजेड | बटर कलान | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 72. | एफजेड | चन्नू वाला | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 73. | एफजेड | पट्टो हीरा सिंह | 1000 | सीडाट आरएसयू |
| 74. | एफजेड | सालियाना | 1000 | सीडाट आरएसयू |

**महाराष्ट्र में स्पीड पोस्ट सेवा**

**3578. श्री अशोक ना. मोहोलः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र में प्रत्येक ब्लाक में स्पीड पोस्ट सेवायें शुरू करने का है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(घ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) महाराष्ट्र में सभी उप-डाकघरों में कब तक स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किये जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) जी नहीं। स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम सेवा है और इसे वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, मांग के आकलन, अनुमानित राजस्व तथा परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता**

**3579. डा. जसवंतसिंह यादवः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन मलेरिया, एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस आदि कार्यक्रमों हेतु वित्तपोषण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ ऐसे स्वास्थ्य संगठनों से कितनी, वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**डाक द्वारा भेजी जाने वाली दवायें**

**3580. श्री कोडीकुनील सुरेशः** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में पर्वतीय और दूरवर्ती क्षेत्रों तक डाक द्वारा दवाओं की आपूर्ति हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**तूतीकोरिन पत्तन के विस्तार हेतु धनराशि**

**3581. श्री एस. मुरुगेसन:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में तूतीकोरिन पत्तन और अन्य पत्तनों के विस्तार हेतु धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) से (ग) तमिलनाडु में चेन्नै, तूतीकोरिन तथा इन्नौर तीन महापत्तन हैं जो भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इन पत्तनों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना में तूतीकोरिन पत्तन के लिए 76.10 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जबकि चेन्नै तथा इन्नौर पत्तनों के लिए 96.99 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

*[हिन्दी]*

**भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा बकाया धनराशि की वसूली**

**3582. श्री लक्ष्मण गिलुवा:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा विभिन्न प्रमुख ग्राहकों से वसूल की जाने वाली कुल बकाया धनराशि कितनी है; और

(ख) बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार सेल द्वारा 15502 करोड़ रुपए की बिक्री कारोबार पर वसूल की जाने वाली कुल धनराशि 1551 करोड़ रुपये है।

(ख) सामान्यतः ऋणों की वसूली समय पर की जाती है। सभी अतिकाल ऋणों के मामलों में बकाया देयताओं की वसूली करने के लिए लगातार और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करके जोरदार प्रयास किये जाते हैं और उपयुक्त मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

*[अनुवाद]*

**तपेदिक के लिए दवाओं के सम्मिश्रण की निर्धारित मात्रा**

**3583. श्री रामरती बिन्द:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तपेदिक के रोगियों हेतु 4 दवाओं के सम्मिश्रण की निर्धारित मात्रा की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 4 दवाओं की निर्धारित मात्रा के सम्मिश्रण के उत्पादन हेतु अनुमति चाहने वाले सभी नये विनिर्माताओं को जैव समतुल्य अपनाना होगा;

(घ) यदि हां, तो परीक्षण करने वाली उन प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जो जैव समतुल्य परीक्षण के लिए प्राधिकृत हैं;

(ङ) क्या स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इन जैव समतुल्य रिपोर्टों को सी.बी.आई. में प्रस्तुत करना होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) चार क्षयरोग रोधी औषधें अर्थात रीफाम्पीसीन + आइसोनिएजिड + पाईरेजीनामाइड + इथाम्बूटोल के निश्चित (फिक्स्ड-डोज) योग (कम्बीनेशन) के मामले पर औषध तकनीकी परामर्श बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया और औषध तकनीकी परामर्श बोर्ड सैद्धांतिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत फार्मूले और अनिवार्य औषधों की विश्व स्वास्थ्य संगठन की माडल सूची में शामिल फार्मूले के अनुसार चार क्षयरोग रोधी औषधों के निश्चित खुराक योग (फिक्सड डोज कम्बीनेशन) को प्रारम्भ करने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) से (च) चार क्षयरोग-रोधी औषधों के निश्चित खुराक योग (फिक्सड डोज कम्बीनेशन) के उत्पादन हेतु बायोइक्वीलेन्स अध्ययन की आवश्यकता के लिए नई अनुमति से संबधित मामले की जांच की जा रही है। बायो इक्वीलेन्स अध्ययन मुख्यतः नई औषधों की मुख सेव्य खुराक रूपी के लिए अपेक्षित है। देश में बायो-एवेलबिलटी/बायो इक्वीलेन्स अध्ययन के कई केन्द्र है और विशेष रूप से प्राधिकृत करने की कोई जरूरत नहीं होती। इन केन्द्रों में उपलब्ध विशेषज्ञता और आधारभूत ढांचे के आधार पर नई औषध के अनुमोदन के लिए अध्ययन रिपोर्टों पर विचार किया जाता है।

**हल्दिया पत्तन और कोलकाता पत्तन न्यास को अलग किया जाना**

**3584. डा. नीतिश सेनगुप्ता:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हल्दिया पत्तन को कोलकाता पत्तन न्यास से अलग करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति**

**3585. श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.जी.एच.एस. कार्डधारक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्रालय के सी.जी.एच.एस. स्कंध से चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली में परिवर्तन करने का है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति को ऐसे विभाग के माध्यम से अनुमति प्रदान करने का है जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में ऐसे अनुदेश सभी सरकारी विभागों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) सरकार को चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर लाभार्थियों के सामने आ रही कठिनाइयों की जानकारी है।

इस संबंध में, सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर शहरों के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जरिए उनके चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों तो, के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पेंशनरों से प्राप्त हुई शिकायतें दूर करने हेतु तत्काल कार्रवाई करने के लिए संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर शहरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन के अध्यक्षों को अग्रेषित की जाती है।

सभी अपर निदेशकों/संयुक्त निदेशकों जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों के अध्यक्षों के रूप में कार्य कर रहे हैं, को नियमों के अनुसरण में और निश्चित वित्तीय सीमा के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पेंशनर लाभार्थियों के चिकित्सीय दावों को निपटाने के लिए शक्तियां सौंपी गई है। कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर लाभार्थियों के चिकित्सीय दावों को नियमों में छूट आदि के अधीन विचारार्थ नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) को भेजा जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की शिकायतें और सरकार द्वारा उनका निवारण एक सतत् प्रक्रिया है और इन्हें कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनर लाभार्थियों के मामले में प्रतिपूर्ति की मौजूदा पद्धति को बदलने का ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

**प्रमुख पत्तन न्यास बोर्ड का पुनर्गठन**

**3586. श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख पत्तन न्यास बोर्डों का पुनर्गठन पत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन न्यासों के कितने पुनर्गठित बोर्डों में श्रमिक प्रतिनिधि नहीं हैं;

(ग) क्या सभी प्रमुख पत्तन न्यास बोर्डों में श्रमिक प्रतिनिधिमंडल हेतु समरूप प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) जी हां।

(ख) चेन्नई और पारादीप को छोड़कर महापत्तनों के सभी न्यासी बोर्डों में श्रमिक न्यासियों की नियुक्ति कर दी गई है। चेन्नई पत्तन न्यास में चैक ऑफ प्रणाली के आधार पर श्रमिक न्यासियों की नियुक्ति के विरुद्ध कुछ यूनियनों ने मद्रास उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और उन्होंने गुप्त मतदान प्रणाली कार्यान्वित करने की प्रार्थना की है। पारादीप पत्तन न्यास में गुप्त मतदान को लागू करने के अधिकांश यूनियनों के विचार के परिणामस्वरूप पोत परिवहन मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को गुप्त मतदान करवाने की सलाह पहले ही दे दी है। इस मुद्दे पर उड़ीसा उच्च न्यायालय में संघ द्वारा दायर किए गए एक न्यायिक मामले में माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.4.2002 के अपने आदेश में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को निदेश दिया है कि वह पारादीप पत्तन न्यास में गुप्त मतदान करवाने के पोत परिवहन मंत्रालय के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक अनुदेश जारी करे।

(ग) और (घ) महापत्तन न्यास बोर्डों में श्रमिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंधों के तहत की जाती है। पहले यूनियनों में संख्या का निर्धारण श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए सत्यापन के अनुसार किया जाता था। तदनंतर 1998 से पत्तन और गोदी कामगारों के प्रमुख संघों के बहुमत निर्णय के मद्देनजर, सरकार ने सत्यापन प्रणाली के स्थान पर चैक ऑफ प्रणाली लागू कर दी है। उसके बाद जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास और तूतीकोरिन पत्तन न्यास ने स्थानीय यूनियनों से परामर्श करने के बाद गुप्त मतदान का विकल्प चुना। तत्पश्चात्, अन्य महापत्तनों, जिनके न्यासी बोर्डों का 2002 में पुनर्गठन किया जाना था, को भी अक्तूबर, 2001 में स्थानीय यूनियनों से बहुमत समर्थन प्राप्त करने के बाद गुप्त मतदान शुरू करने पर विचार करने की सलाह दी गई थी।

## केबल बिछाना

3587. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राइवेट आपरेटर केबल बिछाने हेतु सड़कों की खुदाई करते हैं लेकिन उन स्थानों को भरते नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्राइवेट आपरेटर केबल बिछाने के बाद खुले हुए स्थानों को भरें?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ):** (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारें, लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न उपयोगी एजेंसियों को राइट आफ वे अनुमोदन प्रदान करने हेतु अपने दिशानिर्देश तथा नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस विषय पर सभी राज्य सरकारों को संदर्भ हेतु मानक दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं। इन दिशानिर्देशों में, केबल बिछाने के बाद उन स्थानों को पुनः ठीक करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

## रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग

3588. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) ने रेडियोधर्मी सामग्री के प्रयोग हेतु किसी व्यक्ति विशेष अथवा कंपनी को लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सामग्री की पहचान करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार के पास कोई जांच एकक निगरानी प्रणाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

***लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):*** (क) जी, हां।

(ख) भारत भर में लगभग 2300 संस्थानों में विकिरणसक्रिय सामग्रियों का उपयोग चिकित्सीय, औद्योगिक और अनुसंधान संबंधी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इनमें, 330 चिकित्सा सुविधाएं (विकिरणचिकित्सा-180 तथा नाभिकीय चिकित्सा-150) और लगभग 1700 औद्योगिक संस्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 245 संस्थान बिना सील की हुई विकिरणसक्रिय सामग्री का उपयोग अनुसंधान संबंधी प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार के पास, विकिरण स्रोतों को काम में लाने वाले विभिन्न संस्थानों में वैकिरणकी सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक सुविकसित नियामक व्यवस्था है। संस्थानों को प्राधिकृत करने से पहले, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) उनके आवेदन-पत्रों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करता

है कि वे विकिरणसक्रिय सामग्रियों का हस्तन सुरक्षित रूप से करने संबंधी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हैं। इनमें, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की, विकिरण का उपयुक्त मापन और मानीटर करने वाले उपकरणों का उपलब्ध होना तथा संस्थापनाओं की योजना वैकिरणकी सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना शामिल है। प्रत्येक संस्थान को, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अनुमोदन से अपने एक कर्मचारी को वैकिरणकी सुरक्षा अधिकारी पदनामित करना होता है। नियोक्ता तथा "वैकिरणकी सुरक्षा अधिकारी" के कार्य तथा उत्तरदायित्व संगत नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। नियोक्ताओं को संस्थान की वैकिरणकी सुरक्षा संबंधी स्थिति का ब्यौरा देते हुए आवधिक रिपोर्टें भेजनी होती हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का स्टाफ सुरक्षा संबंधी मानकों के उल्लंघनों, यदि कोई हों तो, का पता लगाने के लिए संस्थानों के घोषित तथा अघोषित निरीक्षण करता है। इन मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निरीक्षण दलों द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद शुरू की जाती है। मौजूदा पद्धतियां, देश में विकिरणसक्रिय सामग्रियों के दुरुपयोग का पता लगाने और उसे ढूंढ़ने के लिए पर्याप्त हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के समतुल्य हैं।

*[हिन्दी]*

## पर्सनल कम्प्यूटरों की आपूर्ति

**3589. श्री जय प्रकाश : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008 तक प्रति एक हजार जनसंख्या पर 20 पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु योजना के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) सरकार की वर्ष 2008 तक प्रति एक हजार जनसंख्या पर 20 वैयक्तिक कम्प्यूटर प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

## कोबरा के काटने पर दी जाने वाली औषधि

**3590. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कोबरा के काटने पर औसतन हुई मौतों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में कोबरा के काटने पर इलाज की कोई विशेष औषधि नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इस रोग के इलाज में सहायक है;

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी औषधियों के आविष्कार हेतु कोई तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जा रही है।

(ख) से (घ) सर्प विष रोधी सीरा ही एकमात्र प्रत्योषध (एन्टी डोट) है जिसकी खुराक सर्पदंश के रोगियों का उपचार करने के लिए दी जाती है।

(ङ) से (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी दवा के आविष्कार के लिए कोई सहायता नहीं देता है।

## खेलों का विकास

**3591. श्री ए. नरेन्द्र :**
**श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
**श्री के.के. कलिअप्पन :**

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्य सरकारों से संबंधित राज्यों में खेलों के विकास हेतु सरकार द्वारा प्राप्त परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अब तक कितनी परियोजनाओं/प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को इन परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती):** (क) से (घ) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से 688 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 285 प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं। शेष प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें कमियां पाई गई थीं और राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया था। राज्य-वार तथा वर्ष-वार, प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

*विवरण*

| क्र.सं. | राज्य | 1999-2000 | | | 2000-2001 | | | 2001-2002 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या | अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (रु. लाखों में) | प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या | अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (रु. लाखों में) | प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या (रु. लाखों में) | अनुमोदित केन्द्रीय सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3 | 1 | 43.49 | 17 | 17 | 827.04 | 1 | — | — |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | — | — | 3 | 2 | 180.00 | 13 | 7 | 644.40 |
| 3. | असम | 8 | — | — | 4 | 2 | 45.63 | 4 | 1 | 30.00 |
| 4. | बिहार | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| 5. | गुजरात | 1 | 1 | 60.00 | — | — | — | 1 | — | — |
| 6. | हरियाणा | 2 | 1 | 25.00 | 4 | 2 | 102.82 | 21 | 1 | 44.08 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 6 | 6 | 148.92 | 7 | 3 | 120.77 | 15 | 7 | 966.15 |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 49 | 10 | 11.71 | — | — | — | 31 | 17 | 239.74 |
| 9. | कर्नाटक | 7 | 4 | 168.60 | 7 | 5 | 248.43 | 16 | 1 | 16.00 |
| 10. | केरल | 10 | 6 | 151.75 | 5 | 4 | 22.24 | 3 | — | — |
| 11. | मध्य प्रदेश | 24 | 17 | 104.68 | 13 | 13 | 407.95 | 10 | — | — |
| 12. | महाराष्ट्र | 15 | 6 | 182.83 | 15 | 6 | 126.10 | 25 | 3 | 250.02 |
| 13. | मणिपुर | 10 | 1 | 30.00 | 11 | 6 | 134.60 | 5 | 1 | 2.99 |
| 14. | मिजोरम | 22 | 14 | 228.75 | — | — | — | 11 | — | — |
| 15. | नागालैंड | 20 | 4 | 143.31 | 10 | 6 | 171.60 | 38 | 22 | 45.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | उड़ीसा | 11 | — | — | — | — | — | 14 | 7 | 26.84 |
| 17. | पंजाब | 14 | 4 | 306.72 | 15 | 20* | 1031.7 | 1 | — | — |
| 18. | राजस्थान | 5 | — | — | 5 | 2 | 19.51 | 6 | — | — |
| 19. | तमिलनाडु | 7 | 7 | 287.00 | 30 | 28 | 134.56 | 5 | — | 118.74 |
| 20. | त्रिपुरा | 5 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 7 | 4 | 72.44 | 14 | 4 | 97.44 | 8 | 1 | 18.00 |
| 22. | पश्चिमी बंगाल | 18 | 2 | 85.20 | — | — | — | 35 | 2 | 21.38 |
| 23. | दिल्ली | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 24. | छत्तीसगढ़ | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 59.96 |
| 25. | उत्तरांचल | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 509.44 |
| 26. | झारखंड | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| | कुल जोड़ | 245 | 88 | | 164 | 120 | | 279 | 77 | |

टिप्पणी *इसमें पूर्व वर्षों में प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं।

1999-2000 से 2001-2002 तक (1) प्राप्त प्रस्तावों की संख्या-688

(2) अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या - 285

## एशियाई खेलों हेतु उपस्करों का आयात

3592. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुसान (कोरिया) में होने वाले एशियाई खेलों के विभिन्न संकायों में भाग लेने हेतु उपस्करों के आयात हेतु केन्द्र सरकार के पास कुछ अनुरोध लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अनुरोधों को स्वीकार करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती):** (क) से (ग) आगामी एशियाई खेलों में अनेक प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए काफी संख्या में अपेक्षित उपकरणों का आयात किया गया है। अलबत्ता, कुछ उपकरणों के संबंध में, आयात करने की प्रक्रिया चल रही है। अपेक्षित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

### *विवरण*

*पहुंच चुके/पहुंचने वाले आयातित उपकरणों के ब्यौरे*

| क्र.सं. | खेल-विधा | अनुमोदित मदें | मात्रा | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बैडमिंटन | योनेक्स बैडमिंटन शटल काक ए.एस.-2 ब्रांड | 3000 दर्जन | प्रेषित माल मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गया है। सीमा शुल्क निकासी की प्रतीक्षा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | निशानेबाजी | क्ले बर्ड्स कोर्सिविया | 1,97,250 | पहुंच गया। |
| 3. | -वही- | .22 एल.आर.एले. टेनेक्स अल्टीमेट | 3,75,000 | पहुंच गया। |
| 4. | -वही- | .22 एल.आर.एले. क्लब | 3,00,000 | पहुंच गया। |
| 5. | -वही- | .22 शार्ट आर.एस.डब्ल्यू.आर-25 | 1,50,000 | पहुंच गया। |
| 6. | -वही- | जेको वाडकटर.32 | 60,000 | पहुंच गया। |
| 7. | -वही- | 177 एयर पैलेट एच. एंड एन. फाइनेल मैच | 5,00,000 | पहुंच गया। |
| 8. | याटिंग | एंटरप्राइज बोट | 2 | सुपुर्दगी की प्रतीक्षा है। |
| 9. | -वही- | 420 क्लास बोट | 3 | पहुंच गया। |
| 10. | -वही- | लेजर रेडियल मास्ट एंड सेल | 10 | बैंक के साथ साख-पत्र खोला गया। |
| 11. | -वही- | लेजर | 6 | बैंक के साथ साख-पत्र खोला गया। |
| 12. | -वही- | 4 सेल्स सहित एंटरप्राइज बोट | 1 | सुपुर्दगी भारतीय याटिंग संघ द्वारा ली गई। |
| 13. | -वही- | 3 अतिरिक्त सेल्स सहित ओ.के. डिंघी बोट | 1 | इस महीने पहुंचने की संभावना है। |
| 14. | -वही- | 4 सेल्स सहित लेजर रेडियल बोट | 3 | आंध्रा बैंक में साख-पत्र खोला गया। |
| 15. | -वही- | 4 सेल्स सहित 420 क्लास बोट्स | 4 | इस माह में सुपुर्दगी आने की संभावना है। |
| 16. | -वही- | कोच बोट्स | 3 | इस माह में सुपुर्दगी आने की संभावना है। |
| 17. | -वही- | आफ वेटसूट्स | 11 | पहुंच गया। |
| | | आफ स्कोक्स | 11 | |
| | | सेलिंग शूज | 14 जोड़ी | |
| | | ग्लोव्ज | 11 जोड़ी | |
| | | आफ वाटरप्रूफ जैकेट्स | 3 | |
| 18. | निशानेबाजी | क्ले बर्ड्स कोर्सिविया | 1,97,250 | आन्ध्रा बैंक में साख पत्र खोला गया। |
| 19. | -वही- | .22 एल.आर. ऐले टेनेक्स अल्टीमेट | 3,75,000 | फर्म के लिए बीजक |
| | | .22 एल.आर. ऐले क्लब एक्सट्रा | 3,00,000 | प्रपत्र की प्रतीक्षा थी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | निशानेबाजी | आर.डब्ल्यू.एस.आर.-25 (.32)<br>जेको बाडकटर (.32) | 1,50,000<br>60,000 | साख पत्र खोलने के लिए आंध्रा बैंक को कागजात भेजे जा रहे हैं। |
| 21. | -वही- | 177 एयर पैलेट एच. एंड एन. फाइनेल मैच | 5,00,000 | आंध्रा बैंक में साख पत्र खोला गया। |
| 22. | गोला-बारूद | .12 बोर ट्रैप एंड स्कीट | 3,00,000 | -वही- |
| 23. | नौकायन | कम भार की एक छोटे चप्पू वाली नाव | 1 | -वही- |
| | | कम भार की दो छोटे चप्पू वाली नाव | 1 | |
| | | चार काक्सलेस की नाव कम भार वाली | 1 | |
| | | आठ काक्स्ड नाव | 1 | |
| | | दौड़ के लिए नावों का वर्ग | 1 | |
| 24. | -वही- | अर्गोमीटर | 2 | साख पत्र खोला जा रहा है। फर्म से बैंक संबंधी ब्यौरे की प्रतीक्षा है। |
| 25. | -वही- | स्पीडकोच | 4 | साख पत्र खोला जा रहा है। फर्म से बीजक प्रपत्र की प्रतीक्षा की जा रही है। |

### भारत और थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र

**3593. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी प्रस्ताव की जांच की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) और (ख) जी हां। भारत और थाइलैण्ड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र पर व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सरकारी स्तर पर एक संयुक्त कार्य दल की स्थापना की गई। संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक 12-13 अप्रैल, 2002 को हुई थी।

### कैंसर हेतु थैलीडोनाइड औषधि

**3594. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री वी. वेत्रिसेलवन :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 2002 के ''दी टाइम्स आफ इंडिया'' में ''गवर्नमेंट डीथर्स ऑन लाइफलाइन फॉर कैंसर पेशेन्टस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमे प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) जी, हां। थालीडोमाइड गंभीर जन्मजात दोष पैदा करने के लिए ज्ञात है और इसके कारण इस औषध को पूरे विश्व में प्रतिबंधित कर दिया गया था। वैसे, प्रमाणों और अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर यू.एस.एफ.डी.ए. ने औषध थालीडोमाइड को कुष्ठ की जटिलताओं के उपचार के लिए इस्तेमाल में लाने की अनुमति दी जिसके लिए ऐसे रोगियों हेतु कोई अच्छी वैकल्पिक थिरेपी उपलब्ध नहीं है। थालीडोमाइड को भी बहुमज्जार्बुद (मल्टी माइलोमा) के दुश्चिकित्स्य रोगियों के इलाज में उपयोगी पाया गया है। डा. जे.के. ग्रोवर, अपर प्रोफेसर, भेषजगुण विज्ञानु, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने बहु मज्जाबुर्द के रोगियों पर परीक्षण किया है जिसके लिए थालीडोमाइड की गोलियों की आपूर्ति मैसर्स ग्रूनेन्थल, जर्मनी द्वारा की गई थी। मैसर्स ग्रूनेन्थल, जर्मनी ने बाद में औषध की आपूर्ति बन्द कर दी जिसके लिए उन्होंने सरकार से एक करार के रूप में वचन (अंडरटेकिंग) की मांग की। उस फर्म ने अब पिछले करार के अनुसार केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट के जरिए औषध की आपूर्ति पुनः शुरू करने की सहमति दे दी है।

**यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि का दौरा**

**3595. श्री राम मोहन गाड्डे :**
**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
**श्री सी. श्रीनिवासन :**
**डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) जी हां। यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि मि. जेवियर सोलना ने 26 जुलाई, 2002 को भारत का दौरा किया।

(ख) और (ग) उनके दौरे के दौरान आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के साथ-साथ द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। हमारे विचारों में व्यापक सहमति है कि आतंकवाद एक व्यापक बुराई है और पाकिस्तान घुसपैठ और सीमा पार के आतंकवाद को बंद करे और आतंकवाद के आधारभूत संरचना को नष्ट करे ताकि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सके। दौरे में यूरोपीय संघ, जो सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है, जिसके साथ हमारे सामरिक संबंध हैं, को इस बारे में हमारी मुख्य सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया गया और साथ ही हमारे बढ़ रहे राजनीतिक संबंधों की समीक्षा की गई।

**सूचना केन्द्र**

**3596. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य कर रहे सूचना केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार इन केन्द्रों को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) सूचना और सुविधा काउंटरों के कार्यकरणों को मॉनीटर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधिकारियों के दलों द्वारा मार्च और जून, 2000 के मध्य इन काउंटरों के कार्यकरणों का मौके पर मूल्यांकन किया गया था। इससे पूर्व उपभोक्ता समन्वय परिषद नामक उपभोक्ता समूहों की एक शीर्ष संस्था ने भी मार्च, 2000 में सूचना और सुविधा काउंटरों के कार्यकरणों की एक बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ख) इन दोनों रिपोर्टों के अनुसार, जहां समग्र-रूप से इन सूचना और सुविधा काउंटरों के कार्यकरणों को संतोषजनक कहा जा सकता है, वहीं कुछ कमियां भी देखने में आईं। उपभोक्ता समन्वय परिषद द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्रमुख कमियां सूचना और सुविधा काउंटरों के स्थापना-स्थलों के बारे में, पर्याप्त प्रचार और पर्यवेक्षण की कमी के बारे में थी। इसी प्रकार, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के दौरान पाई गई कमियां जगह की कमी, आगन्तुकों के लिये अपर्याप्त सुविधाएं, काउंटरों के पास सीधी दूरभाष लाइनें उपलब्ध न होना, काउंटरों पर कार्यरत कर्मचारियों का निम्न स्तर का होना, कर्मचारियों द्वारा नाम-पट्टिकाओं का न लगाया जाना तथा अद्यतन सूचना की कमी से संबंधित थीं। इन रिपोर्टों में निहित विशिष्ट टिप्पणियां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों को संप्रेषित कर दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**सॉफ्टवेयर की चोरी**

**3597. श्री सुबोध मोहिते :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कानूनी ढांचे की कमी के कारण सॉफ्टवेयर की चोरी दिन-ब-दिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) साफ्टवेयर की चोरी को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) देश में सॉफ्टवेयर की चोरी कम करने के लिए कानूनी ढांचा पर्याप्त है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**अनुसंधान के लिए जानवरों की अनुपलब्धता**

**3598. श्री सुरेश कुरूप :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान प्रयोजनों के लिए जानवरों की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न प्रमुख संस्थानों में चिकित्सीय अनुसंधान, टीकों का उत्पादन, रैबीज रोधी एवं अन्य महत्वपूर्ण सीरम में व्यवधान की कोई सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हाफकिन बायो-फार्मेस्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई आदि जैसे प्रमुख संस्थानों को पशुओं पर नियंत्रण और प्रयोगों के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ बनी समिति (सी.पी.सी.एस.ई.ए.) द्वारा तैयार किए गए पशु प्रजनन और उन पर प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 के विभिन्न उपबंधों तथा जिस ढंग से पशुओं पर नियंत्रण और प्रयोगों के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ बनी समिति (सी.पी.सी.एस.ई.ए.) के विभिन्न निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है, के कारण एंटी सीरा और वैक्सीन के उत्पादन में कठिनाई आ रही है। पशुओं पर नियंत्रण और प्रयोगों के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ बनी समिति (सी.पी.सी.एस.ई.ए.) की चिकित्सा अनुसंधान और नियमों प्रक्रियाओं आदि में आवश्यक संशोधनों पर भूमिका से संबंधित सभी विषयों को समुचित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-वितरण प्रणाली**

**3599. श्री मानसिंह पटेल :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों की डाक-वितरण प्रणाली की समीक्षा पिछली बार कब की गई थी;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले थे; और

(ग) इन परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) डाक वितरण की समीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है तथा यह समीक्षा जांच पत्र भेजकर, आवधिक लाइव मेल सर्वेक्षण करके तथा प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय लाइव मेल सर्वेक्षण करके की जाती है।

(ख) अप्रैल 2001 में किए गए अखिल भारतीय ग्रामीण लाइव मेल सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 89.1 प्रतिशत डाक विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर वितरित की गई थी।

(ग) डाक में विलंब के कारणों का पता लगाया जाता है और जहां आवश्यक होता है, डाक की रूटिंग और वितरण व्यवस्थाओं को कारगर बनाया जाता है।

*[अनुवाद]*

**ठेकेदारों को काम में लगाना**

**3600. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने दस्तावेजविहीन फैक्ट्री सामग्री वाले कंटेनरों की हैंडलिंग हेतु नवनिर्मित बफर यार्ड का संचालन और प्रबंध करने हेतु ठेकेदारों को काम में लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संभावित बोलीकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) से (घ) जी हां। तथापि, चूंकि 1997 में विकसित बफर यार्ड मैसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा 26.5.1989 से संचालित कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सी.एफ.एस.) के बिल्कुल नजदीक था, इसलिए कंटेनर और प्रलेखीकरण हैंडल करने में मैसर्स सी.डब्ल्यू.सी. के अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए तथा उक्त कंटेनर फ्रेट स्टेशन के प्रबंधन के लिए ठेके की अवधि के साथ समकालिकता

निश्चित करने के लिए 1.7.97 से मई, 1999 के अंत तक इसका प्रचालन और प्रबंधन भी मैसर्स सी.डब्ल्यू.सी. को सौंप दिया गया था।

कंटेनर फ्रेट स्टेशन और बफर यार्ड का 1.6.99 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए लाइसेंस सौंपने हेतु 5 छांटे गए भावी निविदादाताओं से जून, 1999 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। केवल 4 निविदाओं ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें से 3 निविदादाता अनुकूल पाए गए तथा आयात से जुड़े सी.एफ.एस. और बफर यार्ड से संबंधित सुविधाओं के लिए प्रतिवर्ष पट्टा किराए हेतु इन निविदादाताओं द्वारा उद्धृत की गई राशि नीचे दी गई हैं:

(1) मै. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन – 6.5 करोड़ रु.

(2) मै. नेशनल फ्रेट कैरियर्स – 1.5 करोड़ रु.

(3) मै. गणेश ट्रांसपोर्ट सिंडीकेट – 1.05 करोड़ रु.

सी.एफ.एस. तथा बफर यार्ड के प्रचालन और प्रबंधन का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले अर्थात् मै. सी.डब्ल्यू.सी. को 1.6.1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सौप दिया गया।

**राम मनोहर लोहिया अस्पताल का स्तरोन्नयन**

3601. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
**श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजधानी में स्थित डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल का स्तरोन्नयन करने के संबंध में विचार करती रही है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु नियत धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अस्पताल के स्तरोन्नयन संबंधी कार्य को पूरा करने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (घ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों के भीतर इस संबंध में किसी प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने का निरन्तर प्रयास है। इस प्रयोजन के लिए दसवीं योजना के लिए कुल परिव्यय 150.00 करोड़ रुपए है।

**डाक विभाग में शिकायतें**

3602. **श्री चन्द्र विजय सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 से 2000-2001 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान डाक विभाग में उपभोक्ताओं द्वारा कुल कितनी शिकायतें दर्ज कराई गईं;

(ख) उक्त शिकायतों का स्वरुप क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान)**: (क) डाक विभाग को वर्ष 1996-97 से 2000-2001 तक प्रत्येक वर्ष में देश भर के उपभोक्ताओं से निम्नांकित संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

| वर्ष | प्राप्त शिकायतों की संख्या |
|---|---|
| 1996-97 | 7,12,718 |
| 1997-98 | 7,74,021 |
| 1998-1999 | 8,13,063 |
| 1999-2000 | 8,14,260 |
| 2000-2001 | 7,87,601 |

(ख) शिकायतें सामान्यतया प्रचालन संबंधी कमियों तथा उपभोक्ताओं को डाक सेवाएं प्रदान करने में हुई मानवीय त्रुटियों के विरुद्ध होती हैं।

(ग) जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है उसकी तुरंत जांच कराई जाती है और यथासंभव कम से कम समय में उसका समाधान करने तथा अड़चनें, यदि कोई हों, तो उनको दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। एक सतत प्रक्रिया के रूप में शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) मुख्यालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा लंबित शिकायतों की निपटान की लगातार मॉनीटरिंग;

(2) तिमाही विवरणियों द्वारा फील्ड इकाइयों के कार्य-निष्पादन का गहन विश्लेषण।

(3) मनीआर्डर, बचत बैंक/नकदी पत्रों और पंजीकृत वस्तुओं के क्षेत्र में शिकायतों के शीघ्र निपटान तथा कमियों को दूर करने के लिए आवधिक अभियान चलाना।

(4) पंजीकृत वस्तुओं/मनीऑर्डरों का तत्काल वितरण/भुगतान सुनिश्चित करने के लिए फील्ड इकाइयों में एक अधिकारी तैनात किया गया है।

(5) शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए जनशिकायतों के माध्यम से संबंधित समय-सीमा में संशोधन किया गया है और इसे कम करके पहले से आधा कर दिया है।

(6) शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी, फैक्स और टेलीफोन का प्रयोग।

(7) शिकायतों पर शीघ्र व युक्तिसंगत कार्रवाई करने और उनके निपटान के लिए कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित करना। 31.3.02 के अंत तक ऐसे 230 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

**अपव्यय**

3603. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश के आलोक्य में उनके मंत्रालय द्वारा अपव्यय को कम करने हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ख) उक्त अपव्यय में कमी करने/रोकथाम करने हेतु अब तक उनके मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन)**: (क) ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं। इस मंत्रालय में व्यय, किफायत संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**हर्बल गर्भनिरोधक क्रीम**

3604. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लखनऊ स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला द्वारा विकसित हर्बल गर्भनिरोधक क्रीम को परिवार कल्याण कार्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) जी नहीं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की लखनऊ प्रयोगशाला द्वारा विकसित हर्बल गर्भनिरोधक क्रीम को परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**हीमोफीलिया की दवा**

3605. **श्री वी. वेत्रिसेलवन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हीमोफीलिया की दवा केन्द्र सरकार के औषधालयों/अस्पतालों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (ग) हीमोफीलिया के रोगियों के लिए उपयोग की जाने वाली फैक्टर 8 औषध केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को शहर को कवर करने वाली संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित प्राधिकृत पर्ची द्वारा प्रदान की जा रही है और भारतीय हीमोफीलिया सोसाइटी से खरीदी जा रही है।

सफदरजंग अस्पताल में हीमोफीलिया की ज्यादातर औषधें उपलब्ध हैं।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों में हीमोफीलिया के रोगियों का केवल कभी-कभार इलाज किया जाता है, इसलिए अस्पताल फारमूलरी में ''एण्टी हीमोफीलियक फैक्टर'' औषध को शामिल नहीं किया जाता है। अतः अस्पतालों के भण्डार में यह औषध प्रतिदिन उपलब्ध नहीं होता। कभी किसी रोगी का

हीमोफीलिया का निदान करते समय औषध की स्थानीय खरीद कर ली जाती है।

डा. राम मनोहर लोहिया में हीमोफीलिया का कोई पंजीकृत रोगी नहीं है। इन रोगियों को नियमित रक्ताधान की आवश्यकता नहीं होती। केवल अत्याधिक रक्तास्राव के समय ही रक्ताधान की आवश्यकता होती है। कम रक्तास्राव को ताजा जमे हुए प्लाजा रक्ताधान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जो अस्पताल के रक्त बैंक में तुरंत उपलब्ध होता है। हीमोफीलिया के रोगी अस्पताल में कभी कभार आते हैं इसलिए औषध को रखना लागत प्रभावी नहीं है। तथापि, जब भी अत्यधिक रक्तस्राव वाला हीमोफीलिया का रोगी केजुल्टी में आता है तो अस्पताल में तदनुसार उसका उपचार किया जाता है।

यह सत्य है कि एम्स सहित सरकार के किसी भी अस्पताल में हीमोफलिया ए और हीमोफीलिया बी में प्रतिस्थापन उपचार के लिए महत्वपूर्ण एजेंट रीकोम्बीनेंट फेक्टर-8/9 उपलब्ध नहीं होते। तथापि, ताजा जमा प्लाज्मा और करायोप्रिसीटेट जिन्हें उपरोक्त के प्रतिस्थानी के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान में उपलब्ध होते हैं। तथापि, प्राय: हीमोफीलिक रोगियों के उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये फेक्टर महंगे होते हैं और इनका आयात करना पड़ता है और इसलिए इनकी उपलब्धता सीमित होती है।

## स्पीड पोस्ट की सुविधा

**3606. श्री सुनील खां :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दार्जिलिंग को दोनों ही तरफ से स्पीड पोस्ट सुविधा से जोड़ा गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे पर्यटक स्थलों को स्पीड पोस्ट सुविधा से जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) और (ख) जी हां। दार्जिलिंग दोनों तरफ से स्पीड पोस्ट सुविधा से जुड़ा है।

(ग) राजस्व अर्जन क्षमता तथा वितरण और पारेषण मानदंडों को पूरा करने के आधार पर, पश्चिमी बंगाल सर्किल के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में स्पीड पोस्ट सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(घ) पश्चिम बंगाल सर्किल में शांतिनिकेतन, पोर्ट ब्लेयर और गंगतोक जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को दोनों तरफ से स्पीड पोस्ट सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

## क्षेत्रीय असंतुलन

**3607. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दों पर ध्यान दिया गया है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों ने पश्चिमी बंगाल के उत्तर बंगाल क्षेत्र, बिहार के उत्तर बिहार क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय असंतुलन से निपटने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलनों के मुद्दों पर राज्यों को दी जाने वाली योजना निधियों के आबंटन संबंधी गाडगिल मुखर्जी फार्मूले और उद्दिष्ट क्षेत्रकों/स्कीमों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के माध्यम से दसवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाना है। गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के अनुसार, राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की आय और केन्द्रीय सहायता का आबंटन करते समय अन्य समस्याओं सहित राज्यों की विशेष समस्याओं जैसे कारकों को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। उद्दिष्ट क्षेत्रकों/स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन का मुख्य मानदण्ड विभिन्न राज्यों में सामाजिक और भौतिक आधारिक संरचना के विकास में अंतर है। इस अंतर को भरने के दृष्टिकोण से राज्यों के बीच विषमताएं कम होने की प्रत्याशा है।

(ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने 33.00 करोड़ रुपये की संग्रह राशि से उत्तर बंगाल के लिए एक क्षेत्र विकास निधि की संरचना की है। इसके अतिरिक्त उत्तर बंगाल की विकास स्कीमों के कार्यान्वयन की आयोजना और मानीटरिंग के लिए राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2000-01 में उत्तर बंग उन्नयन परिषद् का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990-91 में राज्य के पूर्वी क्षेत्र के लिए पूर्वांचल विकास निधि स्थापित की है और दसवीं योजना और वार्षिक योजना 2002-03 के प्रस्तावों के एक भाग के रूप में राज्य सरकार क्षेत्र में आधारित संरचना से संबंधित स्कीमों को शुरू करेगी। बिहार सरकार ने उत्तर बिहार

के लिए कोई विशिष्ट विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं किया है।

## सिविल सेवा परीक्षा

**3608. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सिविल सेवा परीक्षा में परिवर्तन लाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) सिविल सेवा-परीक्षा की वर्तमान योजना की समीक्षा करने के लिए संघ-लोक-सेवा-आयोग ने प्रो. वाई.के. अलग की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय विशेषज्ञ-समिति गठित की थी। सरकार को उपयुक्त समिति की सिफारिशें, उन पर संघ-लोक-सेवा-आयोग की टिप्पणियों के साथ, मिल गई हैं और इनकी जांच की जा रही है।

## पाकिस्तान को विश्व बैंक ऋण

**3609. श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
**श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
**श्री टी.एम. सेल्वागनपति :**
**श्री नरेश पुगलिया :**
**श्री रामजीलाल सुमन :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसका जिक्र उसने आजाद जम्मू और कश्मीर के रूप में किया है को विकसित करने के लिए ऋण स्वीकृत किया है-जैसा कि दिनांक 11 जुलाई, 2002 के "दि इकोनोमिक्स टाइम्स" में प्रकाशित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) और (ख) हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने पाकिस्तान के सुधार कार्यक्रम के सहायतार्थ ऋण पैकेज का अनुमोदन किया है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में "समुदाय संरचना एवं सेवा परियोजना क्रेडिट" हेतु 20 मिलियन डालर का ऋण शामिल है।

(ग) दिसम्बर, 2001 में विश्व बैंक बोर्ड में चर्चा के दौरान पाकिस्तान की गरीबी घटाने की कार्य नीति पर भारत सरकार ने दस्तावेज में "आजाद जम्मू कश्मीर", शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति व्यक्त की थी। यह कहा गया कि तथाकथित आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे के तहत भारतीय प्रभुसत्ता संपन्न क्षेत्र को संदर्भित करता है। सरकार इस नाम से किसी ऐसे क्षेत्र के अस्तित्व को मान्यता नहीं प्रदान करती।

(घ) 3 दिसंबर, 2001 को विश्व बैंक प्रबंधन ने एक प्रत्याख्यान जारी किया जिसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि विश्व बैंक का सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र की विधिक अथवा अन्य स्थिति पर निर्णय लेने का कोई आशय नहीं है।

## स्तन पान

**3610. श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा-करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में स्काटलैंड में किए गए अनुसंधान अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि स्तनपान करने वाले शिशुओं की आहार लेने वाले शिशुओं के मुकाबले कम मोटे होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में स्तनपान को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) जी, हां। सरकार को इस अध्ययन की जानकारी है। छह महीने की आयु तक केवल स्तनपान को ही लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इनमें केवल स्तनपान को ही लोकप्रिय बनाने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण सहित शिशु पोषण के सभी पहलुओं में अर्धचिकित्सीय और चिकित्सीय स्टाफ का प्रशिक्षण और शिशु दूध के सभी अनुकल्प, दूध पिलाने वाली बोतलें और शिशु खाद्य पदार्थ (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनिमयन) अधिनियम, 1992 शामिल हैं।

**कार्गो सम्हलाई**

3611. **श्री वाई.वी. राव** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश के प्रमुख पत्तनों पर कार्गो में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्गो सम्हलाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्तनों पर कार्गो सम्हलाई में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर)**: (क) और (ख) महापत्तनों द्वारा सम्हलाई किए गए कार्गो यातायात में लगातार वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाए गए पिछले 3 वर्षों के दौरान महापत्तनों द्वारा सम्हलाई किए गए कार्गो यातायात से स्पष्ट होता है:-

| वर्ष | मिलियन टनों में |
|---|---|
| 1999-2000 | 291.92 |
| 2000-01 | 281.10 |
| 2001-2002 | 287.57 |

(ग) महापत्तनों पर सम्हलाई किए गए कार्गो यातायात में वृद्धि करने हेतु लगातार चलने वाली प्रक्रिया के आधार पर प्रयास किए गए हैं जिसमें, विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन, नए बर्थों का निर्माण, उत्पादकता में सुधार, पत्तन का प्रयोग करने वालों को और अधिक कार्यक्रम सेवाओं पर जोर, इलैक्ट्रानिक डेटा इन्टर्चेंज की स्थापना, जलयान यातायात प्रबंधन पद्धति की स्थापना, श्रमिक प्रशिक्षण तथा जन कल्याण महापत्तनों के निगमीकरण तथा निजी क्षेत्र की प्रक्रिया में वृद्धि शामिल हैं।

**दसवीं योजना हेतु लक्ष्य**

3612. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :
**श्री राम मोहन गाड्डे** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित तथा हासिल किए गए लक्ष्यों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रों के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दसवीं योजना के लिए क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) दसवीं योजना में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या मुख्य नीति बनाई गई है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों से संबंधित ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) मुख्य कारण कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में खराब निष्पादन तथा सार्वजनिक निवेश में गिरावट है।

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

***विवरण***

*नौवीं पंचवर्षीय योजना विकास लक्ष्य और उपलब्धियां*

(% प्रति वार्षिक)

| क्र.सं. | क्षेत्र | लक्ष्य | उपलब्धियां |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप | 3.9 | 2.06 |
| 2. | खनन एवं उत्खनन | 5.1 | 3.81 |
| 3. | विनिर्माण | 7.1 | 3.68 |
| 4. | विद्युत गैस एवं जलापूर्ति | 8.4 | 6.46 |
| 5. | निर्माण | 6.8 | 6.82 |
| 6. | वाणिज्य | 6.8 | 5.86 |
| 7. | रेल परिवहन | 3.6 | 4.70 |
| 8. | अन्य परिवहन | 6.8 | 5.63 |
| 9. | संचार | 11.9 | 17.14 |
| 10. | वित्तीय सेवाएं | 10.4 | 8.93 |
| 11. | लोक प्रशासन | 8.5 | 9.21 |
| 12. | अन्य सेवाएं | 7.7 | 8.19 |
| | कुल | 6.5 | 5.34 |

स्रोत: नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, विविध वर्ष

## परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का उन्नयन और आधुनिकीकरण

**3613. श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कितना व्यय किया जाएगा?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया अपने परमाणु विद्युत संयंत्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य निरन्तर किए जाने वाले नियोजित कार्यकलाप के रूप में करता है। परमाणु विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) संबंधी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप संयंत्र का कार्यकाल बढ़ जाता है और उनके परिचालन संबंधी सुरक्षा में वृद्धि होती है।

(ख) तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 (2×160 मेगावाट क्षमता वाले बॉयलिंग वाटर रिएक्टर) जोकि वर्ष 1969 में कमीशन किया गया, देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, में संयंत्र के कार्यकाल को बढ़ाने और उन्नयन संबंधी कार्य क्रमिक रूप से किए जा रहे हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 (200 मेगावाट) के मामले में नवीकरण व आधुनिकीकरण संबंधी कार्य जिनमें शीतलक चैनलों को सामूहिक रूप से बदलना (ई.एम.सी.सी.आर.) एवं संयंत्र प्रणालियों को उन्नत बनाना शामिल था, वर्ष 1998 में पूरे कर लिए गए थे और इन कार्यों के पूरा होने के बाद से यह यूनिट संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। इसी तरह के कार्य मद्रास परमाणु बिजलीघर के भी एक यूनिट में शुरू किए गए हैं। इस यूनिट के अगले वर्ष फिर से काम शुरू कर देने की आशा है। इसी प्रकार से ऐसे नवीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य मद्रास परमाणु बिजलीघर के एक और यूनिट तथा नरोरा के दोनों यूनिटों में भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) नौवीं योजनावधि में, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के सभी संयंत्रों के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर 160 करोड़ रुपए व्यय किए गए। दसवीं योजना में नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के लिए लगभग 997 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें मद्रास परमाणु बिजलीघर के दो यूनिटों और नरोरा परमाणु बिजलीघर के दो यूनिटों के शीतलक चैनलों का सामूहिक रूप से बदलना (ई.एम.सी.सी.आर.) शामिल है।

*[हिन्दी]*

## चल औषधालय सेवा

**3614. श्री तूफानी सरोज :**
**श्री के.के. कलिअप्पन :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में चल औषधालय सेवा आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (ग) सरकार ऐसी किसी विशिष्ट योजना पर सोच-विचार नहीं कर रही है। तथापि, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 260 चलते-फिरते कुष्ठ उपचार एकक और यू.एन.एफ.पी.ए. प्रायोजित भारतीय जनसंख्या और विकास परियोजना के अन्तर्गत 16 चलते-फिरते स्वास्थ्य एकक कार्य कर रहे हैं।

(घ) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत कुछ राज्यों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना/बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की मरम्मत और नवीकरण, औषधों, उपभोज्यों के अधिप्रापण और आकस्मिक खर्चों इत्यादि के लिए धन जारी किया जा रहा है। यू.एन.एफ.पी.ए. की वित्तीय सहायता से प्रदायी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कतिपय राज्यों में क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों,

औषधों और वैक्सीनों की व्यवस्था और आपरेशन थियेटर/प्रसव कक्ष की मरम्मत और निर्माण, जल और विद्युत आपूर्ति का उन्नयन, सांविदीय, नियुक्तियों/तकनीकी कार्मिकों को भाड़े पर रखने के लिए वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं इत्यादि के कौशल-प्रशिक्षण संबंधी कार्य को शुरू किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

### जैव-प्रौद्योगिकी इकाइयों से आवेदन

**3615. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
**श्री के. येरननायडू :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी की इकाइयों द्वारा औषध निर्माण की स्वीकृति हेतु भारत के महाऔषध नियंत्रक के पास कितने आवेदन किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में महाऔषध नियंत्रक द्वारा कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से इन आवेदनों को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में 7 आवेदन दिए गए हैं। स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को संबोधित आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री 3.8.2001 के पत्र की प्राप्ति के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश सरकार के सचिव श्री बी.पी. आचार्य ने अनुरोध किया कि राज्यों में प्रमुख जैव-प्रौद्योगिकी एककों से संबंधित लंबित प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने के लिए औषध महानियंत्रक को समुचित अनुदेश जारी किए जाएं और आन्ध्र प्रदेश राज्य में कतिपय प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कम्पनियों के कतिपय आरोपों एवं प्रत्यारोपों पर विश्वास न किया जाए।

स्वदेशी निर्मित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का अनुमोदन करने के पहले प्रस्ताव को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। वे हैं: रिकामबिनेन्ट कमेटी फार जेनेटिक मेनिपुलेशन (जैव प्रौद्योगिकी विभाग) की स्वीकृति, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला कसौली/कोलकाता द्वारा जांच रिपोर्टों का सत्यापन, नैदानिक परीक्षण करना, आर.डी.एन.ए. आधारित चिकित्सा शास्त्र के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की स्वीकृति, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आनुवांशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति की स्वीकृति, उत्तम विनिर्माण पद्धति मानदण्डों के अनुसार विनिर्माण सुविधा का सत्यापन आदि।

औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों से संबंधित तीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। शेष तीन आवेदनों नामतः (1) मैसर्स शान्ता जैव प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद का आर-स्ट्रेप्टोकिनेस (2) भारत जैव प्रौद्योगिकी (भारत) का आर-स्ट्रेप्टोकिनेस (3) मैसर्स डा. रेड्डी प्रयोगशाला हैदराबाद का इन्टरफेरान अल्फा 2बी के संबंध में नैदानिक परीक्षणों हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है।

*विवरण*

| वर्ष | प्राप्त आवेदनों की सं. | किस वर्ष में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई | किस वर्ष में औषध महानियंत्रक (भारत) कार्यालय ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1 | दिसम्बर, 2001 | फरवरी, 2002 |
| 2000 | 4 | एक प्रस्ताव, अप्रैल, 2001 में और दूसरा प्रस्ताव मार्च, 2002 में, तीसरे प्रस्ताव में नैदानिक परीक्षण आवेदक द्वारा किया जा रहा है। चौथे प्रस्ताव में नैदानिक परीक्षण 30.6.2002 को प्राप्त हुई और जी.ई.ए.सी. के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। | एक प्रस्ताव जून, 2001 में स्वीकृत किया गया और स्वीकृत किया गया और दूसरा मार्च, 2002 में |
| 2001 | 2 | दोनों प्रस्तावों में आवेदक द्वारा नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है। | |

*[हिन्दी]*

### प्लाज़मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर को वित्तीय सहायता

3616. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्लाज़मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) से (ग) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर परमाणु ऊर्जा विभाग का एक पूर्णत: सहायता-प्राप्त संस्थान है और इसलिए इसे योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के अंतर्गत इसके सभी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना जारी रखा जाएगा।

*[अनुवाद]*

### भारत-चीन सीमा वार्ता

3617. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
**श्रीमती रेणूका चौधरी :**
**श्री सुशील कुमार शिंदे :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष जून में सीमा मुद्दे पर भारत और चीन की दूसरे दौर की वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) सीमा विवादों के समाधान के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) जी हां। राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के भारत-चीन विशेषज्ञ समूह की 12वीं बैठक 17 जून, 2002 को बीजिंग में हुई।

(ख) भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रक रेखा के स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा आरंभ हो गयी है।

(ग) मध्य क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण के लिए नक्शों का आदान-प्रदान किया गया है।

### विश्व व्यापार संगठन से भारत का सम्पर्क

3618. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के समान भारत को शुल्क मुक्त रियायतों को दिए जाने के संबंध में यूरोपियन यूनियन के साथ तीसरे और अंतिम दौर की वार्ता असफल होने की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन से सम्पर्क करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच तीसरे और अंतिम दौर की वार्ता वांछित परिणामों को प्राप्त करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) से (घ) यूरोपीय संघ की 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसम्बर, 2004 की अवधि के लिए अधिमानता की सामान्य प्रणाली योजना में अन्य बातों के साथ-साथ वैसे सभी उत्पादों, जो मादक द्रव्यों के उत्पादन और अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए विशेष टैरिफ व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, पर सीमाशुल्क आस्थगित रखा गया है। इस विशेष प्रबंध के अंतर्गत पाकिस्तान एक सुविधा प्राप्त प्रदेश है। चूंकि यह भारतीय संघ के साथ भारत के निर्यात को बुरी तरह प्रभावित करेगा, भारत ने फरवरी, 2002 और जुलाई, 2002 को द्विपक्षीय विचार-विमर्श के माध्यम से इस मसले को यूरोपीय संघ के साथ उठाया था। इन विचार-विमर्शों के दौरान, यह बात उठायी गई थी कि पाकिस्तान को विशेष रूप से दी गई शुल्क रियायत से भारत को व्यापार में पर्याप्त हानि उठानी पड़ेगी। यूरोपीय संघ से ऐसी रियायतों के व्यापार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को सुधारने का अनुरोध किया गया है। हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के दौरान, इस वर्ष के प्रथम कुछ महानों में व्यापार आंकड़ों पर पड़े दुष्प्रभाव को दिखाया गया।

यूरोपीय संघ के उपरोक्त विवाद को निपटाने के लिए, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत 25 मार्च, 2002 को यूरोपीय संघ के साथ भी अलग से विचार-विमर्श किया।

इन सभी विचार-विमर्शों का यद्यपि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं रहा है। सरकार यूरोपीय संघ के साथ अभी भी उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तैयार है, इसके विषय में अगली कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार की जाएगी।

### मनोरोगी

**3619. श्री पी.आर. किन्डिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 2002 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में ''एम्स साइकाइट्रि हैज मच वर्क'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सा परिचर्या के लिए जाने वाले रोगियों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने के बावजूद भी एम्स में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाएं अभी भी वैसी ही हैं; और

(घ) यदि हां, तो अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में मनश्चिकित्सा विभाग वाक-इन-क्लीनिक की व्यवस्था कर रहा है जहां अन्य विभागों से भेजे गए अथवा नए रोगियों के रूप में पंजीकृत किए गए रोगियों को उसी दिन देखा जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, मनश्चिकित्सीय रोगियों को चौबीसों घंटे आपाती सेवाएं उपलब्ध हैं। यह सेवा सप्ताह के सभी दिनों के लिए चलती हैं। उपलब्ध संसाधनों के भीतर सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, इस अस्पताल के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन और उनकी कार्यकुशलता को मानीटर करने के लिए इस संस्थान की अपनी ही इन-हाऊस सर्वेक्षण और निरीक्षण प्रणाली है।

*[हिन्दी]*

### दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए परियोजनाएं

**3620. श्री हरिभाई चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से ''राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत चलाए गए अभियानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसकी सहायता से किन-किन राज्यों में परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) क्या इसके मूल्यांकन हेतु किसी निगरानी प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई अभियान शुरू नहीं किया गया है।

(ख) देश के सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) विभिन्न कार्यकलापों की मॉनीटरिंग इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और इसे जिले, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, गहन मॉनीटरिंग के लिए 25 प्रहरी निगरानी एकक स्थापित किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

### मल्टीपल एन्ट्री वीज़ा

**3621. श्री अधीर चौधरी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत में मल्टीपल एन्ट्री वीज़ा शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) और (ख) ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा जारी सभी वीजा बहुप्रवेशीय प्रकार के हैं। 1 जुलाई, 2002 से उन्होंने 10 वर्षीय बहु प्रवेशीय वीजा जारी करने शुरू कर दिए हैं।

### क्षयरोग और मलेरिया का उन्मूलन

**3622. श्री जी.जे. जावीया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोलियो की तरह देश से क्षयरोग और मलेरिया के उन्मूलन के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) जी, नहीं। क्षय रोग एवं मलेरिया दोनों से संबंधित विभिन्न महामारी संबंधी स्थितियों के कारण इस समय इन बीमारियों का उन्मूलन करना तकनीकी तौर पर सम्भव नहीं है। इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम चला रही है।

क्षयरोग नियंत्रण हेतु, थूक में रोग के लक्षण वाले नए 85 प्रतिशत रोगियों को रोगमुक्त करने और कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों का पता लगाने के लिए देश में चरणबद्ध ढंग से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। देश के लगभग 225 जिलों की लगभग 480 मिलियन जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किया जा चुका है। सन 2004 तक 800 मिलियन जनसंख्या को और 2005 तक समूचे देश की जनसंख्या को कवर करने की परिकल्पना है।

जहां तक मलेरिया का संबंध है, राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित श्रेणी-II की योजना है जिसकी लागत केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन की जाती है। इस कार्यक्रम में औषधों और कीटनाशकों तथा जैव पर्यावरणीय विधियों के माध्यम से मच्छरों की पैदाइश की रोकथाम करके रोगियों का पता लगाने और उनके उपचार करने की परिकल्पना है। सितम्बर, 1997 से 8 उच्च स्थानिकारी वाले आदिवासी राज्यों-आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड, उड़ीसा और राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से वृहद् मलेरिया नियंत्रण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कीटनाशी, औषधें, जैव लार्वानाशी, औषधयुक्त मच्छरदानियों तथा अन्य वस्तुएं एवं उपकरण प्रदान करती है। दिसम्बर, 1994 से पूर्वोत्तर राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

## इंटरनेट सेवाएं

**3623. श्री खगेन दास :**
**श्री भीम दाहाल :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में सभी जिला मुख्यालयों, उप-मंडल मुख्यालयों और प्रखण्ड मुख्यालयों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) त्रिपुरा में ऐसी सेवाओं की क्या स्थिति है;

(ग) क्या त्रिपुरा में मांग पर इंटरनेट कनेक्शन दिए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो नए इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने में ऐसे प्रतिबंध को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) बी.एस.एन.एल. ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। बी.एस.एन.एल. ने मिजोरम और 438 प्रखंड मुख्यालयों में से 295 प्रखंड मुख्यालयों को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के सभी उप-मंडल मुख्यालयों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक शहरों में अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट नोड की स्थापना की गई है। इन शहरों की एक सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) बी.एस.एन.एल. त्रिपुरा में इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रहा है। त्रिपुरा में, सभी 4 मुख्यालयों, सभी 15 उप-मंडल मुख्यालयों और 40 में से 29 प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) त्रिपुरा में नेटवर्क की उपलब्ध क्षमता के अनुसार चरणों में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। क्षमता संबधी बाधाओं के समाप्त होते ही इंटरनेट कनेक्शन मुक्त रूप से प्रदान किए जाएंगे। नए कनेक्शन वर्ष 2002 की चौथी तिमाही में जारी किए जाने की योजना है।

### *विवरण*

*पूर्वोत्तर के शहर जहां बी.एस.एन.एल. के अलावा अन्य इंटरनेट सेवा-प्रदाताओं (आई.एस.पी.) द्वारा इंटरनेट नोड स्थापित किए गए हैं*

| क्र.सं. | आई.एस.पी. के नाम | शहर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मै. एचसीएल इंफिनेट लि. | गुवाहाटी |
| 2. | मै. नॉर्थईस्ट ओन लाइन सर्विस प्रा.लि. | गुवाहाटी |
| 3. | मै. रिलायन्स इंफोकॉम लि. | गुवाहाटी |
| 4. | मै. सत्यम इंफोवे लि. | गुवाहाटी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | विदेश संचार निगम लि. | गुवाहाटी |
| 6. | मै. एस.एस. नेटकॉम प्रा.लि. | शिलांग |
| 7. | मै. एस.एस. नेटकॉम प्रा.लि. | कोहिमा |
| 8. | मै. एस.एस. नेटकॉम प्रा.लि. | इंफाल |

### जनसंख्या नियंत्रण

**3624. श्री नरेश पुगलिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 जुलाई, 2002 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) काहिरा में वर्ष 1994 में अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन के बाद परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रतिमान में परिवर्तन किया गया। देश भर में लक्ष्यमुक्त दृष्टिकोण 1 अप्रैल, 1995 से अपनाया गया और विकेन्द्रीकृत सहभागिता योजना शुरू की गई। वर्ष 2000 में, केन्द्रीय सरकार ने सन् 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कतिपय सामाजिक-जनांकिकीय लक्ष्य निर्धारित किए जो वर्ष 2010 तक पूरे किए जाने हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत ढांचे संबंधी सम्पूर्ण मांगों को पूरा करना।
2. शिशु मृत्यु दर को कम करके उसे प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना।
3. मातृत मृत्यु दर को कम करके प्रत्येक 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना।
4. सभी वैक्सीन निवारणीय रोगों के लिए बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण हासिल करना।
5. 80 प्रतिशत सांस्थानिक प्रसव और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रसव कराना।
6. ढेर सारे विकल्पों के साथ गर्भनिरोधकों के प्रयोग में वृद्धि करना।
7. जन्मों, मौतों, विवाहों और गर्भों का 100 प्रतिशत पंजीकरण प्राप्त करवाना।
8. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करना।
9. प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तरों को 2010 तक प्राप्त करने के लिए छोटे परिवार के मानदंड को प्रोत्साहित करना।
10. स्कूली शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य बनाना और प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में स्कूल छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को कम करना।
11. लड़कियों के विवाह देर से करने को बढ़ावा देना।
12. संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक ही स्थान से कार्यान्वित करना ताकि परिवार कल्याण कार्यक्रम लोक संकेन्द्रित कार्यक्रम बन सकें।

### रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां

**3625. श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर कानपुर और खीरी लखीमपुर में कितने लघु उद्योग हैं;

(ख) उद्योग-वार कितने लघु उद्योगों को रुग्ण घोषित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन उद्योगों का पुनर्वास/पुनरूद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31.3.2002 तक राज्य में तथा साथ ही साथ कानपुर और खीरी लखीमपुर में पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या क्रमशः 388849, 12434 और 5160 है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के आंकड़े संग्रहित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, मार्च 2001 के अंत तक उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 23117 रूग्ण इकाइयां थीं। इन रूग्ण इकाइयों का राज्यवार ब्रेक-अप केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(ग) सरकार के लघु उद्योग इकाइयों के मध्य रुग्णता की समस्या की पूरी जानकारी है और इसने संभाव्य रूप से जीवनक्षम रूग्ण इकाइयों की समय पर पहचान एवं पुनर्वास को सुविधाजनक बनाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं राज्य स्तरीय अंतर संस्थानिक समितियां (एस.एल.आई.आई.सीज़) के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास एकक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता विस्तारित करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस.एस. कोहली की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास के लिए संशोधित दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा, उनकी जीवनक्षमता के बारे में निर्णय लेने हेतु मानदंड इत्यादि में परिवर्तन शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश 16 जनवरी, 2002 को सभी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित कर दिए हैं।

## आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की खरीद

**3626. डा. बलिराम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों की खरीद हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(ख) दिल्ली में सी.जी.एच.एस. औषधालयों को दवाओं की आपूर्ति हेतु नियुक्त एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं:-

1. निविदा/दर पूछताछ आमंत्रित करके खरीद
2. भंडार में अनुपलब्ध दवाओं के लिए स्थानीय खरीद प्रणाली के जरिए खरीद
3. निविदा/दर पूछताछ आमंत्रित किए बिना खरीद (आई.एम.पी.सी.एल., भारत सरकार का उपक्रम द्वारा विनिर्मित दवाएं निविदा/दर पूछताछ के बिना ही खरीदी जा रही हैं क्योंकि आई.एम.पी.सी.एल. द्वारा विनिर्मित दवाओं की दरें प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती हैं।)

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत यूनानी दवाओं की खरीद हेतु अपनाई गई प्रक्रिया विवरण-I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/एककों को आयुर्वेदिक/यूनानी दवाओं की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित एजेन्सियां नियुक्त हैं:-

1. मै. आई.एम.पी.सी.एल. (भारत सरकार का उपक्रम)।
2. विवरण-II में दी गई सूची के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति के लिए पंजीकृत फर्में।
3. वर्ष 2000-01 में यूनानी दवाओं की आपूर्ति के लिए अनुमोदित फर्मों की सूची विवरण-III में दी गई है।
4. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की आपूर्ति के लिए नियुक्त अधिकृत स्थानीय केमिस्ट: मै. गोयल मेडिकल स्टोर, ग्रीन पार्क को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक और यूनानी औषधों/एककों के लिए इंडेन्ट करवाई गई दवाओं की आपूर्ति हेतु स्थानीय केमिस्ट नियुक्त किया गया। तथापि, दवाओं की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ इस केमिस्ट का ठेका निलंबित हो गया है क्योंकि निविदा दस्तावेज में केमिस्ट द्वारा उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा नहीं किया गया। इस संबंध में अन्य केमिस्ट से प्राप्त अभ्यावेदन और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में दायर की गई रिट याचिका को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है। मैसर्स गोयल मेडिकल स्टोर के बदले नए स्थानीय केमिस्ट नियुक्त करने के बारे में निर्णय यथासमय किया जाएगा।

### *विवरण-I*

*यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो में औषधों की खरीद की प्रक्रिया*

1. यूनानी औषधों की खरीद का पर्यवेक्षण निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अनुमोदित विधिवत गठित खरीद परामर्शदाता समिति द्वारा किया जाता है।

2. यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो को औषधों की पूर्ति करने हेतु फर्मों के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित शर्तों के अनुसार श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सारे भारत में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है।

3. खरीद परामर्शदाता समिति (यूनानी) द्वारा यूनानी फारमूलरी 2 वर्ष के लिए तैयार की जाती है तथा इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

4. खरीद परामर्शदाता समिति (यूनानी) पंजीकृत फर्मों को निविदा भेजने के लिए शर्तें संस्तुत करती है।

5. खरीद परामर्शदाता समिति (यूनानी) नमूनों को अनुमोदित करती है तथा आर/सी को 2 वर्ष के लिए अंतिम रूप देती है।

6. खरीद परामर्शदाता समिति (यूनानी) तीन वर्ष की खपत (उपयोग) के आधार पर फारमूलरी औषधों के प्रावधानों को तैयार करती है।

7. यूनानी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो पंजीकृत फर्मों एवं आई.एम.पी.सी.एल., मोहान, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, को आपूर्ति आदेश देते हैं।

आपूर्ति का निरीक्षण विधिवत गठित एवं अनुमोदित निरीक्षण समिति द्वारा किया जाता है। आपूर्ति की गई औषधों का आगनोलिपटिक विधि द्वारा अनुमोदित नमूनों की तुलना में निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

### *विवरण-II*

*वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के पंजीकृत फर्मों की सूची*

| क्रमांक | फर्म का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | मै. न्यू इंडिया फार्मास्युटिकल्स, सदर बाजार, हरदोई-1, उत्तर प्रदेश |
| 2. | मै. नारायण फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि. 48-अशोक नगर, भुवनेश्वर-9, जिला खुर्द, उड़ीसा |
| 3. | मै. अश्वनी फार्मास्युटिकल्स, सी-2, इंडस्ट्रीयल स्टेट, शामली-76, उ.प्र. |
| 4. | मै. प्रभात आयुर्वेदिक फार्मेसी, कटरा शेर सिंह, अमृतसर-1, पंजाब |
| 5. | मै. श्री धनवन्तरि आयुर्वेदिक फार्मेसी, 277, ईस्ट मोहन नगर, अमृतसर-6, पंजाब |
| 6. | मै. हिमाचल ड्रग फार्मा, बाजार गंदनवाला, अमृतसर-1, पंजाब |
| 7. | मै. कश्मीर आयुर्वेदिक वर्क्स स्ट्रीट नं. 2, पुतलीघर, अमृतसर, पंजाब |
| 8. | मै. हिमालय रिसर्च लैबोरेट्री लिंक रोड, जम्मू-1, जे एंड के |
| 9. | मै. कैलाश आयुर्वेदिक फार्मेसी (रजि.) प्रीत नगर, लाडोवाली रोड, जालंधर-1, पंजाब |
| 10. | मै. पटेलाड महल आरोग्य मंडल फार्मेसी, माई मंदिर रोड, नादियाड-2, गुजरात |
| 11. | मै. सीताराम आयुर्वेदिक फार्मेसी लि. III/475-ए, गांधी नगर, रोड पीओ नेडुपुझा, त्रिसूर-15, केरल |
| 12. | मै. पंचरिषी फार्मेसी, 169, श्रीनगर धन्वनतरि भवन, रेलवे रोड, हापुड़-1, गाजियाबाद, उ.प्र. |
| 13. | मै. मुल्तानी फार्मास्युटिकल्स लि. 283-बी, तेहखंड, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-I, नई दिल्ली-20 |
| 14. | मै. अमर केमिकल वर्क्स सी-2, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मुजफ्फर नगर-3, उत्तर प्रदेश |
| 15. | मै. रेनबो फार्मास्युटिकल्स, आठवां माइलस्टोन, देहरादून रोड, सहारनपुर-1, उ.प्र. |
| 16. | मै. गौरव फार्मास्युटिकल्स प्लाट सं. 7-8, नारायण कालोनी, बिहाइंड मंगोड़ीवालों की बगीची, ब्रह्मपुर-I, जयपुर-2, राजस्थान |
| 17. | मै. इकोनोमिकल हिन्दुस्तान लैबोरेट्री, नियर इंडस्ट्रीयल स्टेट, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उ.प्र. |
| 18. | मै. कुडोल लैबोरेट्री (इंडिया) 3231, नागिया एन्क्लेव, फेस-II, नेताजी सुभाष चौक, एनआईटी, फरीदाबाद |
| 19. | मै. डाबर इंडिया लि., कौशाम्बी, साहिबाबाद-10, गाजियाबाद, उ.प्र. |
| 20. | मै. प्रताप फार्मास्युटिकल्स, 19/772, इंदिरा नगर, लखनऊ-16, उ.प्र. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 21. | मै. गोविंद राम काहन चंद, बी-27, लारेंस रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली-35 |
| 22. | मै. यूनिवर्सल मेडिकामेंट प्रा.लि., यूनिवर्सल स्क्वायर, 545-शांति नगर, नागपुर-2, महाराष्ट्र |
| 23. | मै. श्रीकृष्ण फार्मेसी (प्रा.) लि., हाल बाजार, अमृतसर-1, पंजाब |
| 24. | (प्रा.) लि. एवरग्रीन इंडस्ट्रीयल स्टेट, डा. ई. मोस रोड, शक्ति मिल कंपाठन्ड, महालक्ष्मी, मुम्बई-11, महाराष्ट्र |
| 25. | मै. आर.के. फार्मेसी, जोगी नगर, रामा मंडी, पी.ओ. पीएपी लाइन, जालंधर-6, पंजाब |
| 26. | मै. कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड (प्रा.) लि. एवरग्रीन इंडस्ट्रीयल स्टेट, डा. ई. मोसेस रोड, शक्ति मिल कंपाउन्ड, महालक्ष्मी, मुम्बई-11, महाराष्ट्र लि., निर्माण भवन, डा. राज कुमार रोड, फस्ट ब्लाक, राजाजी नगर, बंगलौर-10, कर्नाटक |
| 27. | मै. वागभट्ट फार्मास्युटिकल्स, ई-7-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार-1, उत्तरांचल |
| 28. | मै. जनकल्याण आयुर्वेदिक फार्मेसी, ई-7, इंडस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार-1, उत्तरांचल |
| 29. | मै. विजय फार्मास्युटिकल्स वर्क्स खाटू श्यामजी, तहसील दंतराम गढ़, सीकर, खाटूश्यामजी-2, राजस्थान |
| 30. | मै. आइमील फार्मास्युटिकल्स (इं.) लि., 2994/4, स्ट्रीट नं. 17, रंजीत नगर, नई दिल्ली-8 |
| 31. | मै. अत्री फार्मास्युटिकल्स वर्क्स 17, चमन मार्डन, रेलवे रोड़, करनाल 1, हरियाणा |
| 32. | मै. शिवालिक फार्मास्युटिकल्स लक्कड़ बाजार, सोलन-12, हि.प्र. |
| 33. | मै. वैजनाथ फार्मास्युटिकल्स, विलेज एंड पी ओ पपरोला-15, कांगड़ा, हि.प्र. |
| 34. | मै. सिन्हा आयुर्वेदशाला, हाजीपुर, नियामतचक, गोरखपुर-1, उ.प्र. |
| 35. | मै. बायोटेक 67, न्यू राजा पार्क, राम गली नं. 7, आदर्श नगर, जयपुर-4, राजस्थान |
| 36. | मै. श्री धूपतेश्वर लि., 135, नानू भाई देसाई रोड, खेतवाड़ी, मुम्बई-4, महाराष्ट्र |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 37. | मै. हिमालय ड्रग कं., 22, महाकाली रोड, अंधेरी, मुंबई-93, महा. फैक्ट्री का पा: मकाली बंगलौर-23, कर्नाटक |
| 38. | मै. एसपीआईसी लि. (फार्मास्युटिकल डिवीजन), 88, माउंड रोड, गिंडी चैन्नई-32, तमिलनाडु |
| 39. | मै. राहुल फार्मा, 37-ए, फेस-III, इंडस्ट्रीयल एक्सटेंशन एरिया, गंगयाल, जम्मू-10, जे एंड के |
| 40. | मै. राम फार्मेसी, 111-ए/303, अशोक नगर, कानपुर-12, उ.प्र. |
| 41. | मै. शालीन फार्मास्युटिकल्स, 53 फेस-1, इंडस्ट्रीयल एरिया, पंचकुला-13, हरि. |
| 42. | मै. उपकरण फार्मास्युटिकल्स, फर्स्ट फ्लोर, 25, महाराणा प्रताप नगर, जोन-2, भोपाल-11, म.प्र. |
| 43. | मै. प्रदीप फार्मा, 52/53-ए, आजाद रोड, भरथाना-42, इटावा, उ.प्र. |
| 44. | मै. एवासा फार्मास्युटिकल्स 7-55, रोड नं. 2/1, मधुरापुरी कालोनी, दिलशुख नगर, हैदराबाद-60, आं.प्र. |
| 45. | मै. स्वास्तिक ड्रग फार्मा 211-212, जवाहर नगर, बटाला रोड, अमृतसर, पंजाब |
| 46. | मै. एन.ए.बी. फार्मास्युटिकल्स नं. 65, नांगलोई सैद, नई दिल्ली-87 |
| 47. | मै. आर्यवैद्य फार्मेसी (कोयम्बटूर) लि. 326, पेरूमल क्वायल स्ट्रीट, रामनाथ पुरम, कोयम्बटूर-45, तमिलनाडु |
| 48. | मै. सूर्या हर्बल लि. सी-33, सेक्टर-59, नोयडा-1, उ.प्र. |
| 49. | मै. गौड़ आयुर्वेदिक फार्मेसी वी एंड पी ओ धीघाट, जिला फरीदाबाद, हरियाणा |
| 50. | मै. देवभूमि आयुर्वेदिक फार्मेसी चंद्र लोक भवन, सन्नी साइड, सोलन-12, हि.प्र. |
| 51. | मै. गंगापुत्र फार्मास्युटिकल्स (इं.)वर्क्स, वि. एंड पी.ओ. जूलानी, जिंद-2, हरियाणा |
| 52. | मै. रिलायंस फार्मूलेश प्रा.लि., 201/202, आनंदमंगल-III, राजनगर, क्लब रोड, अहमदाबाद-6, गुजरात |
| 53. | मै. जे.पी.आर. फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) वर्क्स रेलवे रोड, जिंद-2, हरियाणा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 54. | मै. अमर फार्मास्युटिकल्स 555, साऊथ सिविल लाइन्स, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर-1, उ.प्र. |
| 55. | मै. गोल्डवाटर फार्मूलेशन (इंडिया) 229-ए, आदर्श नगर, जाजमऊ, कानपुर-10, उ.प्र. |
| 56. | मै. नवशक्ति आयुर्वेदालय प्रा.लि. 4960, आस्था भुजा देवी रोड, पी.ओ. बाक्स नं. 8, भुस्वाल-201 (म.प्र.), जिला जलगांव |
| 57. | मै. विन फार्मा 166, महावीर नगर, मेरठ (उत्तर प्रदेश) |
| 58. | मै. देश रक्षक औषधालय लि. कंखल-408, हरिद्वार (उत्तरांचल) |
| 59. | मै. बन लैब्स लि. डा. विक्रम साराभाई नगर, गंदल रोड, साउथ राजकोट-004 (जीयूजे) |
| 60. | मै. सूर्या फार्मेस्यूटिकल्स कृष्णा बाग, नगवा, वाराणसी-005 (उत्तर प्रदेश) |
| 61. | मै. हिमालय आयुर्वेद शुद्ध संस्थान 4/6, न्यु लाइन, राम नगर, नैनी-715 (उत्तरांचल) |
| 62. | मै. दि आयुर्वेदिक फार्मेस्यूटिकल्स कंपनी लि. जीएल-2, अंसल भवन, 16 कस्तूरबा मार्ग, नई दिल्ली-110001 |
| 63. | मै. दि फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन (आईएम) केरिया लि. शोमूर रोड, थिरिसूर-001 (केरल) |
| 64. | मै. वाईपनी हर्बल सी-97, एमजीडीसी, सेंट्रल रोड, हिंगाना, जिला, नागपुर-028 (महाराष्ट्र) |
| 65. | मै. यमुना फार्मेसी 51, इंडस्ट्रीयल स्टेट, फेस-1, यमुनानगर, 001 (हरियाणा) |
| 66. | मै. बीफा ड्रग लेबोरेटरी पोस्ट बाक्स नं. 30, कलेरिक्कल बाजार, कोट्टयम-001 (केरल) |
| 67. | मै. साइकेशव फार्मा प्रा.लि. 129/131, काजी सैयद स्ट्रीट, मुम्बई-003 (महाराष्ट्र) |
| 68. | मै. एसिस लेबोरेटरीज 1-एच-2, दवौली, पीओ उद्योग नगर, कानपुर-022 (उत्तर प्रदेश) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 69. | मै. विवेक रेमेडाइज बी-3/19, माडल डाउन 1, दिल्ली-009 |
| 70. | मै. योगमाया फार्मेसी शिल्ली रोड, सोलन-212 (हिमाचल प्रदेश) |
| 71. | मै. डेनजोंग लेबोरेटरीज प्रा.लि. मझीतर, रेंगपो, सिक्किम-132 |
| 72. | मै. इंडियन हर्ब्स रिसर्च एण्ड सप्लाई कं.लि. पो.बा. नं. 5, शारदा नगर, सहारनपुर-001 (उत्तर प्रदेश) |
| 73. | मै. रेनूला ड्रग लेबोरेटरीज प्रा.लि. प्लाट नं. 8, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, जी.टी. रोड, साहिबाबाद-005 जिला-गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) |
| 74. | मै. बलूम फार्मेस्यूटिकल्स विलेज नागवा, पी ओ जैतपुर, जिला-गोरखपुर-212 (उत्तर प्रदेश) |
| 75. | मै. जी फार्मा बिलासपुर-262201 (उत्तर प्रदेश) |
| 76. | मै. डी ए वी फार्मेसी महात्मा हंस मेग, जी.टी. रोड, जालंधर शहर (पंजाब) |
| 77. | मै. डोगरा ड्रग फार्मा, प्लाट नं. 29, इंडस्ट्रीयल एरिया, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) |
| 78. | मै. बमोतरा मेडिकोज 378/5, गोविंद पुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-19 |
| 79. | मै. मैकलिन लेबोरेटरीज डी-64/26बी, माधोपुर सिगरा, वाराणसी-010 (उत्तर प्रदेश) |
| 80. | मै. भारत आयुर्वेदिक फार्मेसी 1866, खारी बावली, दिल्ली-006 |
| 81. | मै. मुकेश फार्मेसी 61, शास्त्री नगर, सहारनपुर-001 (उत्तर प्रदेश) |
| 82. | मै. श्री वैद्यनाथ आयुर्वेदभवन 172, गुसेनपुरा, झांसी (उत्तर प्रदेश) |
| 83. | मै. एस.ए.एस. फार्मेस्यूटिकल्स बी-44 भारत नगर, न्यू फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली-065 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 84. | मै. गंगोत्री ड्रग्स चंडीगढ़ रोड, नजदीक आई टी आई, उकलाना-113 जिला हिसार (हरियाणा) |
| 85. | मै. इराम लैब. एच-2, लोकल शॉपिंग सेंटर, शकूरपुर, दिल्ली-034 |
| 86. | मै. कोमल फार्मेस्यूटिकल्स ग्राम उद्योग संस्थान, 599, इंदिरा कालोनी, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) |
| 87. | मै. झंडु फार्मेस्यूटिकल्स वर्क्स लि. 70, गोखले रोड, साउथ दादर, मुम्बई-025 (महाराष्ट्र) |
| 88. | मै. डोगरा काया कलाप सदन रजि. डोगरा बिल्डिंग, सर्कुलर रोड, जालंधर सिटी-008 (पंजाब) |
| 89. | मै. जीस्पी फार्मेस्यूटिकल्स ग्रामो उद्योग मंडल, तगारा कंगन (कालका)-302 जिला-पंचकुला (हरियाणा) |
| 90. | मै. यूनेस्को लेबोरेटरीज प्रा.लि. 9/42, शालीमार इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली |
| 91. | मै. हर्ब्स एण्ड हर्ब्स, बी-73-74, कलवार स्कीम, गोपाल बन, जयपुर-001 (राजस्थान) |
| 92. | मै. मैक्सो लेबोरेटरीज (प्रा.) लि. 115-ए, कमला नगर, दिल्ली-007 |
| 93. | मै. भूषण फार्मेस्यूटिकल प्रा.लि. 39/23, लेन नं. 15, समयपुर, दिल्ली-042 |
| 94. | मै. रोबिन हर्बल हेल्थ केयर प्रोडेक्टस, 7, माला कुलन मार्ग, कश्मीर एवेन्यू, अमृतसर (पंजाब) |
| 95. | मै. गोयल ग्रामो उद्योग संस्थान, 81, जवाहर नगर एक्सटेंशन, बेहेलीहेलापुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) |
| 96. | मै. रेजेंसी हबर्स रिवर लेन, पूतना साहिब-025 (हिमाचल प्रदेश) |
| 97. | मै. मंगलम अयूर भवन प्रा.लि. डी-22, चन्द्र नगर, गाजियाबाद-028 (उत्तर प्रदेश) |
| 98. | मै. आई.टी.एल.सी.ओ. फार्मेस्यूटिकल्स डिवीजन हबल जी.टी. रोड, कुण्डी-028-सोनीपत (हरियाणा) |
| 99. | मै. गैलेसी फार्मा 72/3, 5-ए, इंडस्ट्रीयल एरिया, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद-001 (उत्तर प्रदेश) |
| 100. | मै. बजरंग आयुर्वेद भवन नं. 4, श्याम बाजार, एम.एस. रोड, एनसी बाजार, गुवाहाटी-007 (उत्तर प्रदेश) |
| 101. | मै. हर्बल फार्मूलेशनस प्रा.लि. डीएन-32-6-18, वासुदेव राव स्ट्रीट, प्रजाशक्ति नगर, विजयवाड़ा-010 (आंध्र प्रदेश) |
| 102. | मै. बायो फार्मेस्यूटिकल्स मोहाला काजीवादा, शामली-776, जिला-मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) |
| 103. | मै. मेघा हबल हेल्थ केयर प्रा.लि., 1/13, अंजु प्रीमिसेस, तिलक रोड, सांताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-054 |
| 104. | मै. रेडिकुरा मेडिसिन इंडस्ट्रीस प्रा.लि., 217, फर्स्ट फ्लोर, जूलेना, ओखला रोड, नई दिल्ली-025 |
| 105. | मै. रानी ड्रग हाउस पी ओ नेल्लाई-305, त्रिचूर, जिला-केरल (केरल) |
| 106. | मै. लुपिन लि. 159, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताक्रुज (पूर्वी), मुम्बई-098 |
| 107. | मै. मंथन रिसर्च लेबोरेटरी, ए-1, शीतिया एन्कलेव, गुड़गांव-001 (हरियाणा) |
| 108. | मै. महेश्वरी फार्मेस्यूटिकल्स, ए-48/14, साइट फार साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया, नीयर साहिबाबाद रेलवे स्टेशन, साहिबाबाद, गाजियाबाद-010 (उत्तर प्रदेश) |
| 109. | मै. जे. एण्ड जे डीकैन लेबोरेटरीज प्रा.लि. 4-1-324, रेजिडेंसी रोड, तरोप बाजार, हैदराबाद-001 (आंध्र प्रदेश) |
| 110. | मै. आयुर्वेद रसशाला पुणे 25, कारवे रोड, पुणे (महाराष्ट्र) |
| 111. | मै. शरंगधार फार्मेस्यूटिकल्स प्रा.लि. 26/3ए/13, कोंधवा तिनी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कोंधवा इन बुदरूक, पुणे-048 (महाराष्ट्र) |
| 112. | मै. बी.एच.सी., आयुर्वेदिक रिसर्च लेबोरेटरी प्रा.लि. 91/2, डीआईसी इंडस्ट्रीयल एरिया, बद्दी, जिला-सोलन (हिमाचल प्रदेश) |
| 113. | मै. जगदम्बा आयुर्वेदिक फार्मेसी ई-65/66,इंडस्ट्रीयल एरिया, हरिद्वार-401 (उत्तरांचल) |
| 114. | मै. इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लि. जिला-मोहन, अल्मोड़ा, वाया राम नगर, उत्तरांचल-715 |
| | कुल संख्या रजिस्टर्ड फर्मस - 114 |

*विवरण-III*

*ऐसी फर्मों की सूची जिन्हें वर्ष 2000-2002 के लिए नई दिल्ली के सी.जी.एच.एस. तथा दिल्ली के बाहर यूनानी दवाइयों की आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है*

| क्र.सं. | फर्म का नाम | पता |
|---|---|---|
| 1. | मै. शिमला फार्मेसी | 19-4-418, बहादुरपारा, हैदराबाद-294 (आ.प्र.) |
| 2. | मै. इसलाही ड्रग हाऊस | 75-सी, हमीद बिल्डिंग, मौलाना आजाद रोड, मुम्बई-70 |
| 3. | मै. मेदीहरब फार्मा | 3-4-223/107, काचीगुदा, हैदराबाद-27 |
| 4. | मै. इराम लेब्स | एच-2, लोकल शापिंग सेंटर, शकूर पुर, दिल्ली-34 |
| 5. | मै. विन फार्मा | 166, महावीर नगर, मेरठ |
| 6. | मै. टी और टी ड्रग लैब. | पी ओ जंगलिया रोड, जिला गोपालगंज, पिन-428 (बिहार) |
| 7. | मै. ड्रग लेबोरेट्रीज | डी-2/1, जैदी नगर, सोसाइटी, जैदी फर्म, मेरठ-250002 |
| 8. | मै. रैक्स (यू एण्ड ए) रेमेडाइज प्रा.लि. | ए-51/1, जीटी करनाल रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-33 |
| 9. | मै. इसलाही लेबोरेट्रीज | व्यू टावर, जी-2-1/बी/ई-7, आपोजिट अयोध्या होटल, लकड़ी का पुल, हैदराबाद |
| 10. | मै. अहमद और कम्पनी | गुजजार हौज, हैदराबाद-2 (आं.प्र.) |
| 11. | मै. अमर फार्मेस्यूटिकल्स | शेरोन वाली कोठी, 555, साउथ सिविल लाइन्स, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर-251001 |
| 12. | मै. बेरलिन यूनानी फार्मेसी | 261, खुरेजी खास, दिल्ली-51 |
| 13. | मै. ए.जे. लेबोरेट्री | 173-डी-गली नं. 2, पप्पू कालोनी, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद, यूपी |
| 14. | मै. सदर दवाखाना | 885, कटरा हिन्दू फ्रास खाना, दिल्ली-6 |
| 15. | मै. जीपीआर फार्मेस्यूटिकल्स (इंडिया) वर्क्स | विपरित आर्य समाज मंदिर, रेलवे रोड, जींद-126103 |
| 16. | मै. दि यूनानी और कं. | 930, कुचा रूहुल्लाह खान, तिरहा, बेहरम खान, दरियागंज, नई दिल्ली-2 |
| 17. | मै. न्यू केपिटल दवाखाना | टी-1697, गली बिश्वेस्वर नाथ, मलका गंज रोड, सब्जी मंडी, पीओ बा.नं. 1157, नई दिल्ली-7 |
| 18. | मै. सदर लेबोरेट्रीज | 606, फकरूल्लाह स्ट्रीट, जीबी रोड, दिल्ली-6 |
| 19. | मै. यूनानी प्रोडेक्टस | 1036-बी, मदरसा हुसैन बाक्स स्ट्रीट, जामा मस्जिद, दिल्ली-6 |
| 20. | मै. तिब्बत फार्मेसी | 2496, फाटक हब्स खान, दिल्ली-6 |

## उपकरणों की खरीद

**3627. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तत्कालीन दूरसंचार परिचालन विभाग (डी.टी.ओ.) ने विशाल (एल) और अतिरिक्त विशाल (एक्स एल) एक्सचेंजों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी (एम.एन.सी.) को 549.4 करोड़ रुपए का क्रय आदेश दिया है जबकि ये अपने ही देश में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) जी, नहीं। दूरसंचार प्रचालन विभाग (डी.टी.ओ.) ने ऐसा कोई क्रय आदेश नहीं दिया है। तथापि दूरसंचार प्रचालन विभाग द्वारा नई प्रौद्योगिकी के टेलीफोन एक्सचेंजों की 2.045 मिलियन लाइनों के प्रापण हेतु 18.8.2000 को एक निविदा खोली गई। परंतु इस निविदा के प्रति क्रय आदेश संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा जनवरी, 2001 में जारी किए गए। उपस्कर देश में ही प्राप्त हो गया।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## चिकित्सा व्ययों के प्रतिपूर्ति प्रभार

**3628. श्री उत्तम राव ढिकले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए अपोलो अस्पताल को छोड़कर सभी निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए चिकित्सा व्ययों के प्रतिपूर्ति प्रभारों को संशोधित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से और किन परिस्थितियों के अधीन अपोलो अस्पताल की दरों को संशोधित नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार का अपोलो अस्पताल में हुए खर्च के प्रतिपूर्ति प्रभारों को संशोधित करने, ताकि अपोलो अस्पताल में उपचार कराने वाले सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को संशोधित दरों पर प्रतिपूर्ति मिल सके, के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 2.8.2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. रेक-24/2001/जे.डी. (एम)/सीजीएचएस/दिल्ली/सीजीएचएस (पी) विवरण के रूप में संलग्न के तहत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत अब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के उपचार के लिए इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, मथुरा रोड, नई दिल्ली-44 को मान्यता दी जा चुकी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

### *विवरण*

*मि.सं. रेक-24/2001/जे डी (एम)/सी जी एच एस/दिल्ली/*
*सी जी एच एस (पी)*
*भारत सरकार*
*स्वास्थ्य एवं सपरिवार कल्याण मंत्रालय*
*(स्वास्थ्य विभाग)*

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 2 अगस्त, 2002

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय :** केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत विशिष्टीकृत और सामान्य प्रयोजन उपचार और नैदानिक क्रियाविधियों के लिए निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देना और पैकेज/सीमा दरों के नियतन के बारे में।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी के दिनांक 7.9.2001, 15.3.2002, 6.5.2002 और 14.5.2002 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों का हवाला देने का निदेश हुआ है जिनमें के.स.स्वा. योजना, दिल्ली के अन्तर्गत निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों को मान्यता दी गई थी।

2. इस संबंध में दिनांक 7.9.2001 के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों में निम्नलिखित बातें जोड़ी/संशोधित की जा रही है।

3. सभी रेडियोलाजिकल जांचों और न्यूकलीयर औषधों, लेप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सा, डायलेसिस, यूरोलाजी, अंग प्रत्यारोपण (वृक्क, जिगर) लिथोट्रिप्सी, हड्डी के जोड़ों को बदलने, विकिरण चिकित्सा, हृदयरोग विज्ञान, कार्डियक शल्य चिकित्सा, कार्डियो थोरेसिक, वास्कूलर शल्यचिकित्सा के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता बिहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 को मान्यता दी जाती है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू हो जाएंगे।

4. दिनांक 3.9.2001 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दी गई अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

5. इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(ए.के. झा)

1. भारत के सभी मंत्रालय/विभाग
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
3. निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
4. सभी अपर/संयुक्त/उपनिदेशक, के.स.स्वा.यो. (पते की सूची के अनुसार)
5. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
9. श्री यू.एम. पुरोहित, सचिव, कर्मचारी पक्ष, 14 सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-1
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क
11. 11 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2
12. फोल्डर के लिए प्रति।

## पारादीप पत्तन न्यास को वित्तीय सहायता

3629. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन न्यास को चक्रवात के कारण हुई सम्पत्ति की क्षति की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो पारादीप पत्तन न्यास को कुल कितनी राशि दी गई है और इसे राहत तथा चक्रवात से हुई क्षति की मरम्मत के लिए अन्य स्रोतों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की पुष्टि कर ली है कि दी गई राशि चक्रवात के पश्चात् पता लगाई गई क्षति की मरम्मत के लिए खर्च की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा पारादीप पत्तन न्यास को चक्रवात के कारण हुई सम्पत्ति की क्षति की मरम्मत के लिए 68.50 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है।

(ग) चक्रवात के कारण हुई क्षति की मरम्मत के व्यय की महालेखाकार का कार्यालय, उड़ीसा द्वारा समय-समय पर लेखा-परीक्षा की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## अधिक बिलिंग

3630. **श्री रामजी मांझी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में टेलीफोन बिलों की अधिक बिलिंग की राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन बिलों की अधिक बिलिंग की सर्किल-वार प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या विवरण में दी गई है। भारत संचार निगम लि. के मामले में जारी किए गए बिलों की संख्या के सन्दर्भ में ऐसी शिकायतों का प्रतिशत वर्ष 2001-2002 के दौरान 0.14 प्रतिशत से घटकर वास्तव में 0.09 प्रतिशत हो गया है तथा महानगर टेलीफोन निगम लि. के मामले में उसी अवधि के दौरान 0.18 से घटकर 0.13 प्रतिशत हो गया है।

(ख) इस संबंध में निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:-

(1) जांच आदि करते समय अधिक मीटरिंग का कारण बनने वाले टेलीफोन दोषों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।

(2) टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदला गया है। इससे अधिक मीटरिंग की संभावनाएं न्यूनतम हो गई हैं।

(3) अधिकांश उपभोक्ताओं को डायनैमिक एस.टी.डी./ आई.एस.डी. लाकिंग सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार से वे अपने परिसरों से की जाने वाली कॉलों का नियंत्रण एक ऐसे गुप्त कोड के संचालन द्वारा कर सकते हैं जिसकी जानकारी केवल उन्हें ही है।

*विवरण*

| सर्किल का नाम | पिछले तीन वर्षों के दौरान 1999-2000 से 2001-2002 तक प्राप्त अधिक बिलिंग की शिकायतें |
|---|---|
| 1 | 2 |
| अंडमान और निकोबार | 198 |
| आंध्र प्रदेश | 46870 |
| असम | 19794 |
| बिहार | 12866 |
| झारखंड | 1134 |
| गुजरात | 38691 |
| हरियाणा | 13209 |
| हिमाचल प्रदेश | 9354 |
| जम्मू और कश्मीर | 4832 |
| कर्नाटक | 36855 |
| केरल | 29365 |
| मध्य प्रदेश | 29943 |
| छत्तीसगढ़ | 1144 |
| महाराष्ट्र | 49066 |
| उत्तर पूर्व-I | 5969 |
| उत्तर पूर्व-II | 1919 |
| उड़ीसा | 22741 |
| पंजाब | 21732 |
| राजस्थान | 20722 |
| तमिलनाडु | 39103 |
| उत्तर प्रदेश | 32168 |
| उत्तरांचल | 533 |
| पश्चिम बंगाल | 36093 |
| एमटीएनएल मुम्बई | 70143 |
| एमटीएनएल दिल्ली | 54640 |

*[हिन्दी]*

**अप्रवासी भारतीयों का प्रत्यर्पण**

**3631. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 14 अप्रवासी भारतीयों के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को धन प्रदान करने में कथित रूप से शामिल होने के कारण, उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की सरकार को उनकी सूची प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर ब्रिटेन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**दूरभाष केन्द्र**

**3632. श्री जय प्रकाश :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उत्तर प्रदेश में विशेषकर हरदोई जिले में कितने ग्रामीण दूरभाष केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या हरदोई जिले में ग्रामीण दूरभाष केन्द्र की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा-इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 2262 और हरदोई जिले में कार्य कर रहे ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 25 है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। हरदोई जिले में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त है। तथापि, भविष्य में होने वाली मांग की पूर्ति हेतु, गोनी गोंडवा, दलेल नगर, भारखानी और आलमनगर में चार नये ग्रामीण एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा प्रत्येक 500 लाइनों की क्षमता वाले छह डब्ल्यूएलएल आधारित पारेषण स्टेशन हरदोई, माधवगंज, साहाबाद, सांदी, बघौली और संडीला में संस्थापित किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

### आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्रीस्तरीय बैठक

**3633. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री अशोक ना. मोहोल :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्रीस्तरीय बैठक 30 जुलाई, 2002 को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बैठक में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत आसियान देशों का समर्थन प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल हुआ है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) जी, हां। क्षेत्रीय मंच की नौवीं वार्षिक मंत्रिमंडलीय बैठक का आयोजन 30-31 जुलाई, 2002 के बीच ब्रुनेई में किया गया।

(ख) से (घ) दक्षिण एशिया की परिस्थिति के भारत के प्रस्तुतिकरण में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा जारी सीमा-पार के आतंकवाद के प्रायोजन और उसे स्थायी और स्पष्ट रूप से समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक के समापन पर जारी अध्यक्ष के वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया कि आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रियों ने दक्षिण एशिया की स्थिति में तनाव को कम करने के लिए अनिवार्य कदम के तौर पर इस क्षेत्र में सभी आतंकवादी गतिविधियों को तत्काल समाप्त करने को कहा है। ''मंत्रियों ने पाकिस्तान से आतंकवादी विरोधी कार्यवाही करने की अपनी प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल आगे की कार्यवाही करने की गुजारिश की, जो भारत के साथ दोबारा वार्ता आरंभ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।''

### आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में भारत-अमरीका समूह की बैठक

**3634. श्री राम मोहन गाड्डे :**
**डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में भारत-अमरीका संयुक्त कार्य समूह का जनवरी, 2000 में गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इसके द्वारा कितनी बैठक की गयी हैं;

(ग) किन मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) और (ख) जी हां। आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बद्ध भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल की जनवरी, 2000 में इसकी स्थापना के बाद पांच बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम बैठक 11-12 जुलाई, 2002 को हुई थी।

(ग) दोनों पक्ष दक्षिण एशिया सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की स्थिति का साझा मूल्यांकन करते है, आसूचना आदान-प्रदान, जांच तथा आतंकवाद से लड़ने के लिए उपचारी, सुरक्षात्मक और परिणाम प्रबंधन पहलुओं पर क्षमता निर्माण में सहयोग के तौर-तरीकों पर चर्चा करते हैं और आतंकवाद का मुकाबला करने में बहुपक्षीय प्रयासों को सुदृढ़ करने के संबंध में विचार-विमर्श करते हैं।

(घ) संयुक्त कार्य दल की बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की स्थिति पर आपसी समझ बूझ बढ़ाने, आसूचना और जांच सहयोग सुदृढ़ करने, भारतीय कानून प्रत्यावर्तन अधिकारियों के लिए आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करने, आतंकवाद से लड़ने के लिए क्षमता निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग

कार्यक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों की शुरूआत करने, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने में विचारों और प्रयासों में बेहतर समन्वय करने और एक-दूसरे से संबंधित आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करना बढ़ा है।

### टेलीफोन डायरेक्टरी

**3635. श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन डायरेक्टरी की तर्ज पर सभी महानगरों के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी हेतु काम्पैक्ट डिस्क तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ):** (क) और (ख) दिल्ली और मुंबई टेलीफोन जिले के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा पहले ही टेलीफोन डायरेक्टरी हेतु कॉमपैक्ट डिस्क (सीडी) उपलब्ध है। जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड में कई शहरों के लिए सीडी टेलीफोन डायरेक्टरी हैं, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुरूप अखिल भारतीय आधार पर एकल सीडी रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

### स्वास्थ्य योजनाएं

**3636. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में लागू की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए कितना आबंटन किया गया है और राज्य सरकार द्वारा कितनी निधियों का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में उड़ीसा सरकार से नई स्वास्थ्य योजनाएं मंजूरी और अनुदान/सहायता के लिए प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) और (ख) सरकार मलेरिया, क्षय रोग, दृष्टिहीनता, कुष्ठरोग और एड्स जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में उड़ीसा को किए गए आबंटन/रिलीज और राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए उड़ीसा राज्य में विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना सितम्बर, 1998 से 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है जिसका परिव्यय 415.57 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) एस.एस.बी. मेडिकल कालेज, कटक और एम.के.सी.जी. मेडिकल कालेज, बहरामपुर में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ऐसी स्कीमें उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है। राज्य सरकार से इस बारे में अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

### *विवरण*

*प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत उड़ीसा में आबंटित/ रिलीज की गई निधियां और किए गए खर्च*

(रुपये लाख में)

| रोग नियंत्रण कार्यक्रम | 1999-2000 | | 2000-01 | | 2001-02 | | 2002-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आ./रि. | व्यय | आ./रि. | व्यय | आ./रि. | व्यय | आ./रि. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| मलेरिया* | 329.67 | 436.17 | 280.43 | 547.64 | 557.34 | 824.12 | 122.43 |
| क्षयरोग | 325.38 | 329.52 | 455.89 | 955.79 | 600.00 | 528.04 | 450.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दृष्टिहीनता** | 420.25 | 782.43 | 1107.00 | 1110.26 | 300.00 | 218.87 | 310.00 |
| कुष्ठ | 581.09 | 401.59 | 628.00 | 393.55 | 540.77 | उपलब्ध नहीं | 50.00+ |
| एड्स | 200.00 | 34.47 | 408.50 | 236.20 | 565.00 | 171.25 | 213.00+ |

*बाह्य सहायता प्राप्त घटक को छोड़कर

**सामग्रीगत अनुदानों को छोड़कर

+अब तक की गई रिलीज को दर्शाता है।

आ./रि.-आबंटन/रिलीज

## भारत-कजाकिस्तान संबंध

**3637. श्रीमती श्यामा सिंह :**
**डा. रमेश चंद तोमर :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कजाकिस्तान ने हाल ही में कई द्विपक्षीय सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सौदों के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ हो रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) जी हां। घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, भेषज और रक्षा सहित अनेक क्षेत्रों की पहचान की गयी।

(ख) 2-5 जून, 2002 तक माननीय प्रधान मंत्री की कजाकिस्तान यात्रा के दौरान निम्नलिखित द्विपक्षीय करार संपन्न किये गये:

(1) अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अन्य अपराधों का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल के गठन से संबद्ध करार।

(2) सैन्य-तकनीकी सहयोग से संबद्ध समझौता-ज्ञापन।

(3) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।

(ग) दोनों देश आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हाल के उपाय इस दिशा में हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। इन क्षेत्रों में हमारे संवर्द्धित सहयोग से हमारे संबंध सुदृढ़ होंगे।

## एड्स जागरूकता अभियान

**3638. श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान एड्स संबंधी विभिन्न जागरूकता अभियानों पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है और वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ख) एच.आई.वी. के लिए एलिसा परीक्षण करवाने के लिए सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति कितना औसत व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सिरिंज और सुई मुफ्त या लागत मूल्य पर उपलब्ध कराने का है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा एड्स पर विभिन्न जागरूकता अभियान चलाने पर खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है:

| वर्ष | रुपए करोड़ में |
|---|---|
| 1999-2000 | 63.47 |
| 2000-2001 | 62.19 |
| 2001-2002 | 74.13 |
| 2002-2003 | 85.89 |

(ख) एच.आई.वी. का पता लगाने के लिए किए जाने वाले एलिसा टेस्ट का औसत खर्च लगभग 20 रुपए है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को मुफ्त अथवा लागत मूल्य पर सिरिंजें और सुइयां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**औषधियों की खरीद के लिए मानदण्ड**

3639. **श्री सुनील खां** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं द्वारा औषधियों की खरीद से संबंधित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सूची में सम्मिलित होने के लिए किसी कम्पनी का वार्षिक कारोबार कम से कम 12 करोड़ अवश्य होना चाहिए;

(ग) क्या मंत्रालय की अद्यतन औषधियों की सूची में उन कंपनियों का भी नाम है जिनका विनिर्दिष्ट कारोबार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सूची में शामिल उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का मास्टर प्लान**

3640. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स ने "पुन: विकास योजना 2025" नामक एक व्यापक मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का अनुमानित बजट क्या है;

(ग) यह योजना किस प्रकार एम्स के कार्यकरण में सुधार लाएगी; और

(घ) और अधिक संवेदनशीलता से जनता की सेवा करने के लिए एम्स के कर्मचारियों को कार्मिक प्रशिक्षण देने हेतु क्या विशेष कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा)**: (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिल्ली शहरी कला आयोग को व्यापक "पुनर्विकास योजना-2025" प्रस्तुत की है। परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होने की आशा है। इस परियोजना पर अभी सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है। चूंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की सुविधाओं का उपयोग निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा अधिक किया जाता है, इसलिए विभिन्न सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रस्तावित परियोजना से निर्धन और मध्यम वर्गों को लाभ होगा। मानव संसाधन विकास एक सतत प्रक्रिया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों को समय-समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित कर्मचारियों में अधिक संवेदनशीलता पाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे।

**दसवीं योजना में वृद्धि कर**

3641. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कोई योजना शुरु की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में दसवीं योजना अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत विकास दर 8 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

(ख) दसवीं योजना तैयार की जा रही है।

**वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल)**

3642. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने डब्ल्यूएलएल आधारित वीपीटी कार्यरत हैं;

(ख) अब तक कितने गांव इसमें शामिल नहीं किए गए और डब्ल्यू.एल.एल. आधारित वीपीटी की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) सभी गांवों को वीपीटी के अन्तर्गत कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ):** (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 30.6.02 की स्थिति के अनुसार देश भर में 104755 गांव ऐसे हैं जहां अभी उक्त सुविधा प्रदान की जानी है। डब्ल्यूएलएल आधारित प्रौद्योगिकी का चयन उन स्थानों के लिए किया जाता है जहां पारम्परिक भू-लाइन बिछाना वाणिज्यिक/वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है तथा जो दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ग) आशा है कि वर्ष 2002 के अन्त तक सभी गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

*विवरण*

*डब्ल्यूएलएल आधारित टेलीफोनों की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | सर्किल | 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान किए गए | 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार पी.बी.एस.ओ. द्वारा प्रदान किए गए |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंदमान और निकोबार द्वीप | 0 | - |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 0 | - |
| 3. | असम | 2,381 | - |
| 4. | बिहार | 21239 | - |
| 5. | झारखंड | 18509 | - |
| 6. | गुजरात | 0 | शून्य |
| 7. | हरियाणा | 0 | - |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1,880 | - |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 0 | - |
| 10. | कर्नाटक | 0 | - |
| 11. | केरल | 0 | - |
| 12. | मध्य प्रदेश | 126 | 348 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 3,409 | - |
| 14. | महाराष्ट्र | 0 | 318 |
| 15. | उत्तर पूर्व-I | 324 | - |
| 16. | उत्तर पूर्व-II | 164 | - |
| 17. | उड़ीसा | 12874 | - |
| 18. | पंजाब | 0 | 436 |
| 19. | राजस्थान | 0 | 312 |
| 20. | तमिलनाडु | 35 | - |
| 21. | उत्तर प्रदेश पूर्व | 13223 | - |
| 22. | उत्तर प्रदेश पश्चिम | 1,740 | - |
| 23. | उत्तरांचल | 2769 | |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 10852 | |
| 25. | कलकत्ता | 53 | - |
| 26. | दिल्ली | 0 | - |
| | जोड़ | 89,578 | 1414 |

बीएसएनएल-भारत संचार निगम लिमिटेड
पीबीएसओ-प्राइवेट बेसिक सर्विस आपरेटर

**पत्तनों को गहरा करना**

**3643. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय पत्तनों को इतना गहरा बनाने पर विचार कर रही है जिससे 'स्वेजमैक्स' जहात तेल सहित आ सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत ने किन पत्तनों पर 'स्वेजमैक्स' आकार के जहाज पूरे भार समेत बिना कठिनाई के आ सकते हैं;

(घ) क्या पूर्वी तट पर स्थित सभी पत्तनों को इतना गहरा बनाने की कोई योजना है जिन पर इस प्रकार के बड़े जहाज आ सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सु. तिरूनावुकरसर ):** (क) और (ख) सरकार का बड़े आकार के पोतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संसाधनों की उपलब्धता और यातायात की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए महापत्तनों में डुबाव को सुधारने का प्रयास है। चेन्नई पत्तन, विशाखापत्तनम और वडिनार

जोकि कांडला पत्तन का एक अपतटीय तेल टर्मिनल है, तेल भार के साथ ''स्वेजमैक्स'' जलयानों को हैंडल कर सकते हैं।

(ग) चेन्नई पत्तन और विशाखापत्तनम पूरे भार के साथ ''स्वेजमैक्स'' आकार के पोतों को बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कांडला पत्तन का वडिनार क्षेत्र बिना किसी कठिनाई के ''स्वेजमैक्स'' टैंकरों को हैंडल कर सकता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**''परमिट'' प्रजनन और अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय केन्द्र**

**3644. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
**श्री के. येरननायडू :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद में 'परमिट' प्रजनन और अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 'परमिट' प्रजनन और अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस केन्द्र के लिए समुचित भूमि आबंटित करने और इस संबंध में सभी संभव सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है।

(ग) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद के माध्यम से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार के विचारार्थ इस परमिट प्रजनन और अनुसंधान केन्द्र के बारे में एक व्यापक प्रस्ताव तैयार कर रही है।

**कुवैत में फंसे भारतीय**

**3645. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई भारतीय कुवैत में फंसे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें वापस लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) इस समय कोई भी भारतीय कुवैत में नहीं फंसा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ( एमपीलैड्स ) के लिए धनराशि में वृद्धि**

**3646. श्री पी.डी. एलानगोवन :**
**श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :**
**श्री पी. राजेन्द्रन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एमपीलैड्स के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि को 2 करोड़ रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. प्रतिवर्ष किए जाने हेतु सांसदों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों में एमपीलैड्स योजना में धनराशि के उपयोग का राज्यवार प्रतिशत कितना है?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री विजय गोयल ):** (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वार्षिक आबंटन को 2 करोड़ रु. प्रति सांसद के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 4/5 करोड़ रु. प्रति सांसद करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उच्चतर आबंटन का अनुरोध निर्वाचन क्षेत्र के आकार, मतदाताओं की संख्या स्थानीय आवश्यकताओं के महत्व तथा ऐसी ही योजनाओं के अंतर्गत विधायकों के बढ़ाए गए आबंटन के आधार पर भी किया गया है।

(ग) संसाधनों के अवरोध के कारण इन अनुरोधों को मान लेना संभव नहीं है।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

*विवरण*

*सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रारंभ होने से 31.7.2002 तक उसके अंतर्गत निधियों का अवमोचन/व्यय (लाख रु. में)*

| क्र.सं. | राज्य | भारत सरकार द्वारा जारी (रु. लाख में) | स्वीकृत राशि (रु. लाख में) | अवमोचित निधि पर स्वीकृत का प्रतिशत | किया गया व्यय (रु. लाख में) | अवमोचित निधि के उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | नामित | 12100 | 10567.5 | 87.3 | 8386.3 | 69.3 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 79395 | 74906.7 | 94.3 | 59623.5 | 75.1 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 4015 | 3690.8 | 91.9 | 3475.8 | 86.6 |
| 4. | असम | 25755 | 22989.1 | 89.3 | 20033.6 | 77.8 |
| 5. | बिहार | 72535 | 67265.0 | 92.7 | 52872.3 | 72.9 |
| 6. | गोवा | 3315 | 3019.2 | 91.1 | 2387.5 | 72.0 |
| 7. | गुजरात | 44635 | 41229.1 | 92.4 | 32517.4 | 72.9 |
| 8. | हरियाणा | 18925 | 17511.7 | 92.5 | 15548.4 | 82.2 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 8635 | 7714.4 | 89.3 | 7053.0 | 81.7 |
| 10. | जम्मू-कश्मीर | 9050 | 8250.7 | 91.2 | 5647.2 | 62.4 |
| 11. | कर्नाटक | 50900 | 46555.2 | 91.5 | 38993.7 | 76.6 |
| 12. | केरल | 36395 | 33903.8 | 93.2 | 22614.7 | 62.1 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 52660 | 48725.3 | 92.5 | 41652.8 | 79.1 |
| 14. | महाराष्ट्र | 83775 | 78642.1 | 93.9 | 58172.5 | 69.4 |
| 15. | मणिपुर | 3715 | 3444.5 | 92.7 | 3055.5 | 82.2 |
| 16. | मेघालय | 3515 | 3144.1 | 89.4 | 3088.6 | 87.9 |
| 17. | मिजोरम | 2710 | 2613.2 | 96.4 | 2613.2 | 96.4 |
| 18. | नागालैंड | 2610 | 2410.0 | 92.3 | 2410.0 | 92.3 |
| 19. | उड़ीसा | 39400 | 35895.6 | 91.1 | 25146.6 | 63.8 |
| 20. | पंजाब | 23605 | 21792.1 | 92.3 | 16077.0 | 68.1 |
| 21. | राजस्थान | 45225 | 42528.6 | 94.0 | 36114.4 | 79.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | सिक्किम | 2610 | 2430.5 | 93.1 | 1937.7 | 74.2 |
| 23. | तमिलनाडु | 74335 | 69641.2 | 93.7 | 62927.8 | 84.7 |
| 24. | त्रिपुरा | 3815 | 3512.4 | 92.1 | 2408.9 | 63.1 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 141570 | 131081.8 | 92.6 | 109941.2 | 77.7 |
| 26. | पश्चिमी बंगाल | 66285 | 60705.4 | 91.6 | 41977.7 | 63.3 |
| 27. | अंदमान और निकोबार | 1205 | 1154.1 | 95.8 | 689.1 | 57.2 |
| 28. | चंडीगढ़ | 1005 | 973.1 | 96.8 | 612.4 | 60.9 |
| 29. | दादरा और नागर हवेली | 1305 | 1273.0 | 97.5 | 992.3 | 76.0 |
| 30. | दमण और दीव | 1305 | 1171.6 | 89.8 | 1171.6 | 89.8 |
| 31. | दिल्ली | 11195 | 10511.3 | 93.9 | 8500.3 | 75.9 |
| 32. | लक्षद्वीप | 905 | 843.7 | 93.2 | 843.7 | 93.2 |
| 33. | पांडिचेरी | 2710 | 2788.4 | 102.9 | 1906.2 | 70.3 |
| 34. | छत्तीसगढ़ | 19065 | 17526.2 | 91.9 | 14405.4 | 75.0 |
| 35. | उत्तरांचल | 8525 | 7669.4 | 90.0 | 6167.3 | 72.3 |
| 36. | झारखंड | 19375 | 17606.8 | 90.9 | 13372.1 | 69.0 |
| | कुल | 978080 | 905687.6 | 92.6% | 725337.9 | 74.2% |

**प्रयोगोपरांत स्वयं नष्ट हो जाने वाली सिरिंज**

3647. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन-यूनीसेफ-यूएन एफ पीए द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य जिसमें सभी देशों को वर्ष 2003 तक प्रयोगोपरांत स्वयं नष्ट हो जाने वाली सिरिंज (एडी) को अपनाए जाने का अनुरोध किया गया था, को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सुई लगाने संबंधी पद्धति के लिए एक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की सिरिंजों के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) से (घ) सभी इंजेक्शनों के लिए ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजों के प्रयोग को अनिवार्य बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन-यूनीसेफ-यू.एन.एफ.पी.ए. की सलाह पर व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 शहरों और 32 जिलों में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के सम्बन्ध में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत इंजेक्शन से दी जाने वाली वैक्सीन ऑटो-डिस्पोजेवल सिरिजों से दी जाएगी।

**भारतीय महावाणिज्यदूत को वापस बुलाना**

3648. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में टोरंटों स्थित भारतीय महावाणिज्यदूत को वापस बुला लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**टेलीफोन सेवाएं**

**3649. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002 की जनवरी से आज तक उत्तर प्रदेश में विशेषत: खीरी (लखीमपुर) जिले में उन स्थानों की संख्या कितनी है जहां एसटीडी और स्थानीय दूरभाष सेवाएं बाधित रही हैं;

(ख) दूरभाष सेवाओं में बाधा आने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में बेहतर दूरभाष सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ):** (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में विशेषकर खीरी जिले (लखीमपुर) में उक्त अवधि के दौरान एसटीडी और स्थानीय टेलीफोन सेवाएं सामान्यत: सन्तोषजनक रहीं। तथापि, 14.1.2002 से घटे हुए एसटीडी टैरिफ के लागू होने से ट्रैफिक में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण प्रारंभ में कुछ रूटों पर ट्रैफिक संकुलता बढ़ गई थी। अधिकांश संकुलित रूटों पर जंक्शनों में वृद्धि हो जाने पर स्थिति बेहतर हो गई है। लखीमपुर खीरी में एसटीडी सेवाओं में और सुधार करने के लिए जंक्शनों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से, इस वित्त वर्ष में जिले में 5000 जंक्शन क्षमता के नई प्रौद्योगिकी के ट्रंक आटोमैटिक (टीएएक्स) और ओएफसी मीडिया में वृद्धि की योजना बनाई गई है।

(ग) राज्य में बेहतर टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

(1) सभी एक्सचेंज विश्वसनीय डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा उन्नत/प्रतिस्थापित किए गए हैं।

(2) अधिकाधिक एक्सचेंजों को चरणबद्ध तरीके से विश्वसनीय पारेषण माध्यम (ओएफसी/यूएचएफ) उपलब्ध कराना।

(3) ट्रैफिक की अपेक्षा अनुसार पारेषण माध्यम में बढ़ोत्तरी।

(4) उपभोक्ता परिसरों तक बाहरी केबल नेटवर्क योजना के आकार को छोटा करने के उद्देश्य से अधिकाधिक रिमोट लाइन यूनिट खोलना जो दोष दर का मुख्य कारण है।

(5) नेटवर्क में वायरलेस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी और डिजिटल लाइन कन्सेंट्रेटर की शुरूआत करना।

(6) उपभोक्ता परिसर तक ड्रॉप वायर के स्थान पर 5 पेयर पीआईजेएफ केबल का इस्तेमाल करना।

(7) लम्बी अवधि तक बिजली गुल रहने की समस्या दूर करने के लिए ग्रामीण एक्सचेंजों में अनुरक्षण मुक्त बैटरी सैट तथा स्टेंडबाई जनरेटर/पोर्टेबल जनरेटर उपलब्ध कराना।

(8) दोषों पर बेहतर ढंग से निगरानी रखने की दृष्टि से अधिकाधिक एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

**इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का निर्यात**

**3650. श्री वाई.वी. राव :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2001-2002 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात में 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन देशों को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्यात किए जा रहे हैं;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक क्या प्रगति की गयी है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. संजय पासवान ):** (क) जी, हां। इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर के निर्यात में वर्ष 2001-02 के दौरान 21% (अमरीकी डॉलर के संदर्भ में

16.82%) की वृद्धि दर्ज की गई। मूल्य की दृष्टि से इस क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात वर्ष 2000-01 के 4788 करोड़ रुपए (1041 मिलियन अमरीकी डॉलर) से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 5800 करोड़ रुपए (1216 मिलियन अमरीकी डालर) हो गया।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान निर्यात की गई प्रमुख वस्तुएं ये थीं:

1. हैड स्टैक
2. रिकॉर्डेबल सीडी
3. यूपीएस
4. चिकित्सकीय उपस्कर
5. कनेक्टर
6. रंगीन टेलीविजन
7. पी.ए. प्रणाली
8. सौर्य सैल/मॉड्यूल्स
9. फेराइट्स
10. मुद्रित परिपथ बोर्ड

(ग) वर्ष 2001-02 के दौरान 162 देशों में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर वस्तुओं का निर्यात किया गया था। वर्ष 2001-02 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के मुख्य गंतव्य सिंगापुर, हांगकांग एवं अन्य दक्षिण एशियाई देश, यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमरीका एवं कनाडा, मध्य पूर्व के देश, जापान, कोरिया आदि थे।

(घ) राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास कार्य दल ने हार्डवेयर निर्यात के लिए वर्ष 2008 तक 10 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रानिकी एवं साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ने वर्ष 2002-03 के दौरान इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर के निर्यात के लिए 6605 करोड़ रुपए (1362 मिलियन अमरीकी डालर) का लक्ष्य रखा है।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 की पहली तिमाही के दौरान इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर के निर्यात में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.57% (अमरीकी डालर के संदर्भ में 1.53%) की वृद्धि दर्ज की गई है। मूल्य की दृष्टि से चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 1450 करोड़ रुपए (298 मिलियन अमरीकी डॉलर) के इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर का निर्यात होने का अनुमान है।

## टेलीफोन कनेक्शन

3651. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में आवेदकों की मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि आवेदकों की मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा सकें?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन)**: (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मांग पर टेलीफोन कनैक्शन दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सर्किल में 299 टेलीफोन एक्सचेंज हैं जहां मांग पर टेलीफोन कनैक्शन दिए जा रहे हैं। इन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए लैंडलाइन/वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) के टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने की कार्रवाई की जा रही है। 53 नये एक्सचेंज चालू करने की भी योजना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

### *विवरण*

*हिमाचल प्रदेश में वे एक्सचेंज/स्थान जहां टेलीफोन मांग पर उपलब्ध हैं*

| क्र.सं. | एस.एस.ए. | एक्सचेंज/स्थानों के नाम जहां टेलीफोन मांग पर उपलब्ध है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | कुल्लू | 1. बलउपधार, 2. बंडरोल, 3. बरशेनी, 4. धेकली, 5. जरी, 6. मलाना, 7. पलचान, 8. फोजल, 9. हलन-1, 10. हरिपुर, 11. कतरैन, 12. नगार, 13. दयार, 14. गरसा, 15. हुरला, 16. शियाह, 17. बंजर, 18. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | भथड, 19. बहन, 20. धुशानी, 21. जिभी, 22. निओली, 23. स्यांग्नी, 24. थालतिबीड, 25. पुरथी, 26. मनाली, 27. पीज। |
| 2. | हमीरपुर | 1. हमीरपुर, 2. भोटा, 3. सुजानपुर, 4. नादौन, 5. बिलासपुर, 6. घुमारविन, 7. तलाई, 8. उना, 9. मेहतपुर, 10. दौलतपुर चौक, 11. संतोकगढ़, 12. नैना देवी। |
| 3. | मंडी | 1. बढ्डु, 2. बाग्गी, 3. बागसैद, 4. बलद्वारा, 5. बालीचौकी, 6. बालु, 7. बंदली, 8. बनेरदी, 9. बथेरी, 10. छत्रोखरी, 11. छुइनी, 12. छोलतारा, 13. छुराग, 14. दारंग, 15. धलवान, 16. धरमपुर, 17. फतेहपुर, 18. गद्दीधर, 19. गंगोती, 20. हनोगी, 21. जहाल, 22. जयदेवी, 23. जस्साल, 24. जोगींदरनगर, 25. ज्वालापुर, 26. करसाल, 27. कटौला, 28. कथालग, 29. कथिंदी, 30. केलोधर, 31. कोट, 32. कोटली, 33. लोंग्नी, 34. मंडी, 35. भिऊली, 36. पंदोह, 37. पनजैन, 38. रंधारा, 39. रेवालसर, 40. सरकाघाट, 41. स्लापर, 42. सुरेन्द्रनगर। |
| 4. | शिमला | 1. लुरी, 2. निरमोंद, 3. निथेर, 4. टंडी, 5. भारानू, 6. चांबी, 7. चोपाल, 8. ढब्बास, 9. गुमा, 10. केडी, 11. कियारनू, 12. मनिओती, 13. पुलबहल, 14. सैंनजखुद, 15. थारोछ, 16. बसंतपुर, 17. धामी, 18. घघेरी, 19. घानाहट्टी, 20. कदरघाट, 21. कोहबाग, 22. मंझोरघाट, 23. सोहल, 24. थाछी, 25. बटारगालू, 26. जुब्बाल, 27. खरापत्थर, 28. कुड्डु, 29. मेलथी, 30. सावरा, 31. टिक्कर, 32. बाघी, 33.बखोल, 34. देवरीखनेती, 35. देवगढ़, 36. गजता, 37. गुम्मा, 38. कियरी, 39. कोटखाई, 40. महाशु, 41. पदारा, 42. रावलकियर, 43. थारोल्ला, 44. बारंग, 45. छांगो, 46. छौलिंग, 47. गईबोंग, 48. करछाम, 49. लिप्पा, 50. लोसार, 51. मूरंग, 52. नामगिया, 53. पंगी, 54. पूह, 55. पुरबानी, 56. रकछम, 57. सरंग, 58. सांग्ला, 59. यांगथांग, 60. बारगांव, 61. कछिंघाटी, 62. कुमारसैन, 63. माधावानी, 64. नरकदा, 65. रकोंगपियो, 66. सग्नम, 67. ओड्डी, 68. संधु, 69. जंग्ला, 70. कुतारा, 71. लोवरकोटी, 72. मंधारली, 73. रोहरू, 74. समरकोट, 75. बहली, 76. गरसु, 77. जगतखाना, 78. किन्नु, 79. नतफा, 80. निछार, 81. नोगली, 82. रामपुर, 83. बियोलिया, 84. जंगा, 85. कुफरी, 86. शोधी, 87. नई शिमला, 88. संजौली, 89. शिमला बाउंडरी एस्टेट, 90. शिमला सीटीओ-1, 91. शिमला नाभा, 92. शिमला (डब्ल्यूएलएल), 93. शिमला सीटीओ-2, 94. शिमला टूटू, 95. बसाथर, 96. भराना, 97. छैला, 98. देहा, 99. देवथीधर, 100. धरकंडु, 101. घूंद, 102. कियारा, 103. कुथार, 104. मतियाना, 105. सैंज। |
| 5. | धर्मशाला | 1. मक्लेओदगंज, 2. खनिआरा, 3. चंबा, 4. डलहौसी, 5. भारमौर, 6. हरसार, 7. बानीखेत, 8. छीआरी, 9. सिहन्ता, 10. बलेरा, 11. सन्दला, 12. सुरगानी, 13. सलूनी, 14. बकलोह, 15. नूरपूर, 16. टिस्सा, 17. जस्सूर। |
| 6. | सोलन | 1. अरकी, 2. बद्दी, 3. बगथान, 4. बनीदोमेहर, 5. बनूर, 6. बराग, 7. बरोटीवाला, 8. बथालंग, 9. भघेरी, 10. भेओंकरी, 11. भोओंखारी, 12. भूमाटी, 13. विक्रमबाग, 14. ब्रहमपापरी, 15. चहल, 16. चंबाघाट, 17. चमघार, 18. चडीकास्लोक, 19. चौस्सा, 20. छिआछ्छी, 21. दाधू, 22. दगसाह, 23. दाहन, 24. दरलाघाट, 25. दीदाग, 26. देओनघाट, 27. धामला, 28. धर्मपुर, 29. घरोट, 30. धौलकुआँ, 31. धीआरीघाट, 32. दिलमन, 33. डोली, 34. फागु, 35. गग्गल शिकोर, 36. मानपुर, 37. हरिपुरखोल, 38. हरिपुर धार, 39. जामुन की सैर, 40. जौनाती, 41. जोहरजी, 42. कफोटा, 43. कालाअंब, 44. कंदाघाट, 45. कंडु, 46. कडुं कंसार, 47. कसौली, 48. कठलोह, 49. खैरी, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 50. किशनगढ़, 51. कोट बेजा, 52. कोटला मोल्लार, 53. कुडलू, 54. कुन्हार, 55. कुनीहार, 56. लाना चीता, 57. माजारा, 58. मानगढ़, 59. मन्झु, 60. मन्झोली, 61. मगंलोकघल्लं, 62. मानपुरा, 63. मरीघाट, 64. नाहन, 65. नालागढ़, 66. नवगाँव, 67. ओचघाट, 68. पओंटा, 69. परवानू, 70. पट्टा, 71. पट्टा बरोरी, 72. पिपलूघाट, 73. प्रियाधर, 74. राजबान, 75. राजपुर, 76. रामघौन, 77. रामपुर, 78. रामशाशार, 79. सुबाथू, 80. सैरी, 81. सनाना, 82. सानावार, 83. सानगढ़, 84. सनोरा, 85. सराहा, 86. सरसू, 87. सतौन, 88. शामती, 89, शेरगांव, 90. सौलन, 91. सुल्तानपुर, 92. सुन्दरघाट, 93. सुरला, 94. तारू, 95. थाना, 96. सोलन (डब्ल्यू.एल.एल.)। |

*सारांश*

| क्र.सं. | एस.एस.ए. | एक्सचेंजों की संख्या जहां टेलीफोन मांग पर उपलब्ध है |
|---|---|---|
| 1. | कुल्लू | 27 |
| 2. | हमीरपुर | 12 |
| 3. | मंडी | 42 |
| 4. | शिमला | 105 |
| 5. | धर्मशाला | 17 |
| 6. | सोलन | 96 |
| | जोड़ | 299 |

*[हिन्दी]*

## दवाओं की खरीद

**3652. श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिर्नाक 15 जुलाई, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' के नई दिल्ली संस्करण में ''दवाओं की सीधी खरीद की स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना अधर में'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा भंडार संगठन के लिए एक संयुक्त फार्मूलरी 14.2.2002 को प्रकाशित की गई है। इस नई फार्मूलरी में 655 पेटेंट औषध और 507 सामान्य औषध शामिल हैं।

थोक में औषधों की खरीद के लिए दरें निर्धारित की जा रही हैं। अनुमोदित फार्मूलरी के लागू हो जाने के बाद स्थानीय खरीद पर निर्भरता कम हो जाएगी और अच्छी खासी बचत संभव हो पाएगी। जहां तक समाचार पत्र में 'कोड्रिल' के बारे में छपी रिपोर्ट का संबंध है 'कोड्रिल सिरप' की खरीद और आपूर्ति की जांच की जा रही है।

*[अनुवाद]*

## इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमले की योजना

**3653. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पर अल-कायदा के हमले की योजना के बारे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** (क) जी, हां।

(ख) इस मसले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया है। राजनयिक संबंध, 1961 से संबद्ध वियना अभिसयम तथा 1992 में दोनों देशों द्वारा संपन्न द्विपक्षीय ''भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के साथ बरताव संबंधी आचार

संहिता" के तहत, मेजवान देश का प्रत्यायित मिशनों के कार्मिकों और स्टाफ तथा संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दायित्व है।

## कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट जिलों के विकास हेतु निधियां

**3654. श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कालाहांडी-बोलंगीर-कोरापुट जिलों के विकास के लिए अधिक निधियां आवंटित किए जाने के संबंध में उड़ीसा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) से (ग) उड़ीसा की राज्य सरकार ने उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना 2002-03 प्रस्तुत कर दी है, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 200 करोड़ रु. तथा केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) के रूप में 164.69 करोड़ रु. की कुल राशि का प्रस्ताव शामिल है। वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत सूखा ग्रस्त (मृदा एवं जल संरक्षण, वन-रोपण, सिंचाई, पीने का पानी एवं पोडू पुनर्वास), आजीविका आधार (कृषि, बागवानी, पशु-पालन, मछली पालन, कृषि-व्यवसाय, कृषि-बाजार, हथकरघा एवं रेशम उत्पादन), अलाभ-प्राप्त वर्गों के लिए आधार (विशेष पोषण कार्यक्रम, आपातकालीन भोजन, जनजातीय विकास एवं महिलाओं के स्व-सहायता समूहों), स्वास्थ्य एवं ग्रामीण सम्बद्धता से संबंधित योजनाएं कवर की गई हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

## एम.टी.एन.एल. की सेवाओं के बारे में शिकायतें

**3655. श्रीमती श्यामा सिंह :**
**श्री सुरेश रामराव जाधव :**
**श्री राजो सिंह :**
**डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री राम मोहन गाड्डे :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.एन.एल. दिल्ली, ग्राहकों की संतुष्टि के योग्य सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्राहकों द्वारा दर्ज कराई गई अनेक शिकायतों पर हफ्तों तक कार्रवाई नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या बहुत से फोन कटाने वाले ग्राहकों को सुरक्षा जमा राशि का भुगतान उचित समय पर नहीं किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो आज की तारीख में ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं और उचित समय पर भुगतान हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) एम.टी.एन.एल. ने प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) टेलीफोन की खराबियों से संबंधित करीबन 70% शिकायतें 48 घंटे के भीतर अटैंड की जाती हैं और करीबन 95% शिकायतें, जो सामान्यत: भूमिगत केबल की खराबी के कारण होती हैं, 7 दिन के भीतर अटैंड की जाती हैं। लगभग केवल 5% खराबियां ही एक सप्ताह से अधिक समय तक ठीक नहीं हो पातीं क्योंकि सड़कों की अत्यधिक खुदाई आदि के कारण कई खराबियां उत्पन्न हो जाती हैं।

(घ) और (ङ) कुछ मामलों में उपभोक्ताओं से दस्तावेज न मिलने के कारण विलम्ब होता है। आज तक एम.टी.एन.एल., दिल्ली में 13264 रिफण्ड के मामले लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ मामले उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ दस्तावेज़ न मिलने के कारण विचाराधीन पड़े हैं। एन.टी.एन.एल. दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि यदि नं. तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से कार्य कर रहा हो तो ऐसे मामले में टेलीफोन उपस्कर वापिस लेने पर जोर न दिया जाए। तीन साल की अवधि से कम समय के मामलों में प्रतिभूति जमा में से 150 रु. की नाममात्र राशि काटी जाएगी। रिफण्ड लेने के लिए टेलीफोन निर्देशिका को भी वापिस जमा कराने पर जोर नहीं दिया जाता है।

(च) एम.टी.एन.एल. ने उपभोक्ताओं को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाएं हैं:

* सभी एक्सचेंजों की एफ.आर.एस. (दोष सुधार सेवाओं) को पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

* शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु लाइन स्टाफ को पेजर्स दिए गए हैं।

* पुरानी प्रौद्योगिकी वाले सभी एक्सचेंजों को डिजीटल इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों से बदल दिया गया है।

* पेपर कोर भूमिगत केबलों को चरणबद्ध रूप से जैल्ली भरे केबलों/ऑप्टिकल फाइबर केबलों से बदला जा रहा है।

* ज्यादा स्विचिंग नोडों जैसे रिमोट स्विचिंग यूनिटों (आर.एस.यू.), डिजिटल लाइन कनसंट्रेटर (डी.एल.सी.), कॉरडेक्ट आदि की शुरूआत करके केबल की लंबाई घटा दी गई है।

* स्थिर एवं चल दोनों प्रकार की सेवाओं के लिए, वायरेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) सहित, नेटवर्क में बतौर प्रौद्योगिकी की शुरूआत।

* बाह्य संयंत्र की बहाली का कार्य भी शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत पोल टाइप डी.पी. को वॉल टाइप डी.पी. में बदला जाता है।

* सभी वरिष्ठ अधिकारियों से जनता आसानी से मिल सकती है।

## डोल्फिन सैल्यूलर सेवाएं

**3656. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने डोल्फिन सैल्यूलर सेवा हेतु उच्च सुरक्षा जमा राशि को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. सैल्यूलर फोन के लिए एक्टीवेशन शुल्क की वसूली करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) और (ख) एम.टी.एन.एल. की डॉल्फिन सेल्यूलर सेवा हेतु नॉन-एस.टी.डी. उपभोक्ताओं के लिए 2000/- रु., एस.टी.डी. उपभोक्ताओं के लिए 4000/- रु. और एस.टी.डी. व आई.एस.डी. उपभोक्ताओं के लिए 6000/- रु. की प्रतिभूति जमा को इन संख्याओं की औसतन बिलिंग के मद्देनजर यथोचित समझा गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। एम.टी.एन.एल. अपने पोस्ट पेड "डॉल्फिन" कनेक्शनों के लिए 1000 रु. का एक बारगी एक्टीवेशन शुल्क और 5% सेवा कर लेता है।

## जम्मू-कश्मीर में अवसंरचनात्मक विकास

**3657. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना में जम्मू एवं कश्मीर राज्य ने रेलवे एवं नागर विमानन नेटवर्क सहित अवसंरचनात्मक विकास का कोई विशेष प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु रेलवे, नागर विमानन, सड़कें और विद्युत क्षेत्रकों में कुछेक महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्रक आधारिक संरचना परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

### *विवरण*

(1) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाईन परियोजना: यह 3600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 287 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाईन परियोजना है। मार्च, 2002 तक 400 करोड़ रुपये खर्च कर दिये गये हैं। वर्ष 2002-03 में 300 करोड़ रु. आबंटित किए गये हैं। इस वर्ष के दौरान इसे 400 करोड़ रु. तक बढ़ाया जा रहा है। यह परियोजना 2007 तक पूरी की जानी है।

(2) जम्मू-तवी-जालंधर रेलवे लाइन का दोहरीकरण: यह 386 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली मार्च, 2002 में अनुमोदित 203 कि.मी. लम्बी परियोजना है। वर्ष 2002-03 के लिए 19.21 करोड़ रु. आबंटित किये गये हैं। कार्य अगले पांच वर्षों में पूरा हो जाएगा।

(3) जम्मू-उधमपुर रेल लिंक का निर्माण: यह 53 कि.मी. लम्बी बड़ी लाईन परियोजना है। 445.95 करोड़ रु.

की अनुमानित लागत में से मार्च 2002 तक 386.95 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 के लिए 36 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

(4) कारगिल एयरपोर्ट भवन का निर्माण: 37.81 करोड़ रु. की अनुमानित लागत में से मार्च 2002 तक 27.01 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। दसवीं योजना के लिए 12 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

(5) श्रीनगर एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार: दसवीं योजना के लिए 12 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(6) जम्मू एयरपोर्ट पर रनवे का विस्तार: दसवीं योजना के लिए 11 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

(7) राष्ट्रीय राजमार्गों 1-ए को चार लेन वाला/मजबूत बनाना: पठानकोट से उरी तक 505 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग 1-ए का पूरा मार्ग दिसम्बर, 2007 तक चार लेन वाला बना दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कार्य शुरू करने का दायित्व सौंप दिया गया है।

(8) राष्ट्रीय राजमार्ग 1-ए का वैकल्पिक मार्ग: बटोट-किश्तवार-सिंथान पास-खानबन का मार्ग, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1-बी घोषित किया गया है, को सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रस्ताव परियोजना 2007 तक पूरी हो जाएगी।

(9) रोहतांग सुरंग के निर्माण सहित मनाली के रास्ते लेह को जाने वाली सदाबहार सड़क का निर्माण। यह परियोजना 1335 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर वर्ष 2010 से पहले पूरी हो जाएगी।

(10) विद्युत क्षेत्रक परियोजनाएं: राज्य सरकार ने निम्नलिखित सात परियोजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्रक में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल-शक्ति निगम को सौंप दिया था:

* किसान गंगा (330 मेगावाट)
* उरी-II (280 मेगावाट)
* बरसर (1020 मेगावाट)
* सेवा-II (122 मेगावाट)
* पाकल दुल (1000 मेगावाट)
* निम्मो बाजगो (30 मेगावाट)
* चटक परियोजना (18 मेगावाट)

### विशाखापत्तनम पत्तन

3658. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विशाखापत्तनम पत्तन को कंटेनरों के जलमार्ग से भेजने के उपयुक्त बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी कारणों विशेषत: यानांतरण के लिए यातायात की संभावना और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों की तुलना में भौगोलिक अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए विशाखापत्तनम पत्तन का एक यानांतरण केन्द्र के रूप में विकास करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

### वीडियो कॉन्फ्रेन्स प्रौद्योगिकी का उपयोग

3659. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कोई योजना सरकार के प्रमुख समारोहों और महत्वपूर्ण बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेन्स प्रौद्योगिकी का उपयोग आरंभ करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वीडियो-कॉन्फ्रेन्स प्रौद्योगिकी के संबंध में निजी कंपनियों अथवा विशेषज्ञों को कोई अनुमति अथवा लाइसेंस प्रदान किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी एजेन्सियों अथवा गैर-सरकारी कंपनियों द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रैन्सिंग के इन उपस्करों और प्रौद्योगिकियों का विपणन किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती सुमित्रा महाजन ):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय

3660. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में समुद्री विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण की संभावनाओं और सीमाओं की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सु. तिरूनावुकरसर ):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) विश्वविद्यालय की तरह की संरचना के अंतर्गत संस्थाओं की व्यवहार्यता तथा वांछनीयता को लाने सहित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थागत ढांचे में उचित परिवर्तन करने हेतु भारत सरकार ने अक्तूबर, 1991 में मैरीटाइम शिक्षा तथा प्रशिक्षण समिति (कोमेट) स्थापित की थी। समिति ने मई, 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, आदेश देने तथा मॉनीटर करने के लिए स्वायत्त निकाय की स्थापना करने की सिफारिश की थी। आशय यह था कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी बनाने पर विचार था। तदनुसार, भारतीय मैरीटाइम अध्ययन, संस्थान, मुम्बई को 6 जून, 2002 को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

### एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र

3661. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने एकीकृत औद्योगिक विकास (आई.आई.डी.) केन्द्रों का विकास किया गया है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या कुछ अन्य केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक देश भर में 72 आई.आई.डी. केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 12 केन्द्र उत्तर प्रदेश राज्य के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाओं सहित ऐसी 9 परियोजनाओं का संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा परित्याग कर दिया गया है। शेष 63 केन्द्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किए जा रहे है आई.आई.डी. केन्द्र बुलन्दशहर (खुर्जा), एटा, मथुरा, उन्नाव, भदोही, बागपत, बाराबंकी, गाजियाबाद और चंदौली जिले में स्थित हैं। जबकि बुलंदशहर (कासना), इलाहाबाद और बदायूं के लिए संस्वीकृत आई.आई.डी. केन्द्रों का राज्य सरकार द्वारा परित्याग कर दिया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में और आई.आई.डी. केन्द्र विकसित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### भारत-अमरीकी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र

3662. **श्री वाई.वी. राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हैदराबाद स्थित भारत-अमरीकी कैंसर संस्थान केन्द्र की ओर से, उसके मरीजों की आवश्यकता पूर्ति हेतु चलाई जा रही परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) श्रीमती एन.बी.टी. रामा राव मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन एण्ड अमेरिकन तेलगू वूमेन्स आर्गनाइजेशन द्वारा प्रवर्तित भारत-अमरीकी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र ने विभिन्न उपस्करों की खरीद के लिए सहायता अनुदान हेतु अनुरोध किया है। कोबाल्ट थेरापी एकक की स्थापना संबंधी स्कीम के अन्तर्गत एन.बी.टी. रामा राव मेमोरियल कैंसर अस्पताल, हैदराबाद को वर्ष 1999 में एक करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई। चूंकि यह एक बारगी अनुदान है इसलिए अतिरिक्त सहायता के लिए संगठन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। कैंसर रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम.एन.जे. अबुर्द विज्ञान संस्थान, हैदराबाद को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई है और वह इस मंत्रालय से नियमित रूप से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है।

## दूरभाष-अदालतें

3663. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के प्रत्येक जिले में किस-किस तारीख को दूरभाष-अदालतें लगाई गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों के पास जिलावार कितने मामले आए और उनमें से कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ग) दूरभाष प्रयोक्ताओं को दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और दूरभाष-अदालतें आयोजित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) और (ख) विगत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के प्रत्येक जिले में जिन-जिन तारीखों को दूरभाष-अदालतें लगाई गईं और उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों के पास जिलावार जितने मामले आए और उनमें से जितने मामलों का निपटान किया गया, उनका ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) दूरभाष प्रयोक्ताओं को दिये गये प्रोत्साहनों और दूरभाष-अदालतें आयोजित करने के लिए निर्धारित किए गए मापदंडों का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

### *विवरण-I*

*वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उड़ीसा में आयोजित टेलीफोन अदालतों की जिलेवार तिथि तथा टेलीफोन अदालतों में भेजे गए और वहां निपटाए गए मामलों की संख्या*

| क्र.सं. | दूरसंचार जिले का नाम | जिन तारीखों को अदालतें लगाई गई | प्राप्त मामलों की संख्या | निपटाए गए मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बेरहामपुर | 24.4.2000, 21.3.2001, 17.8.2001, 29.11.2001 | 59 | 59 |
| 2. | बारिपदा | 18.9.2000, 24.3.2001, 17.9.2001, 28.03.2002 | 53 | 53 |
| 3. | बालासोर | 26.7.2001, 2.2.2002 | 37 | 26 |
| 4. | कोरापुट | 11.9.2001, 27.2.2002 | 5 | 5 |
| 5. | भुवनेश्वर | 18.4.2000, 18.4.2001, 22.3.2002 | 76 | 72 |
| 6. | कटक | 5.09.2000, 19.6.2001 | 56 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | ढेंकानाल | 27.4.2001, 12.10.2001 | 89 | 89 |
| 8. | सम्बलपुर | 23.6.2000, 18.10.2001 | 8 | 8 |
| 9. | भवानी पटना | 6.7.2000, 28.3.2001, 28.9.2001 | 36 | 23 |
| 10. | फूलबानी | शून्य | शून्य | शून्य |
| 11. | बोलांगीर | 25.10.2000, 25.4.2001, 12.9.2001, 27.3.2002 | 54 | 51 |
| 12. | राउरकेला | 2.4.2001, 29.8.2001, 15.3.2002, 26.3.2002 | 39 | 39 |

*विवरण-II*

*वर्ष 2000-2001 और 2001-02 के दौरान उड़ीसा में टेलीफोन अदालतों में टेलीफोन उपभोक्ताओं को दिए गए प्रोत्साहनों तथा टेलीफोन अदालतें आयोजित करने के लिए निर्धारित किए गए मापदंडों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | दूरसंचार जिले का नाम | उपभोक्ताओं को दिए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | बेरहामपुर | 1,00,066 |
| 2. | बारिपदा | 3,340 |
| 3. | बालासोर | 42,737 |
| 4. | कोरापुट | 800 |
| 5. | भुवनेश्वर | 3,26,925 |
| 6. | कटक | 1,08,676 |
| 7. | ढेंकानाल | 76,833 |
| 8. | सम्बलपुर | 26,710 |
| 9. | भवानी पटना | शून्य |
| 10. | फूलबानी | शून्य |
| 11. | बोलांगीर | 15,417 |
| 12. | राउरकेला | 1,23,951 |

टेलीफोन अदालतें दूरसंचार सर्किल प्रमुख के स्तर पर तीन महीनों में एक बार तथा गौण स्विचन क्षेत्र (एस.एस.ए.) प्रमुख के स्तर पर दो महीनों में एक बार आयोजित की जाती हैं। टेलीफोन अदालत द्वारा न्यायोचित ठहराए गए प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर प्रोत्साहन/रियायत दी जाती है।

**वर्धनीय पूंजी उत्पादन का अनुपात**

**3664. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि नौवीं योजनावधि में वर्धनीय पूंजी उत्पादन (आउटपुट) के अनुमान में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार के द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, हां।

(ख) वर्धनीय पूंजी उत्पादन (आउट पुट) का अनुपात (आई.सी.ओ.आर.) में वृद्धि के लिए मुख्य कारणों में कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्रकों में न्यून वृद्धि की निम्नदर, पूर्णयोग मांग की कमी, विश्वव्यापी मंदी, एशियाई संकट, कारगिल युद्ध, इत्यादि शामिल हैं।

(ग) उठाए जा रहे सुधारात्मक उपायों में सार्वजनिक निवेश तथा क्षमता के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना शामिल है।

### पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना

**3665. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना में पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी सड़क, दूरसंचार आधार संरचना और विद्युत आपूर्ति के लिए विशेष प्राथमिकता मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में पूर्वोत्तर राज्यों हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विस्तृत प्रस्ताव क्या है और निवेश की अनुमानित धनराशि कितनी है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) दसवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क, दूरसंचार, आधारित संरचना और विद्युत क्षेत्रकों के लिए कोई विशेष प्राथमिकता देने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### पारादीप पत्तन न्यास

**3666. श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन न्यास ने बन्दरगाह को गहरा करने और नौवहन मार्ग को चौड़ा करने हेतु 100 करोड़ रुपये की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वी तट पर अन्य पत्तनों से भी ऐसी योजनाएं मांगी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने इस उद्देश्य हेतु ऋण को मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरूनावुकरसर):** (क) और (ख) जी हां। इस प्रस्ताव के अंतर्गत दक्षिण ब्रेकवॉटर में लगभग 300 मी. विस्तार करने और 240 मी. की तल चौड़ाई तथा 17 मी. की गहराई के निकर्षण के साथ ब्रेकवॉटर के अग्रभाग से लगभग 8 कि.मी. के चैनल का सृजन करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) अन्य पत्तनों की भी बंदरगाह को गहरा करने और नौचालन चैनल को चौड़ा करने सहित अपनी सुविधाओं का विकास करने की योजनाएं हैं। कोलकाता पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर हल्दिया गोदी परिसर को जाने वाले पहुंचमार्ग को सुधारने के लिए सरकार ने नदी नियामक उपायों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। 350.84 करोड़ रु. लागत वाली इस परियोजना में जिगरखाली में एक ड्रेज कट चैनल की परिकल्पना की गई है और इससे एप्रोच चैनल की गहराई में लगभग 1 मी. की वृद्धि होगी। चेन्नई पत्तन ने 10वीं योजना के लिए अपने प्रस्ताव में आंतरिक बंदरगाह (अम्बेडकर गोदी) को 11 मी. गहरा करने के लिए 20 करोड़ रु. के एक प्रावधान को शामिल किया है। विशाखापत्तनम पत्तन का 10वीं योजना में 50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर आंतरिक बंदरगाह के प्रवेश चैनल को गहरा करने का प्रस्ताव है। इन्नौर पत्तन लि. (ई.पी.एल.) की अपनी विकास योजनाओं के भाग के रूप में वी.एल.सी.सी. और सुपर केप साइज जलयानों को हैंडल करने के लिए सुविधाओं का निर्माण करने की योजना है जिसके लिए ई.पी.एल. का बैंकों और वित्तीय संस्थानों से निधियां प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### इंटरनेट सुविधा

**3667. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01 के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और वर्ष 2002-03 के दौरान जिलेवार किन-किन शहरों में यह सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में, क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन):** (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000-2001 के दौरान सभी जिला मुख्यालयों सहित शहरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई है। इसलिए वर्ष 2002-2003 के दौरान उक्त सुविधा प्रदान

करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बी.एस.एन.एल. द्वारा उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में इंटरनेट नोड लगाए गए हैं उनकी एक सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) द्वारा इंटरनेट नोड स्थापित किए गए हैं। इन शहरों की एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

*विवरण-I*

*उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम जहां बी.एस.एन.एल. ने इन्टरनेट नोड्स स्थापित किए हैं*

| क्र.सं. | शहर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | इलाहाबाद |
| 2. | आजमगढ़ |
| 3. | बलिया |
| 4. | बांदा |
| 5. | बाराबंकी |
| 6. | बस्ती |
| 7. | बहराइच |
| 8. | भदोही |
| 9. | देवरिया |
| 10. | इटावा |
| 11. | फैजाबाद |
| 12. | फर्रूखाबाद |
| 13. | फतेहपुर |
| 14. | गाजीपुर |
| 15. | गोंडा |
| 16. | गोरखपुर |
| 17. | हमीरपुर |
| 18. | हरदोई |
| 19. | जालौन (ओरई) |
| 20. | जौनपुर |
| 21. | झांसी |
| 22. | कन्नौज |
| 23. | कानपुर |
| 24. | लखीमपुर-खीरी |
| 25. | ललितपुर |
| 26. | लखनऊ |
| 27. | मैनपुरी |
| 28. | मऊ |
| 29. | मिर्जापुर |
| 30. | प्रतापगढ़ |
| 31. | रायबरेली |
| 32. | संत कबीर नगर |
| 33. | शाहजहांपुर |
| 34. | सीतापुर |
| 35. | सोनभद्र |
| 36. | सुल्तानपुर |
| 37. | उन्नाव |
| 38. | वाराणसी |
| 39. | आगरा |
| 40. | बदायूं |
| 41. | बिजनौर |
| 42. | बरेली |
| 43. | गाजियाबाद |
| 44. | मथुरा |
| 45. | मेरठ |
| 46. | मुरादाबाद |
| 47. | मुजफ्फरनगर |
| 48. | पीलीभीत |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 49. | रामपुर |
| 50. | सहारनपुर |
| 51. | नोयडा |
| 52. | एटा |
| 53. | अलीगढ़ |
| 54. | हाथरस |
| 55. | अल्मोड़ा |
| 56. | बुलन्दशहर |
| 57. | फिरोजाबाद |
| 58. | बागपत |

***विवरण-II***

*31.3.2002 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम जहां बी.एस.एन.एल. के अतिरिक्त अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने इन्टरनेट नोड्स स्थापित किए हैं*

| क्र.सं. | आई.एस.पी. का नाम | शहर जहां इन्टरनेट नोड हैं |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डेटा इन्फोसिस लि. | आगरा |
| 2. | आई सर्व इंडिया सोल्यूशन्स प्रा.लि. | आगरा |
| 3. | एच.सी.एल. इन्फीनेट लि. | आगरा |
| 4. | रीडा कम्यूनिकेशन्स लि. | अलीगढ़ |
| 5. | एच.सी.एल. इन्फीनेट लि. | इलाहाबाद |
| 6. | बरेली कम्यूनिकेशन्स (प्रा.) लि. | बरेली |
| 7. | सत्यम इन्फोवेज लि. | गाजियाबाद |
| 8. | ओटटो नेटवर्क प्राइवेट लि. | गाजियाबाद |
| 9. | सी.जे. आनलाइन प्रा. लि. | गाजियाबाद |
| 10. | सुरेविन इन्टरनेट सर्विस लि. | गाजियाबाद |
| 11. | कुशाग्र | गाजियाबाद |
| 12. | फ्यूचर कन्सलटन्ट्स, लि. | कानपुर |
| 13. | सत्यम इन्फोवेज लि. | कानपुर |
| 14. | डेटा इन्फोसिस लि. | कानपुर |
| 15. | एच.सी.एल. इन्फीनेट लि. | कानपुर |
| 16. | तुलसी आन लाईन | कानपुर |
| 17. | विदेश संचार निगम लिमिटेड | कानपुर |
| 18. | एच.सी.एल. इन्फीनेट लि. | लखनऊ |
| 19. | डिशनेट डी.एस.एल. लि. | लखनऊ |
| 20. | सत्यम इन्फोवेज लि. | लखनऊ |
| 21. | विप्रो नेट लि. | लखनऊ |
| 22. | फ्यूचर कन्सलटन्ट्स लि. | लखनऊ |
| 23. | कामसैट मैक्स लि. | लखनऊ |
| 24. | आई सर्व इंडिया सोल्यूशन्स प्रा.लि. | लखनऊ |
| 25. | माइक्रो मैप सैटकॉम (प्रा.) लि. | लखनऊ |
| 26. | जैन स्टुडियोज् | मेरठ |
| 27. | डेटा इन्फोसिस लि. | मेरठ |
| 28. | मिक्की आन लाईन प्रा.लि. | मुरादाबाद |
| 29. | डेटा इन्फोसिस लि. | मुरादाबाद |
| 30. | सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स आफ इंडिया | नोयडा |
| 31. | डायरेक्ट इन्टरनेट लि. | नोयडा |
| 32. | एच.सी.एल. इन्फीनेट लि. | नोयडा |
| 33. | एच.सी.एल. कॉमनेट | नोयडा |
| 34. | प्राइमनेट | नोयडा |
| 35. | हाथवे केबल एंड डेटा कॉम प्रा.लि. | नोयडा |
| 36. | एस्सेल श्याम कम्यूनिकेशन्स लि. | नोयडा |
| 37. | वर्ल्ड वाइड. कॉम | सहारनपुर |
| 38. | श्रीधरन इन्फोसिस लि. | वाराणसी |
| 39. | एच.सी.एल. इन्फीनेट लि. | वाराणसी |
| 40. | सत्यम इन्फोवेज लि. | वाराणसी |

*[अनुवाद]*

**जापानी मस्तिष्क-ज्वर**

**3668. श्री वाई.वी. राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में जापानी मस्तिष्क-ज्वर ज्यादा आता है;

(ख) यदि हां, तो क्या टीके की पर्याप्त खुराक उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ए. राजा ):** (क) जापानी इन्सेफलाइटिस आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थानिकमारी है। तथापि, मौजूदा वर्ष के दौरान (जून, 2002 तक) राज्य से इस रोग की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) देश में जापानी इन्सेफलाइटिस वैक्सीन के एकमात्र निर्माता केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र, कसौली जापानी इन्सेफ लाइटिस के नियंत्रण के लिए 'माउस ब्रेन' वैक्सीन की लगभग 2 लाख खुराकों का विनिर्माण करता है। चूंकि यह मात्रा आन्ध्र प्रदेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है इसलिए राज्य सरकार को भारत के औषध महानियंत्रक की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के लिए एक्टीवेटेड माउस ब्रेन जापानी इन्सेफलाइटिस वैक्सीन का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

**प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए धनराशि**

**3669. श्री बी.के. पार्थसारथी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि राज्यों को आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत राज्य-वार धनराशि के उपयोग दर से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) वर्ष 2002-2003 के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के राज्यवार कुल आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग संतोषप्रद है। तथापि, कुछ राज्यों को पी.एम.जी.वाई. हेतु निधियों की दूसरी किस्त वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान अंतिम तिमाही में जारी की गई थी। योजना आयोग वर्ष 2002-03 के दौरान इन निधियों के उपयोग हेतु पुनर्वैधीकरण की स्वीकृति प्रदान कर रहा है।

(ग) योजना आयोग द्वारा पी.एम.जी.वाई. की वित्तीय और वास्तविक मानीटरिंग की व्यापक प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है।

***विवरण***

*पी.एम.जी.वाई. हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का आबंटन-2002-03*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम गैर विशेष श्रेणी राज्य | ए.सी.ए. 2002-2003 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 15644.00 |
| 2. | बिहार | 24173.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 3435.00 |
| 4. | गोवा | 72.00 |
| 5. | गुजरात | 7122.00 |
| 6. | हरियाणा | 1834.00 |
| 7. | झारखंड | 7446.00 |
| 8. | कर्नाटक | 8273.00 |
| 9. | केरल | 7608.00 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 8500.00 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | महाराष्ट्र | 10917.00 |
| 12. | उड़ीसा | 10863.00 |
| 13. | पंजाब | 4442.00 |
| 14. | राजस्थान | 10611.00 |
| 15. | तमिलनाडु | 11547.00 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 37087.00 |
| 17. | पश्चिमी बंगाल | 18490.00 |
| | उप जोड़ | 188064.00 |
| | **विशेष श्रेणी राज्य** | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 6500.00 |
| 2. | असम | 19000.00 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 7000.00 |
| 4. | जम्मू-कश्मीर | 18000.00 |
| 5. | मणिपुर | 4800.00 |
| 6. | मेघालय | 4112.00 |
| 7. | मिजोरम | 4300.00 |
| 8. | नागालैण्ड | 4526.00 |
| 9. | सिक्किम | 3000.00 |
| 10. | त्रिपुरा | 5000.00 |
| 11. | उत्तरांचल | 7000.00 |
| | उप जोड़ | 83931.00 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | |
| 1. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 1078.00 |
| 2. | पांडिचेरी | 465.00 |
| 3. | अंदमान और निकोबार द्वीप | 1002.00 |
| 4. | चंडीगढ़ | 442.00 |
| 5. | दादरा और नागर हवेली | 128.00 |
| 6. | लक्षद्वीप | 172.00 |
| 7. | दमण और दीव | 111.00 |
| | उप जोड़ | 3398.00 |
| | कुल जोड़ | 275393.00 |

**अभियंताओं की चीन यात्रा**

3670. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभियंताओं के एक दल ने चीन में बन रहे वी.वी.ई.आर.-1000 श्रेणी के परमाणु रिएक्टर स्थलों की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके निर्माण की कुछ तकनीकें हमसे बेहतर हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की उन्नत तकनीक का प्रयोग तमिलनाडु में कुडनकुलम आणविक ऊर्जा परियोजना में करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे)**: (क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, के इंजीनियरों के एक दल ने चीन के प्राधिकारियों, जो वी.वी.ई.आर.-1000 किस्म के रिएक्टरों के दो यूनिटों को भी स्थापित कर रहे हैं, के साथ तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान करने के सिलसिले में चीन का दौरा किया था।

(ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड रूसी परिसंघ के सहकार से तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थल पर वी.वी.ई.आर.-1000 किस्म के रिएक्टरों के दो यूनिट स्थापित कर रहा है। चीन भी इसी किस्म के रिएक्टरों के दो यूनिट निर्मित कर रहा है, जिनका डिजायन रूस के रिएक्टर यूनिटों जैसा ही है। तथापि, निर्माण की तकनीकें देश विशेष के अनुरूप होती हैं, जो कि उस देश की सामान्य औद्योगिक अवसंरचना, स्थानीकरण की परिसीमा, आयात की जाने वाली सामग्री की मात्रा और हस्ताक्षरित करार के स्वरूप पर निर्भर करती हैं।

(ग) और (घ) इस परियोजना को अनुमोदित समयावधि के भीतर पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कार्य में कोई विलम्ब न हो, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड चीन सहित विश्वभर में जहां वी.वी.ई.आर.-1000 रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं, की निर्माण संबंधी तकनीकों की लगातार समीक्षा इस दृष्टि से कर रहा है ताकि भारत के लिए सबसे उपयुक्त निर्माण संबंधी तकनीकें अपनाई जा सकें।

## फोटोकॉपियर कागज की बिक्री/खरीद

**3671. श्री रघुनाथ झा :**
**श्री रामजी मांझी :**

क्या **प्रधान मंत्री** फोटोकॉपियर कागज की बिक्री/खरीद के बारे में 29 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5553 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत 12 महीनों के दौरान केन्द्रीय भंडार द्वारा विभिन्न आकार के, विभिन्न ब्रांड नामों से और विभिन्न बिक्री दरों पर बेचे/खरीदे गए फोटोकॉपियर कागज के बारे में माहवार, ब्रांडवार और दर-वार सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार को कोटेड दर की तुलना में किसी अन्य ग्राहक को मैसर्स मोदी जेरॉक्स कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई वचनबद्धता का उल्लंघन करने पर निम्नतर दर पर सामग्री की आपूर्ति न करने के संबंध में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हाल में केन्द्रीय भंडार के प्रति व्यक्त किसी वचनबद्धता का उल्लंघन करने पर किसी आपूर्तिकर्त्ता का निलंबन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) दिनांक 29.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5553 के भाग (ख) के उत्तर में दिया गया आश्वासन पूरा करने की दृष्टि से विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर पहले ही रख दी गई है।

(ग) और (घ) मै. जिरॉक्स मोदी कॉर्पोरेशन को भुगतान किए जाने हेतु बकाया धनराशि में से, दरों में अन्तर-स्वरूप, 60,10,822 रुपए की धनराशि वसूल कर ली गई है।

(ङ) और (च) मै. एल.जी. एयर कण्डीशनर के प्राधिकृत वितरक, अम्बा, एयरकूल द्वारा वचन-पत्र का उल्लंघन किए जाने के कारण, उपर्युक्त फर्म से लेन-देन करना हाल ही में बन्द कर दिया गया है।

## इस्पात का निर्यात

**3672. श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001-2002 में पूर्व वर्ष की तुलना में इस्पात के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी गिरावट आई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने घरेलू बाजार में इस्पात की अतिरिक्त उपलब्धता पर विचार करते हुए इसके निर्यात में हो रही गिरावट को रोकने एवं उसका निर्यात बढ़ाने के संबंध में कोई ढांचा तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2001-2002 में परिसज्जित इस्पात का निर्यात 27.3 लाख टन है जबकि वर्ष 2000-2001 में यह 26.6 लाख टन था।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने भारत से इस्पात के निर्यात में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* इस्पात के निर्यात में अड़चनों को दूर करने के लिए इस्पात निर्यातक मंच की स्थापना
* नए/अपारंपरिक बाजारों का पता लगाना/समेकन करना
* पड़ोसी देशों को अधिकतम निर्यात
* निर्यात उत्पादों की रेंज में वृद्धि करने के लिए प्रयास करना-उत्पादों/आकारों/ग्रेडों की व्यापक रेंज
* भारतीय इस्पात के निर्यात के लिए बड़े पारंपरिक बाजार पुनः खोलने के लिए व्यापार संबंधी मुकदमों को निपटाने की दिशा में काम करना।

*[हिन्दी]*

## फुटबाल

**3673. श्री पी.आर. खूंटे :**
**श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
**डा. मन्दा जगन्नाथ :**
**श्री अशोक ना. मोहोल :**
**डा. जयन्त रंगपी :**

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू फुटबाल का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सुधारने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती):** (क) से (ग) किसी भी खेल को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) की होती है। तदनुसार, यह अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (ए.आई.एफ.एफ.) की जिम्मेदारी है कि वह घरेलू फुटबाल के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सुधारने के लिए कदम उठाए। तथापि, सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन, भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, खेल उपस्करों की प्राप्ति, भारतीय तथा विदेशी प्रशिक्षकों के अधीन राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण/अनुशिक्षण के लिए सहायता तथा अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करके राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है।

*[अनुवाद]*

## अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में रिक्तियां

**3674. श्री भीम दाहाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को शीघ्र भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) और (ख) दिनांक 1.1.2002 को मौजूद स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा में 61 रिक्तियां और भारतीय वन-सेवा में 15 रिक्तियां थीं एवं उपर्युक्त संवर्गों के कुल पदों की संख्या के संदर्भ में इन रिक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 7.9 और 4.6 था। भारतीय पुलिस-सेवा में, नवम्बर, 2001 माह की शुरूआत में रिक्तियों की संख्या 47 थी जो कि उपर्युक्त संवर्ग के प्राधिकृत पदों की संख्या की 9 प्रतिशत थी।

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं के पदों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले और पदोन्नति से भरे जाने वाले, दोनों ही तरह से भरे जाने वाले पद हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस-सेवा के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद, राज्य-सरकारों के परामर्श से, संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली सिविल सेवा-परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं। भारतीय वन-सेवा के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद, राज्य-सरकारों के परामर्श से, संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली भारतीय वन-सेवा-परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं। जब कभी पदोन्नति कोटे की रिक्तियां होती हैं, तब पदोन्नति से भरे जाने वाले पद, पदोन्नति-विनियमों के अनुरूप, राज्य-सेवाओं के पात्र उम्मीदवारों से भरे जाते हैं। यह एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

## कम्प्यूटर की बिक्री

**3675. श्री रामजी मांझी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नियमों के अनुसार कम्प्यूटरों की बिक्री पर माल भाड़ा और बीमा संबंधी प्रभार खरीदारों से नहीं वसूला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भंडार, कम्प्यूटरों की बिक्री पर माल भाड़ा और बीमा प्रभार खरीदारों से वसूल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रभारों को किन नियमों के अंतर्गत वसूला जा रहा है;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार ने दिल्ली में कम्प्यूटरों की बिक्री पर 6% का बिक्री कर भी लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो लगाए गए प्रभार को उनके बीजकों में नहीं दिखाए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) स्थानीय बिक्री कर के लिए 11 करोड़ के भुगतान पर उनकी अपील की मौजूदा स्थिति क्या है?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्रीमती वसुन्धरा राजे ):** (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय भण्डार अपने ग्राहकों से कर, माल भाड़े तथा बीमा सहित लागत पर आने वाला अपना सम्पूर्ण खर्च वसूल करने का हकदार है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भंडार अपने ग्राहकों से, स्थानीय रूप से और प्रथम चरण पर ही कर वसूल कर लिए जाने की प्रणाली के अंतर्गत खरीदे जाने वाले कम्प्यूटरों पर स्थानीय बिक्री-कर वसूल नहीं करता। फिर भी जहां खरीददारी अन्तर राज्यीय आधार पर की गई हो, वहां केन्द्रीय भण्डार लागू दर से स्थानीय बिक्री-कर वसूल करता है। उन सभी मामलों में यह मान लिया जाता है कि कीमत में बिक्री-कर तथा अन्य स्थानीय कर, जो भी लागू हों, शामिल हैं, जिनमें यह कर बीजक में नहीं दर्शाया गया हो।

(च) संदर्भाधीन अपील अभी भी, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित चल रही है।

*[हिन्दी]*

## चीन द्वारा निगरानी केंद्र की स्थापना

**3676. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
**श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी नेताओं ने चीन के सामने मकराना तट पर निगरानी केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जैसा कि 30 जून, 2002 को *नवभारत टाइम्स* में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री दिग्विजय सिंह ):** (क) से (ग) चीन, पाकिस्तान की ग्वादर गहरे समुद्र बंदरगाह परियोजना के चरण-1 में संलिप्त है। गहरे समुद्र बंदरगाह के संदर्भ में पूर्ण क्षमताएं अभी विकसित नहीं हुई हैं।

*[अनुवाद]*

## इस्पात की मांग और इसका उत्पादन

**3678. श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में इस्पात की कुल मांग और इसका उत्पादन कितना है;

(ख) क्या उच्च श्रेणी के इस्पात का बड़ी मात्रा में विदेश से आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया और इसका मूल्य कितना रहा;

(घ) क्या देश में इस्पात की खपत बढ़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक और सरकार द्वारा इस्पात की मांग की पूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी ):** (क) इस्पात की मांग का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है और वर्ष 2002-03 के लिए देश में परिसज्जित इस्पात की मांग 300 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल-जुलाई, 2002 की अवधि में हुआ परिसज्जित इस्पात का उत्पादन 102.6 लाख टन (अनंतिम) है।

(ख) और (ग) उच्च श्रेणी के ऐसे इस्पात की कुछ मात्रा का आयात विदेश से किया जा रहा है जिसका उत्पादन घरेलू रूप से किया जाना किफायती नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात किए गए इस्पात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:

मात्रा : हजार टन
मूल्य : करोड़ रुपए

| मिश्र/बेदाग | 2001-02 | 2000-01 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|
| मात्रा | 102.5 | 74.3 | 77.6 |
| मूल्य | 512.47 | 440.34 | 386.45 |

(घ) और (ङ) देश में इस्पात की खपत बढ़ रही है। देश में 2001-02 में परिसज्जित इस्पात की खपत 273 लाख टन थी जो पिछले वर्ष की 265 लाख टन की खपत की तुलना में 3.1%

की वृद्धि दर्शाती है। अप्रैल-जुलाई, 2002 में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की खपत की तुलना में 8% वृद्धि हुई। तथापि, आपूर्ति में कोई कमी नहीं है क्योंकि उत्पादन मांग के अनुसार किया गया है। बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में मांग/खपत का स्तर बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) बाजारों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के जरिए इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन।

(2) अन्न भंडारण प्रणालियों, राजमार्गों और एक्सप्रैस मार्गों में क्रैश बैरियरों जैसे उपयोग के नए क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

(3) लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

**सेलम इस्पात संयंत्र**

3679. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता कितनी थी और इसका वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सरकार द्वारा प्लास्टिक आदि के मुकाबले स्टैनलैस स्टील के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए सेलम इस्पात संयंत्र को बड़ा बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी):** (क) गत तीन वर्षों के दौरान बेदाग इस्पात का उत्पादन निम्नानुसार है:

(हजार टन)

| | 2001-2002 | 2000-01 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|
| बेदाग इस्पात | 760.2 | 705.0 | 612.0 |

बेदाग इस्पात की उपलब्धता बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार को बेदाग इस्पात की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) देश में बेदाग इस्पात के खपत स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार, इंडियन स्टेनलैस स्टील डेवलपमेंट एसोसियेसन के सहयोग से अनेक कदम उठा रही है। आटोमोबाइल, एल.पी.जी. गैस सिलिन्डर, भवन-निर्माण के लिए पैनल बनाने, रेलवे वैगन तथा कोच आदि जैसे नए प्रयोज्य क्षेत्रों में बेदाग इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए प्रचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सेलम इस्पात संयंत्र का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**परिवार कल्याण कार्यक्रम**

3680. **श्री जय प्रकाश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही परिवार कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कौन-कौन सी एजेन्सियों के माध्यम से इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत उक्त राज्य को कितनी धनराशि जारी की गयी और वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा):** (क) और (ख) केन्द्र की सहायता से उड़ीसा राज्य में परिवार कल्याण विभाग की निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं:-

(1) *आधारभूत ढांचे का रख-रखाव*-इसके अन्तर्गत उपकेन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों, शहरी सुधार योजना (हेल्थ पोस्टस), ए.एन.एम./एल.एच.वी. के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों, बहुद्देशीय कार्यकर्त्ताओं (पुरुष) को बुनियादी शिक्षण देने, पेट्रोल, तेल और लुबरीकेन्ट तथा बंध्यकरण के लिए प्रतिपूर्ति हेतु योजनाओं के लिए कर्मचारियों को वेतन देने, इमारतों के किराए और आकस्मिक खर्चों के लिए नकद अनुदान जारी किया जाता है जबकि गर्भनिरोधकों, औषध किटों आदि के लिए सामग्रीगत अनुदान दिया जाता है।

(2) *प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम*-इस कार्यक्रम को विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग, यूनीसेफ और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से धन दिया जाता है।

(3) *क्षेत्र परियोजनाएं*–इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं:

1. यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा सहायता प्राप्त समन्वित जनसंख्या एवं विकास परियोजना
2. डी.एफ.आई.डी. (यू.के.) द्वारा सहायता प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुधार परियोजना फेज-III
3. कालाहांडी जिले में विश्व बैंक की सहायता से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उपयोजना।

(4) *सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यक्रम*–इस कार्यक्रम के तहत् राज्य में सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों के लिए अनुदान दिए जाते हैं:

उपरोक्त सभी योजनाएं/कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ग) क्योंकि राज्य को बुनियादी ढांचे के अन्तर्गत जारी किया गया सहायता अनुदान राज्य की वास्तविक आवश्यकता से कम पड़ जाता है इसलिए दिए गए अनुदान का पूरा उपयोग हो जाता है। तथापि, अन्य कार्यक्रमों (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, क्षेत्र परियोजना, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण) के मामले में राज्य द्वारा निधियों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। पिछले तीन वर्षों, 1999-2000 से 2001-02 के दौरान वर्षवार और योजनावार जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*1999-2000 से 2001-02 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को वर्ष-वार और योजना-वार जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम | 1999-2000 | | 2000-01 | | 2001-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी किए गए | उपयोग किए गए | जारी किए गए | उपयोग किए गए | जारी किए गए | उपयोग किए गए |
| 1. | बुनियादी ढांचे का रख-रखाव (नकद व सामग्रीगत) | 7819.21 | 7819.21 | 7636.23 | 7636.23 | 8935.83 | 8935.83 |
| 2. | क्षेत्र परियोजना | 811.00 | 160.00 | 260.00 | 371.00* | 697.00 | 603.00 |
| 3. | प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम | 1132.50 | 738.70 | 1524.79 | 436.33 | 1871.77 | 283.05 |
| 4. | सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण | 80.34 | 48.81 | 85.09 | 85.09 | 80.10 | 36.55 |

*पिछले वर्षों की व्यय न की गई शेष राशि के कारण खर्च अधिक हुआ।

## विकास दर में गिरावट

**3681. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास संबंधी कार्यनिष्पादन में काफी गिरावट आयी है और आठवीं योजना अवधि के दौरान वार्षिक विकास दर 6.7 प्रतिशत से गिरकर 5.4 प्रतिशत पर आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या स्टैंडर्ड मैक्रोइकानामिक इक्वेशन के अंतर्गत निवेश और विकास की विवेचना यह दर्शाती है कि नौवीं योजना में विकास की धीमी गति का मुख्य रूप से कारण संसाधनों का कम उपयोग है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि दसवीं योजना अवधि के दौरान संसाधनों के उपयोग में कमी न आये?

**लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए

गए अद्यतन त्वरित अनुमानों से उपलब्ध सूचना के आधार पर, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर (वर्ष 1993-94 की कारक लागत पर जीडीपी) 5.34 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.69 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

(ख) मानक वृहत अर्थशास्त्री समीकरण के संबंध में विकास निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि नौवीं योजना में गिरावट मुख्यतः मांग की कमी के कारण थी। तथापि, संसाधन उपयोग की अल्पक्षमता के कारण भी अल्प विकास हुआ।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

## अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के लाइसेंस

**3682. श्री अधीर चौधरी :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस.टी.पी.आई.) ने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आई.एल.डी.) के लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.टी.पी.आई. ने इस संबंध में दूरसंचार कंपनियों के साथ समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा कल 8 अगस्त, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.06 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 अगस्त, 2002/17 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

पी.एल.एस.–48.27.18/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।